C.NO-2768
3211

भारतीय शासन-विधान

W:12·2
152G6T

—श्रीकान्त ठाकुर विद्यालङ्कार

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

W:12·2 2768
152G6T
Thakur, Srikant.
Bharatiya shasan-
vidhan.

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

W:12·2
152G6T
2768
76/D

लोकहितकारी पुस्तकमालाका प्रथम पुस्तक

भारतीय शासन-विधान

लेखक—
श्रीकान्त ठाकुर विद्यालङ्कार

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

प्रथम बार] अप्रेल, १९३६ [मूल्य—एक रुपया

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

प्रकाशक—
लोकहितकारी कार्यालय
(किशोरभवन)
८।१ चितपुर स्पर, कलकत्ता।

W:12·2
152G6T
1856

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY.
Jangamwadi Math, VARANASI,
Acc. No. 3214 2768
1856

मुद्रक—
विश्वमित्र प्रेस
कलकत्ता।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

दो शब्द

ब्रिटिश पार्लमेंटने सन् १९३५ ई० में जो "गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट" के रूपमें नया भारतीय शासन-विधान पास किया है, उससे किसी भी भारतीय राजनीतिक दलको सन्तोष नहीं हुआ, इसमें सन्देह नहीं। कांग्रेसने तो इस विधानको विफल बनानेका निश्चय कर रखा है। परन्तु नये विधानका कोई समर्थक हो अथवा विरोधी, प्रत्येक नागरिकके लिये यह जानना आवश्यक है कि भारतीय शासन-व्यवस्थामें क्या परिवर्तन हो रहा है। इसीलिये हिन्दीभाषी नागरिकोंकी सुविधाके लिये यह पुस्तक तैयार की गयी है।

इस 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बर्मा अब भारतसे अलग रहेगा, इसलिये 'एक्ट' की उन धाराओंकी इस पुस्तकमें चर्चा नहीं की गयी है, जिनका सम्बन्ध बर्माकी शासन-व्यवस्थासे है। परन्तु भारतीय शासनके सम्बन्धमें भी "गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट" में ३२१ धाराएं हैं। उनका यदि केवल हिन्दी रूपान्तर करके रख दिया जाता तो पाठकोंको समझनेमें कठिनाई हो सकती थी। इसलिये मैंने समस्त विधानको यथासम्भव संक्षेपमें तथा इस प्रकार पाठकोंके सामने रखनेकी चेष्टा की है, जिससे उन्हें समझनेमें कोई कठिनाई न हो। इसमें मुझे कहांतक सफलता मिली है, मैं नहीं कह सकता। परन्तु पाठकोंने यदि इसे पसन्द किया तो मैं अपने परिश्रमको सफल समझूंगा।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

नये शासन-विधानके अलावा, पुस्तकके प्रथम अध्यायमें भारतीय शासन-सुधारका संक्षिप्त इतिहास भी दिया गया है, जिससे पाठकोंको यह मालूम हो जायगा कि किस प्रकार और कैसी परिस्थितियोंमें भारतीय शासन-सुधार हुए हैं। मुझे विश्वास है कि इसको पढ़नेसे पाठकोंको शासन-सुधारके क्रमिक विकासको समझने में विशेष सहायता मिलेगी।

इस पुस्तकको तैयार करनेमें साइमन कमीशनकी रिपोर्ट, 'ह्वाइट पेपर', पार्लमेंटरी ज्वायण्ट कमेटीकी रिपोर्ट, राउण्ड टेबल कानफरेन्सोंकी रिपोर्ट तथा सन् १९३५ ई० के 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' के अलावा, मद्रास हाईकोर्टके भूतपूर्व जज मि० जे० पी० एड्डी और मि० एफ० एच० लौटन द्वारा लिखित "India's New Constitution", प्रो० गुरुमुख निहाल सिंह द्वारा लिखित "Landmarks in Indian Constitutional and National Development," स्वर्गीय पंजाबकेसरी लाला लाजपतराय द्वारा लिखित "Young India", श्रीयुक्त हेमेन्द्रप्रसाद घोष द्वारा लिखित "Press and Pess Laws in India" तथा श्रीयुक्त पी० मुखर्जीके Indian Constitutional Documents से विशेष सहायता मिली है। अतएव, अन्तमें मै इन पुस्तकोंके लेखकोंके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट किये विना नहीं रह सकता।

'किशोर भवन'
८।१, चितपुर स्पर, कलकत्ता।
१९ मार्च, १९३६ ई०

—श्रीकान्त ठाकुर।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सूचीपत्र

		पृष्ठ
१—शासन-सुधारका सिंहावलोकन	....	१
२—नये विधानका क्षेत्र और स्वरूप	....	६१
३—भारतीय फेडरेशन	....	६७
४—फेडरल व्यवस्थापिका परिषद्	....	७५
५—फेडरेशन, प्रान्त तथा देशी राज्य	....	१०८
६—फेडरल फिनैन्स	....	११२
७—कानून बनानेका अधिकार	....	१२०
८—प्रान्तीय शासन व्यवस्था	....	१३२
९—मताधिकार	....	१६५
१०—न्याय विभाग	....	१८९
११—भारतमंत्री और इण्डिया कौंसिल	....	२०२

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

भारतीय शासन-विधान

शासन-सुधारका सिंहावलोकन

आज ब्रिटिश भारतका शासन-संचालन जिस शासन-विधानके अनुसार हो रहा है, उसका यह रूप राष्ट्रीय आन्दोलनके फलस्वरूप, विधानके क्रमिक विकासका फल है। यों तो अंग्रेजी हुकूमतके आरम्भिक कालसे ही यहांकी शासन-व्यवस्था सम्बन्धी अनेक परिवर्तन होते रहे हैं, परन्तु वे परिवर्तन शासन-संचालन सम्बन्धी सहूलियतके लिये हुए थे, शासन संचालनमें भारतीयोंका सहयोग प्राप्त करने अथवा उन्हें किसी प्रकारका शासनाधिकार देनेके लिये नहीं। इसलिये ब्रिटिश भारतके शासन-सुधारका वास्तविक इतिहास १८५७ के बादसे ही आरम्भ होता है, जब इस देशका शासनसूत्र ईस्ट इण्डिया कम्पनीके हाथोंसे हटकर महारानी विक्टोरियाके हाथोंमें चला गया।

तत्कालीन अंग्रेज राजनीतिज्ञोंको भलीभांति यह मालूम हो गया कि बलवेका यद्यपि दमन कर दिया गया है परन्तु असन्तोषके कारणको जबतक यथासम्भव दूर न किया जायगा, तबतक स्थायी शान्ति कायम नहीं हो सकती। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

शासक और शासितोंके बीच एक गहरी खाई रहनेके कारण असन्तोषकी मात्रा इतनी दूरतक बढ़ गयी है। इसलिये देशमें स्थायी शान्ति स्थापित करनेके हेतु शासन-संचालन तथा कानून बनानेके लिये भारतीयोंका सहयोग प्राप्त करना उन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ। अतएव बलवा शान्त होनेके बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनीके हाथोंसे शासनसूत्र लेनेके लिये ब्रिटिश पार्लमेण्टमें जब १८५८ ई० में 'गवर्नमेण्ट आव इण्डिया बिल' पास हो रहा था, उसी समय भारतीयोंको प्रतिनिधित्व देनेका प्रश्न उठाया गया था; परन्तु मि० ग्लैडस्टनने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि "जब बहुसंख्यक भारतीय हमारे विरुद्ध अस्त्र लिये हुए हैं, तब उन्हें किसी प्रकारका प्रतिनिधित्व अथवा अन्य किसी प्रकारकी सुविधा देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने यदि बहुत थोड़ी सुविधा दी तो इससे उन्हें सन्तोष न होगा, और यदि हमने उदारतापूर्वक अधिक सुविधाएं दीं तो वे इसे हमारी उदारता नहीं समझेंगे, बल्कि उनका यही खयाल होगा कि उन्होंने जो उपद्रव मचाया है, उससे घबड़ाकर ही हमने उन्हें सुविधाएं दी हैं।" पार्लमेंट भी मि० ग्लैडस्टनकी इस दलीलसे सहमत हो गयी और भारतीयोंको प्रतिनिधित्वका अधिकार देनेका प्रश्न स्थगित कर दिया गया। परन्तु इससे भी इतना तो स्पष्ट है कि सुधारकी जरूरत सभी महसूस कर रहे थे।

इस प्रकार १८५८ ई० में यद्यपि इस प्रश्नको टाल दिया गया, बादमें अंग्रेज राजनीतिज्ञोंको सुधारकी आवश्यकता अधिकाधिक मालूम पड़ने लगी। सर बर्टल फ्रेरेने भी भारतीयोंके प्रतिनिधित्वकी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सिफारिश करते हुए १८६० ई० में लिखा था कि "कौंसिलोंमें भारतीय प्रतिनिधियोंको अवश्य स्थान दिया जाना चाहिये।" इससे भारतीय शासन-सुधार-सम्बन्धी तत्कालीन विचारधारा पर काफी प्रकाश पड़ता है।

इसके अलावा, कानून बनानेकी व्यवस्था भी उस समय बहुत ही त्रुटिपूर्ण थी। कानून बनानेमें भारतीय अथवा यूरोपियन, किसी भी गैरसरकारी प्रतिनिधिका हाथ नहीं था। दूसरी बात यह थी कि तत्कालीन लेजिस्लेटिव कौंसिलमें यद्यपि प्रत्येक प्रान्तीय सरकारकी ओरसे एक-एक सरकारी प्रतिनिधि रहते थे, पर कौंसिलको न तो प्रान्तोंके लिये कानून बनानेकी फुर्सत रहती थी और न उसमें इसके लिये उपयुक्त क्षमता ही थी। परन्तु सबसे बड़ी बात तो यह थी कि लेजिस्लेटिव कौंसिलने ऐसा आचरण दिखाना आरम्भ कर दिया था, जो तत्कालीन प्रचलित शासन-व्यवस्थाके बिलकुल ही प्रतिकूल था। अतएव ब्रिटिश पार्लमेंटको १८६१ ई० में 'इण्डियन कौंसिल्स एक्ट' पास करना पड़ा।

सन् १८६१ ई० का शासन-सुधार

इस नये एक्टके अनुसार कानून बनानेके लिये वायसरायकी कौंसिलके सदस्योंकी संख्यामें वृद्धि की गयी। इसके अनुसार वायसरायको अपनी कौंसिलमें कमसे कम छः और अधिकसे अधिक बारह अतिरिक्त सदस्य, जिनमें आधी संख्या गैरसरकारी सदस्यों-की हो, मनोनीत करनेका अधिकार दिया गया। इन अतिरिक्त सदस्योंका कार्य-काल दो वर्ष नियत किया गया था। १८६१ ई० के

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

'कौंसिल्स एक्ट' में स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया गया था कि वायसराय-की इस लेजिस्लेटिव कौंसिलमें कानून बनानेके अतिरिक्त और कोई काम नहीं होगा—यहां तक कि सदस्योंको न तो प्रश्न पूछनेका अधिकार दिया गया था, और न शासकोंसे कोई कागज-पत्र तलब करनेका। कानून बनानेका अधिकार भी बहुत परिमित था। सरकारी ऋण या सरकारी रेवन्यू, सेना, धर्म, देशी नरेश या परराष्ट्र सम्बन्धी कोई 'बिल' गवर्नर-जनरलकी अनुमति लिये बिना नहीं पेश किया जा सकता था। 'बिल' पास हो जानेपर भी गवर्नर-जनरल-की स्वीकृति बिना वह कानून नहीं बन सकता था। सम्राज्ञीको यह अधिकार था कि किसी भी कानूनके पास हो जानेपर भी इसे अस्वीकार कर दें। इसके अलावा, गवर्नर-जनरलको, विशेष परि-स्थिति उत्पन्न हो जानेपर आर्डिनेन्स जारी करनेका भी अधिकार दिया गया। इनमेंसे अधिकांश अधिकार आजतक गवर्नर-जनरलको प्राप्त हैं।

इस नये 'एक्ट' द्वारा बम्बई और मद्रासकी प्रान्तीय सरकारोंको भी प्रान्तीय शासनकी सुव्यवस्थाके लिये कानून बनानेका अधिकार दे दिया गया। प्रान्तीय गवर्नरोंको कानून बनानेके लिये प्रान्तके एडवोकेट-जनरलके अलावा कमसे कम चार, और अधिकसे अधिक आठ तक अतिरिक्त सदस्य मनोनीत करनेका अधिकार मिला। इन मनोनीत अतिरिक्त सदस्योंमें कमसे कम आधी संख्या गैर-सरकारी सदस्योंका रहना अनिवार्य कर दिया गया था। गवर्नर-

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

जनरलको बंगाल प्रेसीडेन्सीके लिये भी ऐसी ही व्यवस्थापिका सभाका संगठन करनेका अधिकार दिया गया था।

इसके पश्चात् १८७० और फिर १८७१ ई० में भी दो महत्वपूर्ण 'एक्ट' पार्लमेंटमें पास किये गये। १८७० के एक्टके अनुसार सकौंसिल गवर्नर-जनरलको व्यवस्थापिका सभामें पेश किये बिना ही रेगुलेशन पास करनेका अधिकार तो दिया ही गया, परन्तु इसके साथ ही गवर्नर-जनरलको इसके द्वारा यह अधिकार भी मिल गया कि इङ्गलैण्डमें होनेवाली सिविल सर्विसकी परीक्षामें सम्मिलित हुए बिना ही योग्य भारतीयोंको सिविल-सर्विसमें नियुक्त कर सकते हैं। सिविल-सर्विसकी परीक्षामें सम्मिलित होनेके हेतु यद्यपि भारतीयोंके लिये भी द्वार खोल दिया गया था, परन्तु तत्कालीन प्रचलित सामाजिक बन्धनोंके कारण किसी उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयके लिये भी इङ्गलैण्ड जाना एक प्रकारसे असम्भव ही था। अतएव व्यावहारिक दृष्टिसे भारतीयोंके लिये सिविल-सर्विसका द्वार बन्द ही था। इसलिये पार्लमेंटमें यह कानून पास हो जानेके बाद ही इसको कार्यान्वित करनेके लिये भारत सरकारको आवश्यक नियम बनानेका आदेश दिया गया था, परन्तु वह टालमटूल करती रही और नियम बनानेमें ही तीन वर्ष लगा दिये। तीन वर्षके बाद भी भारत-सरकारने जो नियम बनाये वे उपर्युक्त कानूनके उद्देश्यके प्रतिकूल थे। अन्तमें १८७५ ई० में लार्ड नार्थब्रूकके जमानेमें भारत-सरकारने इस कानूनको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये आवश्यक नियम बनाये। परन्तु इससे भी भारतीयोंको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ,

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

क्योंकि इस व्यवस्थाको काममें लानेकी चेष्टा करनेके बदले इसमें अड़ङ्गा ही डाला जाता रहा, जिससे भारतीयोंमें भारी असन्तोष फैला और जबर्दस्त आन्दोलन आरम्भ हो गया। इस आन्दोलनके फलस्वरूप लार्ड डफरिनके शासनकालमें सरकारने सर चार्ल्स एटचिन्सनकी अध्यक्षतामें पंद्रह सदस्योंका एक पबलिक-सर्विस कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशनमें पांच भारतीय सदस्य भी थे। परन्तु पंद्रह सदस्योंके कमीशनमें पांच भारतीय क्या कर सकते थे? इसलिये १८८७ ई० में कमीशनने जो रिपोर्ट दी, उसमें भी इङ्गलैण्ड और भारतमें एक साथ ही सिविल-सर्विसकी परीक्षा होनेके खिलाफ राय दी गयी थी। कमीशनने भारतीयोंको उच्च सरकारी पदोंसे दूर रखनेके लिये ही ऐसा रुख दिखाया था, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता। कमीशनकी ऐसी सिफारिशका उद्देश्य क्या था, यह तो सर जौन स्ट्रेचीके कथनसे ही साफ जाहिर हो जाता है। उन्होंने कहा था—"हमारा उद्देश्य क्या है, इसे छिपानेकी कोई जरूरत नहीं; सच तो यह है कि ये उच्च पद हम अपने आदमियोंके ही हाथोंमें रखना चाहते हैं, क्योंकि इनपर तथा राजनीतिक और सैनिक शक्तिपर ही, इस देशपर अपनी हुकूमत कायम रखना निर्भर है।"

इसके अलावा १८७१ ई० में जो पार्लमेंटमें 'इण्डियन कौंसिल्स एक्ट' पास किया गया था, उसके अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओंको कुछ जरूरी नये अधिकार दिये गये। इसके अनुसार प्रान्तीय कौंसिलोंको ऐसा नियम बनानेका अधिकार मिला कि जिससे भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियनोंके मामलेपर विचार कर सकें।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सन् १८६१ ई० के शासन-सुधारके बाद १८६२ ई० में ही दूसरा वास्तविक शासन-सुधार-कानून पास किया गया, जिसे वैधानिक महत्व प्राप्त है। इस बीचमें कई अन्य 'एक्ट' भी पार्ल-मेण्टमें पास हुए, परन्तु उनका उद्देश्य शासन-विधानमें संशोधन करके भारतीयोंको वैधानिक अधिकार देना नहीं था। फिर भी इस बीचमें दो ऐसी घटनाएं हुईं, जिनका वैधानिक दृष्टिसे बहुत बड़ा महत्व है। पहली घटना है १८७८ ई० में "वर्नेकुलर प्रेस ऐक्ट"का पास किया जाना; और दूसरी घटना है यूरोपियनोंका विद्रोह। अतएव इन दोनों घटनाओंपर यहां संक्षेपमें प्रकाश डालना अप्रासङ्गिक न होगा।

समाचारपत्रोंका दमन।

सन् १८५७ के बलवेके बाद ब्रिटिश भारतमें समाचारपत्रोंकी वृद्धि होने लगी और १८७० ई० तक तो इनकी संख्या ६४४ हो गयी। इनमें चार सौसे अधिक अखबार देशी भाषाके थे। दस-बारह आदमी एक जगह बैठ जाते और उनमेंसे कोई एक आदमी पढ़कर अखबार सुनाया करता। इस प्रकारकी टोलियां जहां-तहां दिखाई पड़ने लगीं। इसलिये सरकार घबड़ा-सी उठी और वायस-रायने तार द्वारा प्रस्तावित "वर्नेकुलर प्रेस बिल"की धाराएं भारत-मन्त्रीको सूचित कीं और इस 'बिल'को पास करनेके लिये उनकी स्वीकृति मांगी। दूसरे ही दिन स्वीकृति मिल गयी और उसी दिन व्यवस्थापिका सभामें यह 'बिल' पेश किया गया और दो घण्टेके अन्दर ही इसे पास करके १८७८ ई० के १४ मार्चको इसे कानूनका

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

रूप दे दिया गया। इस कानूनके अनुसार सरकारको प्रेस तक जप्त कर लेनेका अधिकार मिल गया। 'अमृतबाजार पत्रिका'का प्रकाशन पहले बंगलामें होता था; परन्तु यह कानून पास होते ही दूसरे दिनसे ही 'अमृतबाजार पत्रिका' अंग्रेजीमें निकलने लगी।

'वर्नेकुलर प्रेस एक्ट' के कारण लोगोंको कैसा क्षोभ हुआ, इसका पता कलकत्तेके टाउन हौलमें होनेवाली विराट प्रतिवाद-सभाकी कार्यवाहीसे चल जाता है। इस सभामें पांच हजार आदमी उपस्थित हुए थे और प्रस्ताव पास करके इस 'गलाघोंटू कानून' (Gagging Act) का प्रतिवाद किया और इसे रद्द करनेके लिये पार्लमेण्टसे अनुरोध किया। इङ्गलैण्डके मन्त्रिमण्डलमें परिवर्तन और लार्ड रिपनके वायसराय नियुक्त होने तक 'वर्नेकुलर प्रेस एक्ट'के विरुद्ध भारत और इङ्गलैण्ड, दोनों ही जगह जबर्दस्त आन्दोलन होता रहा। अन्तमें लार्ड रिपन जब वायसराय बनकर यहां आये तब बड़ी मुश्किलसे उन्होंने १८८२ ई० में इस 'गलाघोंटू कानून' को रद्द करा पाया।

यूरोपियनोंका विद्रोह।

लार्ड रिपनकी सहृदयता और सहानुभूतिका भारतीयोंपर काफी प्रभाव पड़ा था, परन्तु गदरके बाद उन्नीसवीं शताब्दीमें जैसे विरोध और हलचलका सामना उन्हें करना पड़ा वैसा और किसी वायसरायको नहीं करना पड़ा था। "इलबर्ट बिल"के कारण इस देशके यूरोपियनोंने जैसा विद्रोहका भाव दिखाया वैसा शायद अब तक कभी नहीं दिखाया है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

'इलबर्ट बिल' यद्यपि भारत सरकारके तत्कालीन ला-मेम्बर सर कर्टनी इलबर्ट द्वारा पेश किया गया था, परन्तु यह उनके दिमागकी सूझ नहीं थी। बंगाल सरकारने इसके लिये सिफारिश की थी। उन दिनों प्रेसीडेन्सी टाउनके इण्डियन सिविल सर्विस-वाले सभी मजिस्ट्रेटोंको भारतीय और यूरोपियन, दोनोंके मामलों-पर विचार करनेका अधिकार था; परन्तु प्रेसीडेन्सी टाउनके बाहर इण्डियन सिविल सर्विसवाले भारतीय मजिस्ट्रेटोंको भी यूरो-पियनोंके मामलेपर विचार करनेका अधिकार नहीं था। इस प्रकारका भेद-भाव सभी दृष्टियोंसे अनुचित था। यदि प्रेसीडेन्सी टाउनके भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियनोंके मामलेपर विचार कर सकते थे तो प्रेसीडेन्सी टाउनके बाहरके भारतीय मजिस्ट्रेटोंको इस अधिकारसे वंचित रखनेका कोई भी युक्तिसंगत कारण नहीं हो सकता था। जिला-मजिस्ट्रेट और जिला-जजके पदपर भारतीय जब काम करते थे तब उनके नीचे कितने ही यूरोपियन सिवीलियन ज्वायण्ट मजिस्ट्रेट काम किया करते थे। परन्तु यूरोपियनोंके मामलेपर जहां ये यूरोपियन ज्वायण्ट मजिस्ट्रेट विचार कर सकते थे, उनके ऊपरके अफसर—भारतीय जिला-मजिस्ट्रेट या जिला-जज केवल भारतीय होनेके कारण वैसे मामलेपर विचार करनेके अधि-कारसे वंचित थे! यह कैसी विचित्र बात थी! इसीलिये बंगाल सरकारने इस भेद-भावको दूर करनेकी सिफारिश की थी। वायसराय लार्ड रिपन ऐसी युक्तिसंगत सलाहकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। अन्तमें सर कर्टनी इलबर्टने इस भेद-भावको दूर करनेके

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

लिये बड़ी व्यवस्थापिका सभामें १८८३ ई० में एक 'बिल' पेश किया, जो 'इलबर्ट बिल' के नामसे प्रसिद्ध है। इस 'बिल' के कारण, बिहारके गोरे नीलहोंकी तो बात ही क्या, कलकत्तेके यूरोपियन व्यापारी भी बिगड़ खड़े हुए। इस 'बिल'के विरुद्ध यूरोपियनोंकी सभाएं हुईं, जिनमें सरकार और वायसरायके विरुद्ध जहर उगला जाने लगा। आन्दोलनके संचालनके लिये डेढ़ लाख रुपये इकट्ठा किये गये। यूरोपियनोंने लार्ड रिपनको दी जानेवाली पार्टियोंका बहिष्कार किया और उनको अपमानित तक किया गया। एक गोरे लेखकने तो यहां तक लिखा है कि सेनाको भी गदरके लिये उकसाया गया था। लार्ड रिपनको स्वप्नमें भी ऐसी आशङ्का न हुई होगी कि इस 'बिल' के कारण ऐसा तूफान खड़ा होगा।

सर कर्टनी इलबर्टने १८८३ ई० की फरवरीमें जो उपर्युक्त 'बिल' पेश किया था उसके अनुसार सभी फर्स्टक्लास सिविलियन मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला-जजोंको, भारतीयोंकी भांति यूरोपियनोंके मामलोंपर भी विचार करनेका अधिकार देनेका प्रस्ताव किया गया था, परन्तु इस आन्दोलनके फल-स्वरूप भारत सरकारने अगस्त महीनेमें स्वयं इस आशयका संशोधन करनेकी इच्छा प्रकट की, कि सभी भारतीय सिविलियन मजिस्ट्रेटोंको यह अधिकार न देकर केवल जिला मजिस्ट्रेट और जिला-जजोंको यह अधिकार दिया जायगा और हाईकोर्टको एक अदालतसे मामलेको दूसरी अदालतमें ट्रान्सफर करनेका भी अधिकार रहेगा। परन्तु इतनेसे भी यूरो-

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

पियन आन्दोलनकारी शान्त नहीं हुए। अन्तमें एक समझौता किया गया, जिसके अनुसार संशोधित रूपमें यह 'बिल' १८८४ ई० में पास किया गया। इसके अनुसार भारतीय जिला मजिस्ट्रेट और जिला-जजोंको इस शर्तके साथ यूरोपियनोंके मामलेपर विचार करनेका अधिकार दिया गया कि यूरोपियन अभियुक्तोंके साधारणसे साधारण मामलेपर भी भारतीय न्यायाधीशकी अदालतमें विचार होते समय अभियुक्तको जूरीकी मांग पेश करनेका अधिकार होगा और जूरीमें कमसे कम आधी संख्या यूरोपियन या अमेरिकनोंकी होगी। इससे साफ जाहिर है कि 'इलबर्ट बिल' का जो उद्देश्य था, इस कानूनसे वह सिद्ध नहीं हुआ—काले-गोरेका भेद-भाव बना ही रहा। हां, 'इलबर्ट बिल' सम्बन्धी आन्दोलनसे भारतीयोंको मालूम हो गया कि यूरोपियनोंके विरुद्ध न्याय प्राप्त करना कितना कठिन है। साथ ही इस आन्दोलनसे उन्हें यह भी पता चल गया कि संगठित रूपमें आन्दोलन करनेका कैसा प्रभाव होता है।

सन् १८९२ ई० का शासन-सुधार

अंग्रेजी शिक्षाका ज्यों-ज्यों प्रचार बढ़ता गया त्यों-त्यों लोगोंमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त करनेकी भावना प्रबल होती गयी। समाचारपत्रोंके प्रचारसे भी राष्ट्रीय भावना जागृत हो रही थी। उधर समाचारपत्रोंके दमन और 'इलबर्ट बिल' सम्बन्धी आन्दोलनने भी भारतीयोंमें जागृति उत्पन्न कर दी और वे अपनी स्थिति-को समझने लगे। इन कारणोंसे तत्कालीन शासन प्रणालीके विरुद्ध

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

लोगोंके विचार दृढ़ होते गये और लोगोंमें असन्तोष फैलता गया। इधर १८८५ ई० में राष्ट्रीय कांग्रेसका भी जन्म हुआ। पहले तो तत्कालीन वायसरायने इसका स्वागत किया और यह सोचकर प्रसन्न हुए कि इससे भारतीयोंके मनोभावका पता लगता रहेगा जिससे असन्तोषको शान्त करनेमें सहायता मिलेगी, परन्तु दो सालके अन्दर ही कांग्रेसके सम्बन्धमें भारत-सरकारके विचार बदल गये और इसको सन्देहकी दृष्टिसे देखा जाने लगा। ऐसा होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि प्रारम्भसे ही कांग्रेसने १८६१ ई० के शासन-सुधारपर असन्तोष प्रकट करना आरम्भ कर दिया और बड़ी व्यवस्थापिका सभा एवं प्रान्तीय कौंसिलोंमें काफी संख्यामें निर्वाचित सदस्योंको स्थान देनेकी मांग पेश करने लगी। साथ ही, इसने तीनों प्रेसीडेन्सीके अलावा अन्य प्रान्तोंमें भी ऐसी ही प्रान्तीय कौंसिल कायम करने और इनके सदस्योंको बजटपर विचार करने तथा शासन-संचालनके सम्बन्धमें प्रश्न पूछनेका अधिकार देनेकी मांग पेश की। इसलिये इसके सम्बन्धमें सरकारके विचार बिल्कुल बदल गये और इसके जन्मसे तीन सालके बाद ही वायसराय लार्ड डफरिनने अपने एक भाषणमें यहां तक कह डाला कि "कांग्रेस तो राजद्रोही एवं मुट्ठीभर भारतीयोंकी संस्था है।" इलाहाबादमें जो कांग्रेसका चौथा अधिवेशन होनेवाला था उसमें काफी अड़ंगा डाला गया, परन्तु अन्तमें अधिवेशन होकर ही रहा और कांग्रेसकी मांग जारी रही तथा तत्कालीन शासन-व्यवस्थाके विरुद्ध असन्तोष भी बढ़ता ही गया।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

लार्ड डफरिन दूरदर्शी वायसराय थे। उन्होंने समझ लिया कि अभी यदि लोगोंको सन्तुष्ट न किया गया तो असन्तोषकी मात्रा बढ़ती ही जायगी। इसलिये कांग्रेसके प्रस्तावको ध्यानमें रखते हुए कौंसिलोंके सङ्गठन और अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामें सुधारके लिये उन्होंने स्वयं भारतमन्त्रीको लिखा, जिसके परिणाम-स्वरूप पार्लमेण्टने १८६२ ई० का नया 'इण्डियन कौंसिल्स एक्ट' पास किया।

भारत-मन्त्रीके पास सिफारिश करनेके पहले उन्होंने शासन-सुधारके प्रश्नपर विचार करनेके लिये एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटीने सिफारिश की थी कि व्यवस्थापिका सभामें सदस्योंकी संख्या बढ़ायी जानी चाहिये, परन्तु साथ ही उसने यह भी सिफारिश की थी कि पहले प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओंके संगठनमें ही सुधार किया जाय और यह व्यवस्था यदि सफल हो तभी बड़ी व्यवस्थापिका सभाके संगठनमें सुधार किया जाय। कमेटीकी सिफारिश थी कि व्यवस्थापिका सभामें कुछ तो उच्च कुलके भारतीय सदस्य रखे जायं और कुछ सरकारी अफसर। गैरसरकारी सदस्योंमें कुछ तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जायं और कुछ सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल्टिो तथा यूनिवर्सिटियों द्वारा परोक्ष निर्वाचन-प्रणाली द्वारा; परन्तु निर्वाचित सदस्योंकी संख्या चालीस प्रतिशतसे अधिक न हो। इससे प्रकट है कि इस कमेटी और भारत सरकारने यद्यपि भारतमन्त्रीसे इस देशकी व्यवस्थापिका सभाओंके लिये निर्वाचन प्रणाली जारी करनेकी सिफारिश की थी, तो भी उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रणाली जारी करना

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

उन्हें अभीष्ट नहीं था। इसीलिये जानबूझकर मनोनीत सदस्योंका बहुमत रखनेकी सिफारिश की गयी थी, जिससे सरकारको कभी निर्वाचित सदस्योंके सामने हार न खानी पड़े।

पार्लमेण्टमें गैरसरकारी 'बिल'

किन्तु तत्कालीन भारतमन्त्री इतनी दूर तक भी बढ़नेको तैयार नहीं थे। भारत-सरकारको उन्होंने उत्तरमें लिख भेजा कि निर्वाचन-प्रणालीका तो भारतको कुछ भी अनुभव नहीं है, इसलिये इस समय इस प्रकारका परिवर्तन करना बुद्धिमानीका काम न होगा। फिर भी, भारत-सरकारने अपना विचार नहीं बदला और इस सम्बन्धमें भारत-सरकार तथा भारतमन्त्रीके बीच लिखा-पढ़ी जारी रही।

इधर कांग्रेस जब शासन-सुधारके लिये आन्दोलन कर रही थी; कांग्रेसके पांचवें अधिवेशनमें ब्रिटिश पार्लमेण्टके सदस्य मि० ब्रैडला सम्मिलित हुए थे। वे बहुत प्रभावित होकर विलायत लौटे और उन्होंने १८६१ ई० के 'इण्डियन कौंसिल्स एक्ट' में संशोधन करनेके लिये १८९० ई० में कामन सभामें एक 'बिल' पेश किया, परन्तु कार्यकी अधिकताके कारण उस वर्ष इस 'बिल'पर कामन सभामें विचार नहीं हो सका। अगले वर्ष उन्होंने फिर अपना 'बिल' पेश किया, परन्तु इस बार भी इसकी वही गति हुई। मि० ब्रैडलाके 'बिल'में कहा गया था कि बड़ी तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओंमें आधे तो निर्वाचित सदस्य रहें और मनोनीत सदस्योंमें भी सरकारी सदस्योंकी संख्या कुल सदस्यकी एक-चौथाईसे अधिक न हो।

जिन दिनों पहलेपहल मि० ब्रैडलाने कामन सभामें अपना

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

उपर्युक्त 'बिल' पेश किया था, उन्हीं दिनों लार्ड सभामें सरकारकी ओरसे लार्ड क्रौसने दूसरा 'विल' पेश किया था और वह संशोधित रूपमें पास भी हो गया; परन्तु वही 'विल' कामन सभामें समयाभावके कारण पड़ा रह गया। १८९१ ई० में फिर कामन सभामें उसे पेश किया गया, परन्तु पार्लमेण्टके सदस्योंको भारतीय प्रश्नपर विचार करनेकी फुर्सत ही कहां थी! इसलिये इस बार भी जन्म लेते ही इसकी मृत्यु हो गयी!

दो बार कामन सभामें प्रयत्न विफल हो जानेके बाद १८९२ ई० में नियमानुसार इस 'विल'को पुनः लार्ड सभामें पेश किया गया, जहां यह ज्योंका त्यों पास हो गया। अब कामन सभाकी भी निद्रा भङ्ग हुई और इस बार लार्ड सभा द्वारा स्वीकृत 'बिल' कामन सभामें भी पास हो गया।

इस नये शासन-सुधारके अनुसार बड़ी व्यवस्थापिका सभा तथा प्रान्तीय कौंसिलोंके, अतिरिक्त-सदस्योंकी संख्यामें थोड़ी वृद्धि की गयी, परन्तु निर्वाचन-प्रणालीकी व्यवस्था स्पष्ट रूपमें नहीं की गयी। अतिरिक्त सदस्योंको मनोनीत करनेके लिये गवर्नर जनरलको आवश्यक नियम बनानेका अधिकार दिया गया था। अतएव एक सदस्यने जब कामन सभामें एक संशोधन पेश करके इस 'बिल'में निर्वाचन प्रणालीकी व्यवस्था करनेका प्रयत्न किया तो सरकारकी ओरसे ही नहीं, बल्कि सरकार-विरोधी दलके नेता मि० ग्लैडस्टनने भी कहा कि गवर्नर-जनरलको जो सदस्य मनोनीत करनेके लिये नियम बनानेका अधिकार दिया गया है उसीके अनुसार, वे

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

यदि उचित समझेंगे तो, निर्वाचन पद्धति भी जारी कर सकते हैं। बादमें गवर्नर-जनरल लार्ड लैन्सडाउनने इसीके अनुसार एक प्रकारकी निर्वाचन पद्धति जारी की थी। जैसे पूना पैक्टके अनुसार वर्तमान शासन-सुधारमें यह व्यवस्था की गयी है कि कौंसिलमें उम्मेदवार खड़े होनेवाले हरिजन उम्मेदवार पहले हरिजनों द्वारा निर्वाचित होंगे और बादमें इन्हीं उम्मेदवारोंमेंसे साधारण निर्वाचन द्वारा अन्तमें सदस्य निर्वाचित होंगे, उसी प्रकार लार्ड लैन्सडाउनने यह प्रथा जारी की थो कि व्यवस्थापिका सभाके लिये पहले नियमानुसार उम्मेदवार चुने जायंगे और उन्हीं निर्वाचित उम्मेदवारोंमेंसे गवर्नर-जनरल व्यवस्थापिका सभाके सदस्य मनोनीत करेंगे।

इस शासन-सुधार द्वारा कौंसिलके सदस्योंको बजटपर बहस करनेका भी अधिकार मिला, परन्तु उन्हें इसपर वोट देनेका अधिकार नहीं दिया गया था। वे अपने भाषणोंमें बजटकी आलोचना कर सकते थे, इसकी धज्जियां उड़ा सकते थे, किन्तु उनका अधिकार यहीं तक सीमित था। हां, कौंसिलमें सार्वजनिक विषय सम्बन्धी प्रश्न पूछनेका अधिकार भी सदस्योंको दिया गया।

राष्ट्रीय जागृति

सन् १८९२ ई० में यद्यपि नया 'इण्डियन कौंसिल्स एक्ट' पास करके भारतको शासन-सम्बन्धी कुछ नये अधिकार दिये गये, परन्तु १८९२ ई० से लेकर १९०९ ई० के बीच कितनी ही ऐसी घटनाएं हुई, जिनके कारण असन्तोष बढ़ता गया और इसने अनेक स्थानोंमें

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

उग्र रूप भी धारण कर लिया। असन्तोषके अनेक कारणोंमें मुख्य तो यह हैं कि सरकारने कई ऐसे कानून पास किये, जिनसे लोगोंके अधिकारपर आक्रमण होता था; यथा—'इण्डियन यूनिवर्सिटीज एक्ट' 'औफिशियल सिक्रेट्स एक्ट' और 'वंग-भंग'। उन्हीं दिनों भारतके विभिन्न भागोंमें अकाल, मलेरिया और प्लेगका ऐसा प्रकोप फैला और इनका मुकावला करनेके लिये सरकारकी ओरसे ऐसी व्यवस्था की गयी कि लोगोंको बड़ा क्षोभ हुआ और कुछ स्थानोंमें असन्तोष की चिनगारियां प्रकट रूपमें दिखाई पड़ने लगीं। यहांके यूरोपियन भारतीयोंके प्रति ऐसा व्यवहार करते थे, जिससे जाति-विद्वेष बढ़ रहा था, और यहांके ऐंग्लो-इण्डियन अखबार भारतवासियोंके विरुद्ध घृणाका प्रचार करनेमें सबसे आगे बढ़े हुए थे। प्रवासी भारतीयोंके साथ ट्रान्सवाल तथा नेटालमें जैसा अन्यायपूर्ण व्यवहार होता था, उससे भी यहां लोगोंमें काफी क्षोभ उत्पन्न हो गया था।

इस देशमें, इससे पहले कभी अकाल नहीं पड़ा था, यह कहना तो ठीक न होगा, परन्तु १८६२ ई० और १६०६ ई० के बीच जैसे भयंकर अकाल पड़े वैसे उससे पहले शायद कभी नहीं पड़े थे। १८६६-६७ ई० में जो भयंकर अकाल पड़ा था, उसके सम्बन्धमें एक अंग्रेज लेखकका कहना है कि ब्रिटिश शासनमें यह सबसे बढ़कर भयंकर अकाल था और १८६७ के आरम्भमें करीब चालीस लाख आदमी प्राण-रक्षाके लिये सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे थे। परन्तु अकालके कारण होनेवाली मृत्यु-संख्या भी बहुत बड़ी थी। उस समयके इतिहाससे पता चलता है कि अकालके आरम्भमें सरकारकी ओरसे सहायता

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

देनेमें बहुत विलम्ब किया गया। इस बीचमें लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलकने पीड़ितोंकी सहायताके लिये संगठन आरम्भ किया। अकाल पड़नेपर भी महाराष्ट्रमें कहीं-कहीं जबर्दस्ती लगान वसूल किया जाता था, इसलिये लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलकने लगानमें छूटके लिये आन्दोलन आरम्भ किया, जिससे भोलेभाले किसानोंमें भी थोड़ी जागृति उत्पन्न हो गयी। परन्तु लोगोंके कष्टका एकमात्र कारण अकाल ही नहीं था; उन्हीं दिनों बम्बई प्रान्तमें प्लेगका आक्रमण आरम्भ हो गया था और बम्बई सरकारने इसे रोकनेके लिये बड़ी कोशिश की; फिर भी, सरकारी रिपोर्टसे पता चलता है कि १८९६ से १८९८ ई० के बीच लगभग दो वर्षोंमें ही प्लेगके कारण १७३००० आदमी कराल कालके गालमें चले गये !

प्लेगको रोकनेके लिये बम्बई सरकारने जैसी तत्परता दिखायी, प्लेग अफसरने यदि वैसी ही बुद्धिमानीसे काम लिया होता, तो इससे जनतापर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता। परन्तु प्लेग-अफसर मि० रैण्डने सारे पूना शहरमें फौजी जवानोंका पहरा बैठा दिया और कहते हैं कि, जहां कहीं प्लेगका चूहा गिरनेकी खबर मिलती कि उस मकानको खाली करानेके लिये फौजी जवान जूता पहने ही भीतर घुस पड़ते और लोगोंके दिलपर चोट पहुंचानेवाले अनेक इसी प्रकारके काम कर बैठते थे। इससे लोगोंमें भारी असन्तोष फैला, लोग उत्तेजित हो उठे; दंगे हो गये और एक उत्तेजित युवकने बेचारे प्लेग-कमिश्नर मि० रैण्डको गोलीका शिकार बनाया तथा उसके दूसरे साथीने लेफ्टिनेन्ट आयर्स्टपर गोली चलायी, जो मि० रैण्डके

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

पीछे-पीछे आ रहे थे। इसके फलस्वरूप महाराष्ट्रमें जोरोंसे दमन जारी हो गया तथा लोगोंमें और भी असन्तोष बढ़ने लगा।

प्लेगके बाद फिर १८६६ ई० में ऐसी भयंकर अनावृष्टि हुई कि लोगोंमें त्राहि-त्राहि मच गयी। ब्रिटिश भारत और देशी राज्योंमें भी भयंकर अकाल पड़ा। ऐसी अवस्थामें कष्टपर कष्ट झेलते-झेलते लोग ऊब रहे थे और इन सब कष्टोंके लिये साधारणतः लोग इस देशकी शासन-प्रणालीको ही दोषी समझते थे। इधर यहांके यूरोपियन और ऐंग्लो-इण्डियन अखबारोंका व्यवहार आगमें ईंधनका काम कर रहा था।

प्लेग कमिश्नरकी पूनेमें किस प्रकार हत्या की गयी, इसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। लोकमान्य बालगंगाधर तिलकने १८६३ ई० में महाराष्ट्रमें 'गणपति उत्सव' तथा १८६५ ई० में 'शिवाजी-उत्सव' मनाना आरम्भ किया। इससे समस्त महाराष्ट्रके युवकोंमें भारी जागृति उत्पन्न हो गयी। रैण्ड-हत्याकाण्डका यद्यपि इससे कोई सम्बन्ध नहीं था, परन्तु शिवाजी-उत्सवका उद्देश्य स्पष्ट ही राजनीतिक था, इसलिये अधिकारियोंको लोकमान्य तिलकके कार्योंपर सन्देह होने लगा और एक मामलेमें उन्हें कैदकी सजा भी मिली। इससे महाराष्ट्रमें और भी जागृति उत्पन्न हुई।

उधर पंजाबमें भी जागृति आरम्भ हो गयी थी। आर्यसमाजके प्रचारके कारण वहां थोड़ी जागृति तो हो ही गयी थी, किसान आन्दोलनने भी भारी जोर पकड़ा। परन्तु अधिकारियोंने बुद्धि-

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

मानीसे काम नहीं लिया। आन्दोलनके मुख्य कारणको दूर करनेके बदले वे इसका जोरोंसे दमन करने लगे और १६०७ ई० में १८१८ ई० के तीसरे रेगुलेशनके अनुसार पंजाबकेसरी लाला लाजपतराय तथा सरदार अजीतसिंहके विरुद्ध भारत-सरकारने निर्वासनकी आज्ञा निकाली और वे लोग माण्डले जेल भेज दिये गये। इससे न केवल पंजाबमें, बल्कि सारे देशमें भारी सनसनी फैल गयी। नौजवानोंमें भारी उत्तेजना फैली।

बंगालमें तो असन्तोषकी आग पहलेसे ही सुलग रही थी, लार्ड कर्जनकी 'बंग-भंग' सम्बन्धी नीतिने आगमें आहुतिका काम किया। पूरब बंगाल और आसामको एक साथ मिलाकर अलग प्रान्त बनानेके लिये वायसराय लार्ड कर्जनने जो प्रस्ताव भारतमंत्रीकी स्वीकृतिके लिये भेजा था, उसपर १६०५ ई० के ६ जूनको भारत-मंत्रीकी स्वीकृति मिल गयी और इसके विरुद्ध प्रबल आन्दोलन होनेपर भी १६०५ ई० के १६ अक्तूबरको बंग-भंग हो ही गया। भारत-मंत्रीकी स्वीकृति मिलनेके बाद ही कलकत्तेमें विराट सभा हुई, जिसमें कितने ही अंग्रेज भी शामिल हुए थे। सर्वसम्मतिसे वायसरायके पास तार भेजकर इस योजनाको बदलनेकी प्रार्थना की गयी, परन्तु लार्ड कर्जन किसीकी कुछ सुननेको तैयार नहीं थे। इससे लोगोंकी यह धारणा दृढ़ हो गयी कि हिन्दू और मुसलमानोंको एक दूसरेसे अलग करनेके लिये राजनीतिक उद्देश्यसे प्रेरित होकर ही बंग-भंग किया गया है। इसलिये बंग-भंगके विरुद्ध आन्दोलनने और भी प्रबल रूप धारण किया। जगह-जगहपर

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

विराट प्रतिवाद सभाएं हुईं। परन्तु आन्दोलनकारी नेताओंने सोचा कि केवल प्रतिवाद करनेसे कुछ न होगा, अतएव 'स्वदेशीके प्रचार और विलायती मालके वहिष्कार' का निश्चय किया गया। इसके लिये प्रतिज्ञापत्र तैयार किया गया और उसपर लोगोंके हस्ताक्षर कराये जाने लगे। इस प्रकार वंग-भंगने बंगालमें स्वदेशी आन्दोलनको जन्म दिया। १६ अक्तूबर १६०५ ई० से वंग-भंग सम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्य रूपमें परिणत होनेवाला था, परन्तु उस समयतक सारे बंगालमें लगभग दो हजार प्रतिवाद सभाएं हो चुकी थीं और १६ अक्तूबरको सारे बंगालमें 'शोक दिवस' मनानेका निश्चय किया गया था। 'शोक दिवस' के लिये जो कार्यक्रम तैयार किया गया था, उसमें हड़ताल, उपवास तथा 'राखी बन्धन' के साथ ही संध्याको प्रतिवाद सभा करनेका भी निश्चय किया गया था। इसके अनुसार कलकत्तेमें जो विराट प्रतिवाद सभा हुई, उसमें एक राष्ट्रीय कोष संग्रह करनेका भी निश्चय हुआ। श्रीयुक्त सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने जब इस कोषके हेतु धनके लिये सभामें अपील की तो उसी क्षण सत्तर हजार रुपये मिल गये।

स्वदेशी आन्दोलन

स्वदेशीका प्रचार कैसा बढ़ा, इसका पता तत्कालीन सरकारी रिपोर्टों एवं समाचारपत्रोंमें प्रकाशित विवरणसे भलीभांति चल जाता है। ढाकेके कलक्टरने १६०६-७ ई० की अपनी रिपोर्टमें लिखा था कि "शहरमें (ढाकेमें) स्वदेशीकी भावना ऐसे प्रबल वेगसे फैल रही है कि ढाका और नारायणगंजकी वेश्याओंतकने स्वदेशीही

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

व्यवहार करनेकी शपथ ली है।" बम्बईमें करीब अस्सी स्वदेशी मिलें दिन-रात कामकरने लगीं, फिर भी बङ्गालमें स्वदेशी कपड़ेकी मांग ऐसी बढ़ी कि इसको पूरा करना मुश्किल हो गया। श्रीयुक्त सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके अपील करनेपर अठारह लाख रुपये बातकी-बातमें इकट्ठे हो गये और इससे 'श्रीरामपुर काटन मिल्स' खरीद ली गयी तथा इसका और भी विस्तार किया गया और इसका पहला नाम बदलकर' बङ्गलक्ष्मी काटन मिल्स' नाम रखा गया। उन्हीं दिनों "बंगाल नैशनल बैंक' की भी स्थापना हुई।

युवकोंमें—खासकर स्कूल और कालेजके छात्रोंमें—देशप्रेम और स्वदेशीकी लहर ऐसी फैली कि अधिकारी चिन्तित हो उठे। आन्दोलन ज्यों-ज्यों जोर पकड़ता गया, दमन भी त्यों-त्यों उग्र रूप धारण करता गया। स्वदेशी-प्रचार करनेवालोंको परेशान होना पड़ा; श्रीयुक्त अश्विनीकुमार दत्त जैसे प्रतिष्ठित नेतापर राज-द्रोहका मामला चलाया गया। कितनी ही विदेशी बहिष्कार-प्रचारक सभाएं भंग की गयीं, परन्तु १९०६ ई० में बरीसालमें होनेवाली प्रान्तीय राजनीतिक कानफरेन्स जब भंग कर दी गयी, उस समय दमन शायद चरम सीमापर पहुंच चुका था।

बहुतसे लोगोंको धारणा है कि बङ्गालमें आतङ्कवादी आन्दोलनका सूत्रपात जिन कारणोंसे हुआ, उनमें स्वदेशी आन्दोलनके समयकी सरकारी दमन-नीति भी एक है। उनकी यह धारणा कहांतक ठीक है, यह कहना तो कठिन है और इसपर मतभेद हो सकता है परन्तु आतङ्कवादी आन्दोलन बंगालतक ही सीमित

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

नहीं रह गया था, बल्कि महाराष्ट्र, पंजाब एवं गुजराततक फैल गया। सन् १६०६ ई० के नवम्बरमें जब तत्कालीन वायसराय लार्ड मिण्टो अहमदाबाद गये थे तब वहां उनपर दो बम फेंके गये थे, परन्तु सौभाग्यसे वे उस समय नहीं फटे। वादमें उनमेंसे एक बमको एक राहगीरने ज्योंही उठाया कि वह फट पड़ा, जिससे बेचारे राहगीरका एक हाथ ही उड़ गया। इस प्रकार न जाने कितने निरीह व्यक्ति आतङ्कवादियोंके ऐसे पागलपनका शिकार बने होंगे। परन्तु दुःखका विषय है कि उस समय जो यह हिंसात्मक आन्दोलन आरम्भ हुआ उसका मूलोच्छेद अभीतक नहीं हो पाया है।

इस प्रकार उन दिनों जहां एक ओर क्रांतिकारी और दूसरी ओर कांग्रेसके उग्रदली लोग आन्दोलन कर रहे थे और देशमें जोरोंका दमन जारी था, वहां माननीय गोपाल कृष्ण गोखले जैसे प्रमुख कांग्रेस नेता ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंपर अपनी युक्तियोंद्वारा प्रभाव डालकर शासन-सुधारके लिये चेष्टा कर रहे थे। आपने १६०६ ई० में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिलमें भाषण करते हुए जोरदार शब्दोंमें कहा था कि भारतीय शिक्षित समाजको संतुष्ट करनेका एकमात्र उपाय यह है कि देशके शासनमें उनका अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाय। वायसराय लार्ड मिण्टोपर शायद इसका कुछ प्रभाव पड़ा और वे अपनी शासन-सभामें भारतीय सदस्यको नियुक्त करनेके पक्षमें थे, परन्तु शासन-सभाके अन्य सदस्योंके जबर्दस्त विरोध करनेके कारण उन्हें उस समय चुप रह जाना पड़ा।

श्रीयुक्त गोखले उस वर्ष इंगलैण्ड गये और वहां भारतमन्त्री

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

लार्ड मौर्लें तथा अन्य प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंसे भी मिले। आपकी बातोंसे भारतमन्त्री भी कुछ प्रभावित हुए और कांग्रेसके सम्बन्धमें जो अधिकारियोंने यह धारणा बना रखी थी कि यह सरकार-विरोधी संस्था है, उसको दूर करनेकी भी आपने चेष्टा की। जो हो, श्रीयुक्त गोखलेका प्रयत्न सर्वथा विफल नहीं हुआ; भारत-मन्त्रीने शासन सुधारकी आवश्यकता स्वीकार की और श्रीयुक्त गोखलेको बहुत कुछ आशा दिलायी। सन् १९०६ ई० में भारतमंत्री लार्ड मौर्लेंने भारतीय शासन-सुधारके सम्बन्धमें अपनी राय तत्कालीन वायसरायको लिख भेजी। लार्ड मिण्टो भी शासन सुधारके पक्षमें थे। उन्होंने इस प्रश्नपर विचार करनेके लिये सर ए० टी० अरण्डेलको अध्यक्षतामें एक सरकारी कमेटी नियुक्त की, जिसने १९०६ ई० के अक्तूबरमें अपनी रिपोर्ट वायसरायके पास भेज दी। इस रिपोर्टपर विचार करनेमें काफी समय लग गया और १९०७ ई० के मार्चके पहले भारत-सरकार शासन-सुधार सम्बन्धी अपने प्रस्ताव भारतमन्त्रीके पास नहीं भेज सकी। भारतमन्त्री तो अधीर हो ही रहे थे; उन्होंने ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलसे परामर्श लेकर इस प्रस्तावपर प्रान्तीय सरकारोंका मत जाननेके लिये भारत सरकार को आदेश भेजा। परन्तु प्रान्तीय सरकारोंकी राय जाननेमें भी लगभग एक साल लग गया और शासन-सुधारके मार्गकी दूसरी मंजिलको भारत सरकार १९०८ ई० के अक्तूबर महीनेके पहले पार नहीं कर सकी। इधर इस बीचमें एक ओर तो शासन-सुधारकी चर्चा चल रही थी और दूसरी ओर दमन जारी था। १९०७ ई० में

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सरदार अजीतसिंह और पंजाब-केसरी लाला लाजपतरायके निर्वासनको आज्ञा जारी होनेसे सारे देशमें भारी सनसनी फैल गयी और लोगोंमें—खासकर बंगालके युवक समाजमें—सरकारके प्रति कटुताके भाव और भी बढ़ गये।

उन दिनों दमनका ऐसा जोर था कि स्वयं भारतमन्त्री भी घबड़ा गये थे और उन्होंने लार्ड मिण्टोको अपने एक पत्रमें लिखा था—"मै स्वीकार करता हूं कि इन दिनों राजद्रोहके मामलोंमें जो भयङ्कर सजा दी जा रही है, उससे मुझे बड़ी आशंका और आश्चर्य हो रहा है। आज ही मैंने पढ़ा है कि बम्बईमें पत्थर फेंकनेके लिये अभियुक्तोंको बारह महीने कैदकी सजा दी गयी है; यह तो वास्तवमें बड़ा ही भयङ्कर है।" परन्तु भारत-सरकार जहां दमनमें लगी हुई थी, भारतमन्त्री अपनी शासन-सुधार-योजना तैयार करनेमें लगे हुए थे। १९०८ ई० में महारानी विक्टोरियाकी घोषणाकी अर्द्धशताब्दीके अवसरपर सम्राट् एडवर्डने जो भारतीय देशीनरेशों तथा जनताके नाम सन्देश भेजा था, उसमें उन्होंने भावी शासन-सुधार-योजनाकी ओर संकेत किया था। लार्ड मौर्लेने अपनी योजना १९०८ ई० के दिसम्बर महीनेमें पार्लमेण्टमें पेश की और १९०९ ई० की फरवरीमें वही 'विल' के रूपमें लार्ड सभामें पेश की गयी, जो उसी साल मई महीनेमें पास हो गयी। यही १९०९ ई० का "इण्डियन कौंसिलस एक्ट" १९०९ ई० के मौर्ले-मिण्टो शासन-सुधारके नामसे प्रसिद्ध है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

मौर्ले-मिन्टो शासन-सुधार

सन् १९०९ ई० के मौर्ले-मिण्टो शासन-सुधारसे उग्र विचारवाले भारतीय आन्दोलनकारियोंको कुछ भी सन्तोष नहीं हुआ और सम्भवतः माडरेटोंकी भी आशा पूरी नहीं हुई; परन्तु कांग्रेस तो माडरेटोंकी ही संस्था रह गयी थी और भारतमंत्रीने पहले ही तत्कालीन कांग्रेस नेता श्रीयुक्त गोपालकृष्ण गोखलेका सहयोग प्राप्त करनेकी सारी कारवाई कर रखी थी, इसलिये कांग्रेसने नये शासन-सुधारका विरोध नहीं किया।

इस नये शासन-सुधारके परिणामस्वरूप पहली बात तो यह हुई कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल तथा प्रान्तीय कौंसिलोंके आकारमें वृद्धि हुई। गवर्नर-जनरल तथा उनकी शासन-सभाके सदस्योंके अतिरिक्त इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिलके सदस्योंकी संख्या साठ और पंजाब तथा बर्मा कौंसिलके सदस्योंकी संख्या तीस और अन्य प्रान्तीय कौंसिलोंके सदस्योंकी संख्या पचास नियत की गयी। प्रत्येक कौंसिलमें तीन प्रकारके सदस्य रहना तय हुआ—(१) सरकारी कर्मचारी (२) निर्वाचित सदस्य; तथा (३) मनोनीत गैरसरकारी सदस्य। परन्तु इस बातको ओर खास तौरपर ध्यान रखा गया था कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिलमें किसी प्रकार भी निर्वाचित सदस्योंका बहुमत न होने पाये।

पाठक पहले पढ़ चुके हैं कि लार्ड डफरिन द्वारा नियुक्त एटचिंसन कमेटीने निर्वाचन पद्धति जारी करनेकी सिफारिश की थी, परन्तु १८९२ ई० के शासन-सुधारमें इसे कार्यान्वित नहीं किया गया। हां,

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

कौंसिलके सदस्य मनोनीत होनेके लिये पहले निर्वाचन द्वारा उम्मेदवार खड़ा करनेको प्रथा अवश्य जारी की गयी थी। परन्तु इसे तो निर्वाचन कहना, सच पूछा जाय तो, निर्वाचनका उपहास मात्र है। १९०९ ई० के शासन-सुधार द्वारा ही पहले पहल प्रत्यक्ष निर्वाचनकी प्रथा जारी की गयी। परन्तु भारत-सरकारने इसको कार्यान्वित करनेके लिये जो तरीका अख्तियार किया, वह आपत्तिजनक था।

निर्वाचक मण्डल

मौर्ले-मिण्टो शासन-सुधारके अनुसार तीन प्रकारके निर्वाचक मण्डल कायम किये गये; यथा—(१) जनरल निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें प्रान्तीय कौंसिलों और म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंके गैरसरकारी सदस्योंको प्रतिनिधि चुननेका अधिकार था; (२) वर्ग निर्वाचक मण्डल; जिसके अन्तर्गत जमीन्दारोंका निर्वाचन क्षेत्र, मुसलिम निर्वाचन क्षेत्र आदि आ जाते हैं; और (३) विशेष निर्वाचक मण्डल, यथा—प्रेसीडेन्सी कारपोरेशन, यूनिवर्सिटी, चेम्बर आफ कामर्स, पोर्ट ट्रस्ट आदि।

इस नये विधान द्वारा निर्वाचक और निर्वाचितोंकी योग्यता भी निश्चित कर दी गयी थी। इस सिलसिलेमें कहा गया था कि—'(१) कोई ऐसा आदमी निर्वाचनके योग्य नहीं समझा जायगा जो ब्रिटिश प्रजा न हो; (२) सरकारी अफसर निर्वाचनके लिये उम्मेदवार नहीं खड़ा हो सकता, (३) कोई स्त्री उम्मेदवार नहीं हो सकती, (४) जिसका दिमाग ठीक न हो वह उम्मेदवार नहीं खड़ा हो सकता; (५) दिवालिया आदमी उम्मेदवार नहीं हो सकता, (६) सरकारी नौकरीसे बर्खास्त

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

किया हुआ आदमी और अदालत द्वारा कैदकी सजा पानेवाला आदमी कौंसिलके लिये उम्मेदवार नहीं हो सकता।' कौन आदमी मतदाता नहीं हो सकते हैं, इस सम्बन्धमें व्यवस्था की गयी थी कि नाबालिग, पागल आदमी और स्त्रियोंको मताधिकार नहीं होगा। नये शासन-सुधार-कानूनके अनुसार संगठित कौंसिलोंकी अवधि साधारणतः तीन वर्ष रखी गयी थी।

सन् १९०९ ई० के "इण्डियन कौंसिल्स एक्ट" के अनुसार कौंसिलोंके आकारमें तो परिवर्तन हुआ ही, परन्तु इसके साथ ही इसके कार्यक्षेत्रका भी कुछ विस्तार हुआ। कौंसिलके सदस्योंको किसी प्रश्नपर—खासकर आर्थिक प्रश्नोंपर—बहस करनेका अधिकार इसी समयसे मिला, यद्यपि यह अधिकार भी बहुत ही संकुचित था। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिलके सदस्य बजटकी आलोचना कर सकते थे, परन्तु उन्हें उसपर वोट देनेका अधिकार नहीं था। इसके अलावा, कुछ हदतक सार्वजनिक हित-सम्बन्धी प्रस्तावोंपर विचार करनेका भी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिलको अधिकार दिया गया था और ऐसा प्रस्ताव पेश करनेके लिये कमसे कम पंद्रह दिन पहले सूचना देनी पड़ती थी।

सन् १८९२ ई० के एक्टके अनुसार कौंसिलके सदस्योंको प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था परन्तु इसका उत्तर मिलनेपर फिर वे इस सम्बन्धमें और कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। किन्तु १९०९ ई० के एक्टके बाद इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल तथा प्रान्तीय कौंसिलोंके सदस्योंको भी सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछनेका अधिकार

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

दिया गया। इस प्रकार इस शासन-सुधारसे पहलेकी अपेक्षा कुछ अधिक अधिकार अवश्य मिले, परन्तु वे अधिकार इतने अपर्याप्त थे कि कौंसिलोंमें जाकर जनताके प्रतिनिधि कोई कार्य करनेके लिये सरकारको मजबूर नहीं कर सकते थे।

इस नये शासन-सुधारसे यद्यपि माडरेटोंको भी सन्तोष नहीं हुआ और उस वर्ष कांग्रेसके अधिवेशनमें पंडित मदनमोहन मालवीय तथा श्रीयुक्त सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने इसपर असन्तोष प्रकट किया था, परन्तु ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि भारतमंत्री लार्ड मौर्ले पहले ही तत्कालीन कांग्रेस-नेता श्रीयुक्त गोखलेका सहयोग प्राप्त करनेकी व्यवस्था कर चुके थे; इसलिये इस नये शासन-सुधारका कोई जबर्दस्त विरोध नहीं हुआ। हां, इसके बाद भी माडरेट नेता कांग्रेसके सभामंचसे सुधारके लिये प्रस्ताव पास करते रहे।

मौर्ले-मिण्टो सुधारके बाद

मौर्ले-मिण्टो शासन-सुधार और १६१६ ई० के मांटेगू-चेम्सफोर्ड शासन-सुधारके बीचका दस वर्षका समय शासन-विधानकी दृष्टिसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चार वर्ष तो यूरोपीय महायुद्धमें ही बीत गये, जब शासन-सुधारकी ओर ध्यान देनेका अंग्रेज राजनीतिज्ञोंको समय ही नहीं था; फिर भी अन्य कई दृष्टियोंसे यह दशाब्दी भी काफी महत्वपूर्ण है। इन दस वर्षोंके अन्दर ही कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जो भारतके राजनीतिक इतिहासमें अपना विशेष स्थान रखती हैं।

पहली बात तो यह है कि जिस बंग-भंगको लार्ड कर्जनने

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

हमेशाके लिये अन्तिम निर्णय घोषित कर रखा था, उसका अन्त कर दिया गया। बंग-भंगको रद्द करके फिरसे पूरव और पश्चिम बंगालको मिलानेकी घोषणा कर दी गयी। बिहार-उड़ीसा तथा आसामको अलग करके दो पृथक् प्रान्त बनाये गये। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि हिन्दुस्तानकी राजधानी कलकत्तेके बदले दिल्ली बनायी गयी। इसी दशाब्दीके अन्दर जालियांवाला बागकी हृदयविदारक ऐतिहासिक दुर्घटना भी हुई।

परन्तु राजनीतिक दृष्टिसे जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई. वह यह है कि मद्रासमें श्रीमती एनीबेसेण्टके नेतृत्वमेंमें और बम्बई प्रान्तमें—खासकर महाराष्ट्रमें—लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकके नेतृत्वमें 'होमरूल लीग' की स्थापना हुई और इन दोनों संस्थाओं-ने बड़े जोरोंसे औपनिवेशिक स्वराज्यके लिये आन्दोलन चलाया। तीसरी महत्वपूर्ण घटना यह है कि नरमदली, गरमदली और मुसलिम लीगवालोंमें समझौता हो गया, जिसके फलस्वरूप भावी भारतीय शासन सुधारके लिये एक योजना तैयार की गयी, जिसे 'कांग्रेस-लीग-योजना' कहा जाता है। ब्रिटिश शासन कालमें प्रायः यह पहला ही अवसर था कि भारतके सभी राजनीतिक दलोंने मिलकर अपने देशके शासनके लिये सर्वसम्मत योजना तैयार की थी। यह घटना १९१६ ई० की है और इसी वर्ष लखनऊमें होनेवाले कांग्रेस-अधिवेशनमें नरमदली और गरमदली कांग्रेसमैन, करीब नौ वर्षतक एक दूसरेसे पृथक रहनेके बाद, फिर मिले और मुसलमान भी कांग्रेसमें सम्मिलित हुए।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

इसी बीच एक और भी घटना हुई जिसे बहुत महत्व दिया जाता है। इम्पीरियल कानफरेन्स, इम्पीरियल युद्धकालीन मंत्रि-मण्डल और 'पीस-कानफरेन्स' (Peace Conference) में भारतको भी ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशोंके समान ही स्थान दिया गया। सन् १६१५ ई० के २२ सितम्बरको मि० मुहम्मद शफीने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिलमें इस आशयका प्रस्ताव पेश किया था कि भारत-सरकार सम्राटसे अनुरोध करें कि इम्पीरियल कानफरेन्समें बाकायदा भारतको भी स्थान दिया जाय। सरकारकी ओरसे लार्ड हार्डिंजने इस प्रस्तावको स्वीकार कर लिया। १९१६ ई० में जब मि० लायड जार्ज ब्रिटिश प्रधानमंत्रीके पदपर पहुंचे तब उन्होंने युद्धकालीन ब्रिटिश मंत्रि-मण्डलमें साम्राज्यके प्रतिनिधियोंको भी स्थान देनेका निश्चय किया। इसीके अनुसार १६१६ ई० के २५ दिसम्बरको कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशोंके साथ ही भारतको भी अपने प्रतिनिधि भेजनेका निमंत्रण मिला। इम्पीरियल कानफरेन्स और युद्धकालीन मंत्रि-मण्डलमें यों तो भारतके प्रतिनिधिकी हैसियतसे भारतमंत्री ही लिये गये परन्तु भारत-सरकारने महाराजा बीकानेर, सर जेम्स मेस्टन और सर सत्येन्द्र प्रसन्न सिंहको उनका परामर्शदाता नियुक्त किया। इम्पीरियल कानफरेन्स समाप्त होनेके बाद ही युद्ध बन्द करने और सुलहको बातचीत शुरू हुई। इसके लिये वर्सेलीजमें जो 'पीस-कानफरेन्स' हुई, उसमें भी भारतके प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे और वर्सेलीजके सन्धि-पत्रपर भारतके प्रतिनिधिने भी हस्ताक्षर

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

किया तथा उसी समय स्थापित होनेवाले राष्ट्र-संघका भी भारत एक स्वतंत्र सदस्य बना। यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि केवल स्वतंत्र राष्ट्र ही राष्ट्र-संघके सदस्य हो सकते थे और भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है, जो परतंत्र रहते हुए भी आजतक इसका सदस्य है। इसलिये बहुधा कहा जाता है कि बाहरी मामलोंमें तो भारतको भी स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशोंके समान ही अधिकार मिला हुआ है और इसे बहुत महत्व दिया जाता है; परन्तु भारतीय राष्ट्र-वादी तो राष्ट्र-संघकी सदस्यताको अवांछनीय समझते हैं, क्योंकि इसमें जानेवाले प्रतिनिधियोंका चुनाव जनताके प्रतिनिधियों द्वारा नहीं, बल्कि भारत-सरकार द्वारा होता है। अतएव ऐसे ही लोग वहां भेजे जाते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंटके प्रतिनिधियोंका ही बहुधा साथ देते हैं—कमसे कम इतना तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि वे ऐसे स्वतंत्र विचारवाले नहीं होते कि भारतीय लोकमतका प्रतिनिधित्व कर सकें। इसलिये राष्ट्र-संघका सदस्य बने रहनेसे भारतको कुछ लाभ तो होता नहीं, बल्कि वार्षिक चन्देके रूपमें इसे बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती है।

इस दशाब्दीमें तीन शक्तियां भारतमें आन्दोलन कर रही थीं। एक तो था आतंकवादियोंका दल, जिसका सूत्रपात कई वर्ष पहले ही बंगालमें हुआ था, परन्तु बादमें वह पंजाबमें भी फैल गया और १९१३ ई० से लेकर १९१६ ई० के बीच कितने ही सरकारी अफसरोंकी नृशंस हत्याएं हुईं और कितने ही सशस्त्र डाके पड़े, जिससे इनके दमनके लिये बड़े ही कठोर कानून बनाये गये। लड़ाई

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

आरम्भ होनेपर आतंकवादियोंका कार्य-क्षेत्र और भी व्यापक हो गया; विदेशोंमें फैले हुए भारतीय आतंकवादियोंने जर्मन एजेण्टोंसे मिलकर देशमें क्रान्ति मचानेकी चेष्टा की और विदेशसे अस्त्र-शस्त्र भेजनेकी भी व्यवस्था की, परन्तु पुलिसकी सतर्कताने इनके षड़यन्त्रोंको विफल कर दिया। आतंकवादियोंके आन्दोलनके कारण ही 'रौलट एक्ट' की सृष्टि हुई।

दूसरी दो शक्तियां वैध-आन्दोलन द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करनेकी चेष्टा कर रही थीं। इनमें एक तो था, लोकमान्य तिलकका उग्र विचारवाला दल और दूसरा था, माडरेट कांग्रेस-नेताओंका दल, जिनके हाथमें कांग्रेस थी। १९०७ ई० में सूरतके कांग्रेस-अधिवेशनके अवसरपर जब नरमदली और गरमदली नेताओंमें फूट पैदा हो गयी, तबसे लेकर १९१६ ई० के लखनऊ अधिवेशन तक लोकमान्य तिलकका दल कांग्रेससे अलग रहकर ही आन्दोलन करता रहा और कांग्रेसका नेतृत्व माडरेटोंके हाथमें रहा। उग्र-दलवालोंके अलग हो जानेपर कांग्रेसकी शक्ति पहले तो कुछ कमजोर हो गयी और इसकी प्रतिष्ठा भी पहले जैसी नहीं रह गयी, परन्तु १९१४ ई० तक इसने फिर अपनी खोयी हुई प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। इसका प्रधान कारण यह था कि लोकमान्य तिलक और उनके साथियोंने कांग्रेससे अलग होकर कोई प्रतिद्वन्द्वी-संस्था नहीं खड़ी की। वे अलग होकर काम तो करते रहे परन्तु दमनके कारण वे संगठित रूपमें कार्य नहीं कर पाते थे। इसलिये कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी संस्था रह गयी थी, जिसके द्वारा राष्ट्रीय भावनाओंको

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

व्यक्त करनेका मौका मिल सकता था। परन्तु कांग्रेसका नेतृत्व ऐसे कमजोर हाथोंमें था कि यह प्रतिवर्ष 'प्रेस एक्ट' और, शस्त्र-कानूनको रद्द कराने, इण्डिया-कौंसिलका अस्तित्व मिटाने, पब्लिक सर्विसमें अधिकाधिक भारतीयोंको स्थान दिलाने, पंजाब और संयुक्त प्रान्तमें एक्जिक्यूटिव कौंसिलकी स्थापना कराने आदिके सम्बन्धमें प्रस्ताव पास करके ही रह जाती थी। अपनी इन मांगोंको स्वीकार करानेके लिये वह कोई प्रभावशाली आन्दोलन नहीं करती थी। इसलिये १६१६ ई० तक इसकी एक भी मांग स्वीकृत नहीं हुई। परन्तु इन नौ वर्षोंके अन्दर कांग्रेसके माडरेट नेताओंने जो सबसे बड़ा काम किया, वह था राष्ट्रीय एकताका प्रयत्न, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस-लीग शासन-सुधार-योजना की गयी।

कांग्रेस-लीग योजना।

कांग्रेस पहलेसे ही पृथक् निर्वाचनकी विरोधी रही है परन्तु १६१६ ई० में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने और सम्मिलित शासन-सुधार-योजना तैयार करनेके लिये कांग्रेसको अपने इस सिद्धान्तसे समझौता करना पड़ा। मुसलमान पृथक् निर्वाचनपर अड़े हुए थे और अन्तमें कांग्रेस-नेताओंने उनकी इस मांगको अस्वीकार करके ऐसे सुयोगको हाथसे खोना ठीक नहीं समझा। परन्तु जो लोग पृथक् निर्वाचनके सिद्धान्तको स्वीकार कर लेनेके लिये तत्कालीन कांग्रेस-नेताओंको दोषी बताते हैं, उन्हें तत्कालीन परिस्थिति और इस बातको भी स्मरण रखना चाहिये कि कांग्रेस-नेताओंने पृथक् निर्वाचनकी व्यवस्था थोड़े दिनोंके लिये ही स्वीकार की थी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सन् १९१९ ई० के शासन-सुधारके विधायकोंने कांग्रेस-लीग-योजना-की अन्य सब बातोंको तो छोड़ दिया परन्तु उसमेंसे सिर्फ पृथक् निर्वाचनके सिद्धान्तको स्वीकार कर नये विधानमें इसका समावेश कर दिया !

कांग्रेस-लीग-योजना यद्यपि त्रुटियोंसे खाली नहीं थी, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि १९१९ ई० में ,जो मांटेगु-चेम्सफोर्ड रिफार्म पास हुआ, उससे वह अच्छी थी। कांग्रेस-लीग-योजनामें कहा गया था कि प्रत्येक बड़े प्रान्तकी व्यवस्थापिका सभाके सदस्योंकी संख्या एक सौसे एक सौ पचीसतक होगी और छोटे प्रान्तोंकी व्यवस्थापिका सभाके सदस्योंकी संख्या पचाससे पचहत्तरतक, और इनमेंसे अस्सी प्रतिशत सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। इसमें अल्पसंख्यकोंके प्रतिनिधित्वका अनुपात भी स्थिर कर दिया गया था। इस योजनामें यह भी कहा गया था कि किसी सम्प्रदायके पचहत्तर प्रतिशत प्रतिनिधि यदि किसी प्रस्ताव अथवा'बिल'का इसलिये विरोध करें कि यह उस सम्प्रदायके हितोंपर आघात पहुंचानेवाला है, तो उस प्रस्ताव या 'बिल' पर विचार नहीं किया जायगा। प्रान्तीय कौंसिलोंको अन्तरङ्ग शासन-सम्बन्धी मामलोंमें पूर्ण अधिकार देनेकी व्यवस्था रखी गयी थी और यह भी कहा गया था कि कौंसिलका प्रस्ताव मानना शासकोंके लिये अनिवार्य होगा। इस योजनाके दूसरे अध्यायमें कहा गया था कि प्रान्तीय गवर्नरके पद-पर कोई सिवीलियन नियुक्त नहीं हो सकता और उनकी शासन-सभाके सदस्योंमें भी सिवीलियन नहीं रहेंगे; शासन सभाके सदस्य

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

भारतीय होंगे जो कौंसिलके निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जायंगे। कांग्रेस-लीग योजनाकी इन थोड़ीसो बातोंको जान लेनेसे ही पाठकोंको पता चल जायगा कि यह योजना मांटेगु-चेम्सफोर्ड शासन-सुधारकी अपेक्षा कहीं अच्छी थी।

होमरूल लीग आन्दोलन

इस प्रकार १६१६ ई० तक आन्दोलन धीमी गतिसे चलता रहा परन्तु उसी वर्ष लखनऊ कांग्रेसमें जब फिर उग्र दली नेताओंने कांग्रेसमें प्रवेश किया, तब कांग्रेसमें सजीवता आ गयी और १६१७ ई० के प्रारम्भसे ही राष्ट्रीय आन्दोलनने जोर पकड़ना आरम्भ कर दिया। यूरोपीय महायुद्ध उन दिनों जोरोंपर चल रहा था। अंग्रेज राजनीतिज्ञोंने लोंगोंकी सहानुभूति और सहयोग प्राप्त करनेके लिये यह घोषणा कर रखी थी कि यह युद्ध तो संसारको प्रजासत्तात्मक शासनके लिये निरापद बनानेके हेतु लड़ा जा रहा है और अब तो हरेक राष्ट्रको—चाहे वह छोटा हो या बड़ा—स्वभाग्य-निर्णयका अधिकार रहेगा और किसी राष्ट्रको अपनी इच्छाके विरुद्ध किसी दूसरेके शासनमें रहनेके लिये मजबूर नहीं किया जायगा। भारतीय नेताओंने इन घोषणाओंको ठीक समझ लिया और इससे उन्हें बड़ा प्रोत्साहन मिला। १६१७ ई० के आरम्भसे ही मद्रासमें श्रीमती एनी बेसेण्टने और बम्बई प्रान्तमें लोकमान्य बालगंगाधर तिलकने कांग्रेस-लीग शासन-सुधार योजनाके पक्षमें जबर्दस्त आन्दोलन आरम्भ कर दिया। होमरूल लीगकी स्थापना तो १९१६ ई० में ही हो गयी थी; अब इसने जोरोंसे प्रचार शुरू कर दिया। श्रीमती

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

एनी बेसेण्टका दैनिक 'न्यू इण्डिया' मद्रासमें और लोकमान्य तिलकके साप्ताहिक 'मरहट्टा' तथा 'केसरी' महाराष्ट्रमें स्वराज्य आन्दोलनका प्रचार करनेमें पूरी शक्ति लगा रहे थे।

होमरूल लीगके प्रचारसे सरकार चिन्तित हो उठी और होमरूल लीगकी एक सभामें भाषण करनेके लिये मजिस्ट्रेटने लोकमान्य बालगंगाधर तिलकसे नेकचलनीके लिये बीस हजार रुपयेका मुचलका तलब किया; परन्तु हाईकोर्टमें अपील करनेपर मजिस्ट्रेटकी यह आज्ञा रद्द हो गयी। उधर मद्रासमें 'न्यू इण्डिया'से दो हजारकी जमानत मांगी गयी, जो करीब तीन महीनेके बाद ही जप्त कर ली गयी। सरकार श्रीमती एनी बेसेण्ट और लोकमान्य तिलककी गतिविधिपर जितना ही अधिक नियन्त्रण रखनेकी कोशिश करती गयी, इन लोगोंके आन्दोलनको उतना ही अधिक बल प्राप्त होता गया।

इस प्रकार १९१७ ई० में जब राष्ट्रीय आन्दोलन जोरोंपर चल रहा था, उन्हीं दिनों मेसोपोटामियन कमीशनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसने इङ्गलैण्ड और भारत, दोनों ही जगह भारी हलचल पैदा कर दी और इससे भारतीय शासन-सुधार आन्दोलनको और भी प्रोत्साहन मिला। कमीशनकी रिपोर्ट प्रकाशित होनेपर मि० मांटेगुने तत्कालीन भारत सरकारकी तीव्र आलोचना की और शीघ्रातिशीघ्र शासन-व्यवस्थामें सुधार करनेपर जोर दिया। उधर लड़ाईकी अवस्था भी ऐसी संगीन थी कि अंग्रेज राजनीतिज्ञोंकी नींद हराम हो रही थी। भारतवासी ऐसे समयमें

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

ब्रिटेनको सब प्रकारसे मदद पहुंचानेके लिये तैयार थे, परन्तु साथ ही वे चाहते थे कि ब्रिटेन यह बचन दे कि लड़ाई समाप्त होनेपर वह हमें स्वराज्य देगा। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मि० लायड जार्जने बुद्धिमानीसे काम लिया और १६१७ के २० अगस्तको उन्होंने इस आशयकी घोषणा की—"सम्राट्की सरकारकी यही नीति है, और भारत सरकार भी इससे पूर्ण रूपसे सहमत है, कि शासनके प्रत्येक विभागमें भारतीयोंका अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाय और साम्राज्यके एक आवश्यक अंगके रूपमें भारतमें उत्तरदायित्वपूर्ण शासनकी स्थापनाके लिये स्वायत्तशासन संस्थाओं-को धीरे-धीरे उन्नत बनाया जाय.......।" भारतमन्त्रीने भी यह घोषित किया कि सरकारने शासन-सुधार सम्बन्धी जांच और परामर्शके लिये मुझे अविलम्ब भारत भेजनेका निश्चय किया है।

इस घोषणाके अनुसार भारतमन्त्री मि० माण्टेगु १६१७ ई० के १० नवम्बरको भारत पहुंचे और यहां जांच और परामर्श करनेके बाद आप और वायसराय लार्ड चेम्सफोर्डने शासन-सुधारकी एक योजना तैयार की। यही योजना मांटेगु-चेम्सफोर्ड योजनाके नामसे प्रसिद्ध है और १६१६ ई० के भारतीय शासन-सुधारका आधार भी यही है।

शासन-सुधारकी अन्य योजनाएं।

मांटेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार होनेके पहले गैरसरकारी तौर-पर कमसे-कम चार शासनसुधार योजनाएं तैयार हो चुकी थीं; इनमेंसे सबसे पहली तो श्रीयुक्त गोखले द्वारा तैयार की हुई योजना

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

थी। लड़ाईके दिनोंमें एक ओर दमन जारी था, पर साथ ही अंग्रेज राजनीतिज्ञ यह भी महसूस कर रहे थे कि मौर्ले-मिण्टो रिफार्म इतना त्रुटिपूर्ण है कि इसमें मौलिक परिवर्तन किये बिना काम नहीं चलेगा। इसलिये बम्बईके तत्कालीन गवर्नर लार्ड विलिङ्गडनने श्रीयुक्त गोखलेसे एक सुधार-योजना तैयार करनेके लिये कहा। माननीय श्रीयुक्त गोखले १९१५ ई० में मृत्युके पहले पूरी योजना तैयार कर चुके थे परन्तु वह १९१७ ई० के पहले प्रकाशित न हो सकी। वह यूरोपीय महायुद्धका प्रारम्भिक युग था, इसलिये उस समय भारतीयोंको व्यापक शासन-सुधार होनेकी आशा तो थी ही नहीं; अतएव श्रीयुक्त गोखलेने अपनी योजनामें प्रान्तीय स्वराज्यपर ही विशेष जोर दिया और इसी बातको ध्यानमें रखकर योजना तैयार की थी। परन्तु १९१७ ई० तक तो लड़ाईने परि-स्थिति बिलकुल बदल दी थी, इसलिये यह 'गोखले-स्कीम' उस समयतक आउट-आफ-डेट हो चुकी थी।

दूसरी योजना इङ्गलैण्डके राउण्ड टेबल ग्रूप की थी। १९१० ई० में मि० लायनल कर्टिसके सभापतित्वमें इङ्गलैण्डमें एक संस्था कायम की गयी थी, जिसका उद्देश्य था—साम्राज्य-सम्बन्धी समस्याओंका अध्ययन और मनन करना। इस संस्थाकी ओरसे एक पत्र भी निकलता था, जिसका नाम था 'राउण्ड टेबल'। इस संस्थाके सदस्योंने साम्राज्यके शासनके लिये एक योजना तैयार की थी और उसी सिलसिलेमें उन्होंने भारतीय शासन-सुधारके लिये भी एक योजना तैयार की। मि० कर्टिसने १९१५ ई० में इसको अपने

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

मित्रोंके सामने विचारार्थ पेश किया और बहस होनेके बाद इस संस्थाके सदस्य तथा बंगालके भूतपूर्व लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर विलियम ड्यूकने फिरसे इस योजनाको तैयार किया। १९१६ ई० में यह छपकर तैयार हो गयी। इसीको "ड्यूक मेमोरण्डम" कहा जाता है। यह योजना तैयार हो गयी है, यह बात भारतके मनोनीत वायसराय लार्ड चेम्सफोर्डको मालूम हो गयी थी, इसलिये उन्होंने इसकी एक प्रति पहले ही मंगवा ली। इसी कारण न तो इसको प्रकाशित किया गया और न मेम्बरोंके पास ही भेजा गया। पहले पहल सर विलियम ड्यूकने ही 'द्वैध-शासन' (Dyarchy) की बात अपने दिमागसे निकाली थी। उन्होंने पहले अपनी पूरी योजना सिर्फ बंगाल प्रान्तके लिये तैयार की थी। इसके पश्चात् मि० कर्टिस अपने मित्रोंके अनुरोध करनेपर भारतीय परिस्थितिका अध्ययन करनेके लिये स्वयं यहां आये और अपने नये अनुभवके कारण उन्हें 'ड्यूक मेमोरण्डम' में परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत हुआ। आपने 'द्वैध शासन' को अपनी योजनाका मूल आधार बनाकर ब्रिटिश भारतकी शासन-व्यवस्थामें सुधारके लिये योजना तैयार कर डाली। भारतीय माडरेट और यूरोपियनोंने इसका समर्थन किया और इसे वायसराय तथा भारतमन्त्रीके पास विचारार्थ भेजा गया।

तीसरी योजना कांग्रेस और मुसलिम-लीग द्वारा १९१६ ई० में तैयार की गयी थी, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है।

'गोखले-स्कीम' तो समयानुकूल रह ही नहीं गयी थी, अतएव मि० मांटेगु और लार्ड चेम्सफोर्ड जब भावी भारतीय शासन-सुधार पर

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

विचार-परामर्श कर रहे थे, तब यही 'कर्टिस-स्कीम' और "कांग्रेस-लीग योजना' उनके सामने थीं। कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत योजनाको तो वे लोग स्वीकार करनेको तैयार नहीं थे, क्योंकि अधिकारियोंकी दृष्टिमें, इस योजनाको स्वीकार कर लेनेपर भारतीयोंको वहुत अधिक अधिकार मिल जाते! मि० मांटेगुने अपनी डायरीमें स्वयं यह स्वीकार किया है कि शासक-वर्ग अधिकसे अधिक अधिकार अपने हाथोंमें रखना चाहता था। इसलिये, सच पूछा जाय तो, कांग्रेस-लीग-योजनाके अवांछनीय अंश—पृथक् निर्वाचनको तो मांटेगु-चेम्सफोर्ड योजनामें ले लिया गया, परन्तु इसके अन्य अंशोंको बिलकुल छोड़ दिया गया। हां, मांटेगु-चेम्सफोर्ड योजनापर मि० कर्टिसकी स्कीमका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इसके मूल सिद्धान्त—'द्वैध-शासन' (Dyarchy) को ही मि० मांटेगुने अपनी योजनाका मूल आधार बनाया। इस योजनाके आधारपर प्रस्तुत 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया बिल' पार्लमेंटकी कामन सभामें ५ दिसम्बर १९१९ को और लार्ड-सभामें १८ दिसम्बरको पास हो गया और सन् १९१९ ई० के २३ दिसम्बरको इसपर सम्राटकी स्वीकृति भी मिल गयी। उसी दिन एक शाही फरमान जारी करके देशी नरेशों तथा भारतीय जनताको इस नये शासन-सुधारकी सूचना दी गयी, साथ ही नरेन्द्र-मण्डलकी स्थापना और राजनीतिक बन्दियोंकी रिहाईकी भी घोषणा की गयी। परन्तु नये शासन-सुधारके अनुसार कार्य आरम्भ हुआ १९२१ ई० की १ जनवरीसे।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

मांटेगु-चेम्सफोर्ड शासन-सुधार

सन् १९१७ ई० के २० अगस्तको जो भारतके सम्बन्धमें ब्रिटिश गवर्नमेंटकी नीति घोषित की गयी थी, उसको इस नये 'रिफार्म्स-एक्ट' को भूमिकामें सम्मिलित करके कानूनी रूप दे दिया गया, परन्तु इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि उत्तरदायित्वपूर्ण शासनाधिकार धीरे-धीरे दिया जायगा; और कब तथा कितना अधिकार दिया जायगा, इसका निर्णय करनेका अधिकार ब्रिटिश पार्लमेंटको ही रहेगा। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा पेश की गयी स्वभाग्य निर्णयकी मांगको ठुकरा दिया गया।

मांटेगु-चेम्सफोर्ड रिफार्म्सके विधायक प्रान्तीय-शासनमें ही एक निश्चित क्षेत्रके अन्तर्गत पहले उत्तरदायित्वपूर्ण शासनके सिद्धान्तका प्रयोग करना चाहते थे। इसलिये उन्होंने प्रान्तीय शासन-सम्बन्धी विभागोंको दो हिस्सोंमें बांट दिया; इनमेंसे एकको मिनिस्टरोंके हाथमें देने और दूसरेको एक्जिक्यूटिव कौंसिलरोंके हाथमें रखनेका निश्चय किया। एक्जिक्यूटिव कौंसिलरोंके हाथमें जो विभाग रखे गये वे सुरक्षित विभाग (Reserved Subjects) और जो मिनिस्टरोंके हाथमें दिये गये, वे हस्तान्तरित विभाग (Transferred Subjects) के नामसे मांटेगु-चेम्सफोर्ड रिफार्म्समें प्रसिद्ध हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (म्युनिसिपलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि) स्वास्थ्य और सफाई विभाग, शिक्षा विभाग, आवकारी विभाग आदि हस्तान्तरित विभागके अन्तर्गत रखे गये; और फिनैन्स (खजाना), पुलिस, जेल विभाग आदि सुरक्षित विभाग (Reserved

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

Subjects) के अन्तर्गत रखे गये। इसीलिये इस प्रकारके शासनको द्वैध शासन या डायर्की (Dyarchy) कहा गया है।

मिनिस्टर यद्यपि कौंसिलके किसी निर्वाचित सदस्यको ही नियुक्त किया जा सकता था और वे व्यवस्थापिका सभाके सामने उत्तरदायी थे, परन्तु मिनिस्टरोंके संयुक्त उत्तरदायित्वके सिद्धान्तको मांटेगु-चेम्सफोर्ड शासन-सुधारमें स्थान नहीं दिया गया। एक्जिक्यूटिव कौंसिलर व्यवस्थापिका सभाके सामने उत्तरदायी नहीं बनाये गये।

कानून बनानेके लिये प्रत्येक प्रान्तमें कौंसिल स्थापित की गयी। इसमें कुछ तो गवर्नर द्वारा मनोनीत सदस्य रखे गये, परन्तु अधिकांश संख्या रखी गयी निर्वाचित सदस्योंकी। मुसलमान, सिख, जमीन्दार, व्यापारी-मण्डल, एंग्लो-इण्डियन आदिको पृथक् प्रतिनिधित्वका अधिकार दिया गया और इनका निर्वाचन भी अपने वर्ग या जाति द्वारा ही होना स्थिर हुआ। मनोनीत सदस्योंमें कुछ तो सरकारी अफसर और कुछ गैरसरकारी सदस्य रहते थे। मांटेगु-चेम्सफोर्ड शासन-सुधार द्वारा नागरिकोंको व्यवस्थापिका सभाके लिये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथा (Direct election) द्वारा अपने प्रतिनिधि चुननेका अधिकार दिया गया। निर्वाचकोंकी योग्यताका आधार मुख्यतया शिक्षा तथा सम्पत्तिको रखा गया, इसलिये इतने बड़े देशमें निर्वाचकोंकी संख्या जितनी अधिक होनी चाहिये उतनी नहीं हुई। प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाके जीवनकी अवधि तीन साल रखी गयी, परन्तु गवर्नरको यह अधिकार दिया गया कि

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

वे यदि आवश्यक समझें तो इसको निश्चित अवधिके पहले भी भंग करके नये निर्वाचनका आदेश जारी कर सकते हैं, और यदि चाहें तो कौंसिलके जीवनकी निश्चित अवधि समाप्त होनेके पहले इसके जीवनको बढ़ानेकी घोषणा भी कर सकते हैं। १६३२-३३ ई० में इसीके अनुसार कई प्रान्तीय गवर्नरोंने प्रान्तीय कौंसिलोंके जीवनकी अवधि दो-दो बार बढ़ायी थी। प्रान्तीय कौंसिलोंको प्रान्तीय शासनसे सम्बन्ध रखनेवाले विषयोंके सम्बन्धमें कानून बनाने और प्रस्ताव पास करनेका अधिकार दिया गया। परन्तु साथ ही गवर्नरको कौंसिल द्वारा पास किये गये कानूनको अपने विशेष अधिकार (Power of Veto) द्वारा रद्द करने तथा कौंसिल द्वारा अस्वीकृत सरकारी 'बिल' को सर्टीफाई करनेका भी अधिकार दिया गया था।

केन्द्रीय शासनका भार सकौंसिल गवर्नर-जनरलको दिया गया। यह व्यवस्था की गयी कि केन्द्रीय शासनके विभिन्न विभागोंके प्रधान अफसर गवर्नर-जनरलकी शासन सभाके सदस्य होंगे। कानून, अन्तरङ्ग शासन, वाणिज्य-व्यवसाय, शिक्षा आदि विभाग अलग-अलग एक्जिक्यूटिव कौंसिलरके अधीन रखे गये। कानून आदि बनानेके लिये केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्की दो सभाएं बनायी गयीं। इनमेंसे एकका नाम पड़ा 'कौंसिल आव स्टेट' और दूसरेका 'लेजिस्लेटिव असेम्बली'। 'कौंसिल आव स्टेट' के ६० सदस्य और असेम्बलीमें १४४ सदस्य रहना स्थिर हुआ। दोनों ही सभाओंमें अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथानुसार

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होते थे, परन्तु 'कौंसिल आव स्टेट' में पचीस और असेम्बलीमें चालीस मनोनीत सदस्य भी रखे गये। बजट पहले असेम्बलीमें ही पेश किया जा सकता था और इसमें पास हो जानेके बाद 'कौंसिल आव स्टेट' में जा सकता था, परन्तु अन्य बिल दोनोंमेंसे किसी सभामें पहले पेश किये जा सकते थे। दोनो सभाओंमें पास हो जाने और गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति मिल जानेपर ही कोई 'बिल' कानून बन सकता था। इस प्रकार केन्द्रीय शासन-सम्बन्धी कानून बनानेका अधिकार केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदोंको था। परन्तु इनके द्वारा पास किये हुए किसी 'बिल' को गवर्नर-जनरल रद्द कर सकते थे, या किसी विचाराधीन 'बिल' पर वे बहस बन्द कर देनेके लिये व्यवस्थापिका परिषदको आदेश दे सकते थे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, गवर्नर-जनरलको यह अधिकार दिया गया कि किसी सरकारी 'बिल' को व्यवस्थापिका परिषदकी दोनोंमेंसे कोई सभा यदि अस्वीकार कर दे तो वेअपने विशेषाधिकार (Power of Certification) द्वारा उसे पास कर दे सकते हैं। 'फिनैन्स बिल' के सम्बन्धमें उन्होंने इस अधिकारका उपयोग कई बार किया। उन्हें किसी विशेष परिस्थितिके उपस्थित होनेपर नया कानून (Ordinance) जारी करनेका भी अधिकार दिया गया और ऐसा कानून ६ महीने तक लागू हो सकता था। सविनय कानून-भंग आन्दोलनके समय इसी अधिकारके अनुसार गवर्नर-जनरलने कई नये कानून या आर्डिनेन्स जारी किये थे।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सन् १९१९ से १९३५ ई० तक

गत यूरोपीय महायुद्धमें भारतने मित्र राष्ट्रोंकी काफी मदद की थी। स्वयं महात्मा गांधी तकने युद्धमें जानेके लिये सैनिकोंकी भर्तीका जोरदार समर्थन किया था। करीब पन्द्रह लाख भारतीय सैनिकोंने युद्ध-क्षेत्रमें अपनी वीरताका परिचय दिया, जिनमेंसे लगभग १०६००० से भी ज्यादा खेत रहे। खाद्य-पदार्थ एवं अन्य सामग्री पहुंचानेमें भी भारत बहुत आगे रहा। भारतने ब्रिटेनको पचास लाख टन गेहूं दिया था और आर्थिक सहायताकी तो बात ही क्या! भारतसे जो फौज लड़नेके लिये भेजी गयी थी, उसका खर्च तो भारत देता ही था, जो लगभग तीन करोड़ पौण्ड सालाना पड़ता था, परन्तु इसके अलावा भारत-सरकारने १९१७ ई० में लड़ाईके लिये दस करोड़ पौण्ड और भी दिये। अन्य प्रकारसे जो युद्धके लिये यहां धन संग्रह किया गया और देशी नरेशोंने जो चन्दे दिये, वे थे इससे अलग!

स्वभावतः इसका प्रभाव देशकी आर्थिक स्थितिपर पड़े बिना नहीं रह सकता था। महायुद्धके पहले जहां भारत-सरकारकी आर्थिक-स्थिति बहुत ही अच्छी थी, वहां युद्धके दिनोंमें इसे टैक्स लगाकर बजटको पूरा करना पड़ता था और धीरे-धीरे टैक्सोंका बोझ इतना बढ़ा कि १९१८ ई० तक तो वह असह्य हो चला था। यह सब होते हुए भी भारतने लड़ाईके समय ब्रिटेनके कन्धेसे कन्धा मिलाकर उसके शत्रुओंको पराजित करनेमें कुछ उठा नहीं रखा। इसपर मतभेद हो सकता है कि ब्रिटेनसे इस सेवाके पुरस्कार-

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

स्वरूप स्वराज्य प्राप्त करनेके लिये ही भारतीयोंने उसकी ऐसी मदद की थी, परन्तु यह तो एक प्रकट बात है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अनेक बार यह घोषित कर चुके थे कि संसारके छोटेसे छोटे राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रताको सुरक्षित रखनेके लिये ही यह लड़ाई लड़ी जा रही है।

उधर १६१७ ई० के २० अगस्तको एक घोषणा प्रकाशित करके भारत को भी आशा दिलायी गयी थी, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, इसलिये भारतवासियोंको निस्सन्देह यह आशा थी कि उनकी स्वराज्य-की मांग व्यर्थ न जायगी। परन्तु महायुद्ध समाप्त हो जानेके बादकी घटनाओंसे लोगोंको भारी निराशा और क्षोभ हुआ। मांटेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्टसे राष्ट्रवादियोंको भारी निराशा हुई थी और इसे स्वीकार करने या न करनेके प्रश्नपर ही कांग्रेसके अन्दर माडरेट और उग्र विचारवालोंमें फूट पड़ गयी तथा माडरेटोंने कांग्रेससे पृथक अपनी एक संस्था कायम कर डाली। इधर जब युद्ध-क्षेत्रसे भारतीय सैनिक स्वदेश लौटे तो वे बड़ी-बड़ी आशाएं लेकर लौटे थे, परन्तु उन्होंने देखा कि पंजाबमें अकाल छा रहा है और दमनका दौरदौरा है तथा 'रौलट-एक्ट' की तैयारी हो रही है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि जिन लोगोंने महायुद्धमें मित्रराष्ट्रोंकी विजयके लिये अपना खून बहानेमें तनिक भी संकोच नहीं किया, उन्हें स्वदेश लौटनेपर कैसी निराशा हुई होगी। अन्तमें १६१६ ई० के मार्चमें 'रौलट एक्ट' पास हो गया और इसके फल स्वरूप देश भरमें भारी क्षोभ उत्पन्न हो गया। उन्हीं दिनों जलियानवाला बागकी दुःखद घटना भी हुई।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

इसके अलावा, महायुद्धमें मित्र-राष्ट्रों द्वारा मुसलिम राष्ट्र टर्कीके पराजित होनेके कारण भारतीय मुसलमानोंमें भी भारी आशंका और सन्देहका वातावरण फैल रहा था। अफवाह उड़ रही थी कि टर्की राज्यान्तर्गत मुसलिम धर्मस्थान भी गैर-मुसलिम राष्ट्रोंके अधिकारमें दे दिये जायंगे। टर्कीने जब युद्धमें जर्मनीका साथ देनेका निश्चय किया उसी समयसे भारतीय मुसलमानोंमें कुछ बेचैनी पैदा हो गयी थी, लेकिन उन्हें विश्वास दिलाया गया कि युद्धके पश्चात् टर्की राज्यान्तर्गत स्थानोंके लिये भी राष्ट्रीयता तथा स्वभाग्य-निर्णयके सिद्धान्त बरते जायंगे और मुसलमानोंके धार्मिक स्थानों तथा खिलाफतके मामलेमें हस्तक्षेप नहीं किया जायगा, परन्तु युद्ध समाप्त होते ही मित्र-राष्ट्रोंके बीच टर्कीको जर्मनीका साथ देनेके कारण दण्ड देनेकी चर्चा चल पढ़ी। टर्कीके टुकड़े टुकड़े करके कोई भाग किसीको तथा कोई किसी दूसरे राष्ट्रको दे देने तथा यहूदियोंको फिलस्तीनमें फिरसे अपना देश बनाने और अरेबियामें हुसेनको हज्जाजका शरीफ स्वीकार करने, सीरियाको फ्रान्सके तथा इराकको इङ्गलैण्डके अधीन कर देनेकी बातचीत होने लगी। इन बातोंसे भारतीय मुसलमानोंमें भारी हलचल पैदा हो गयी। उनका विश्वास था कि टर्कीका सुलतान ही मुसलिम धार्मिक स्थानोंका वास्तविक रक्षक—अर्थात् खलीफाके पदका हकदार हो सकता है। इसलिये भारतमें खिलाफत आन्दोलनका सूत्रपात हुआ।

राष्ट्रीय आन्दोलनका नया रूप

जालियानवालाबाग काण्ड और खिलाफतके प्रश्नने सारे देशमें

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

भारी हलचल पैदा कर दी ;और १६१६ ई० के मांटेगु-चेम्सफोर्ड शासन-सुधार कानूनसे तो लोगोंको निराशा हुई ही थी, इसीलिये महात्मा गांधीके नेतृत्वमें १६२० ई० में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनने बिलकुल एक नया रूप धारण किया। १६२० ई०के सितम्बर महीनेमें पंजाब-केसरी लाला लाजपतरायजीकी अध्यक्षतामें कलकत्तेमें कांग्रेसका एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय मांग और इसको स्वीकार करानेके लिये असहयोगका कार्यक्रम पास किया गया। असहयोगके कार्यक्रममें नये विधानके अनुसार बननेवाली कौंसिल और केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदके बहिष्कारको भी स्थान दिया गया था। इसलिये राष्ट्रवादियोंने १६२० ई० के कौंसिल-निर्वाचनमें भाग नहीं लिया। फिर भी, नरम विचारवाले भारतीय कौंसिल तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिक परिषदोंमें गये ही और १६२१ ई०के आरम्भमें सम्राटकी ओरसे 'ड्यूक आव कन्नौट' ने नये शासन-सुधारका उद्घाटन किया। किन्तु असहयोग आन्दोलनने ऐसा जोर पकड़ा कि नया शासन-सुधार लोगोंको अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सका। परन्तु चौरीचौरा काण्डके बाद जब महात्मा गांधीने बारडोलीमें होनेवाले सत्याग्रहको अनिश्चित कालतकके लिये स्थगित कर दिया तो सारे देशमें इसकी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ने लगी; समस्त देशमें मुर्दनी छा गयी और 'यंग इण्डिया' नामक पत्रमें प्रकाशित तीन लेखोंके लिये महात्मा गांधीको छ सालकी कैदकी सजा दी गयी। महात्मा गांधीके जेल चले जानेके बाद तो, कुछ समय तक, देशमें मानो राष्ट्रीय आन्दोलन रहा ही नहीं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

फिर १६२२ ई०के दिसम्बरमें गयामें देशबन्धु चित्तरंजन दासके सभापतित्वमें होनेवाले कांग्रेस-अधिवेशनके बाद नये विधानके विफल करनेके लिये दूसरे प्रकारका प्रयत्न आरम्भ हुआ। देशबन्धु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और देशभक्त विट्ठलभाई पटेल आदिका मत था कि कौंसिल तथा असेम्बलीके भीतर पहुंच कर अड़ंगा-नीति (Policy of obstruction) द्वारा नये विधानको नष्ट किया जाय। कांग्रेसके अपरिवर्तनवादी विचारवाले नेता इससे सहमत नहीं थे। गया कांग्रेसके खुले अधिवेशनमें यद्यपि अपरिवर्तनवादियोंकी जीत हुई, परन्तु तो भी इसके बाद ही कौंसिल प्रवेशके समर्थक नेताओंके नेतृत्वमें स्वराज्य पार्टीकी स्थापना हुई जिसने कौंसिल और असेम्बलीपर कब्जा करनेके लिये नया चुनाव लड़नेके हेतु देशमें प्रचार आरम्भ कर दिया। १९२४ ई०में जब नया निर्वाचन हुआ तो स्वराज्य पार्टीने इसमें भाग लिया। उस समय तक कांग्रेसके नामपर चुनाव लड़नेकी अनुमति इन्हें कांग्रेससे नहीं मिली थी। फिर भी मध्य प्रान्तीय कौंसिलमें स्वराज्य पार्टीका बहुमत हुआ और बंगाल कौंसिलमें भी स्वराज्य पार्टीके सदस्य अन्य पार्टियोंसे अधिक संख्यामें चुने गये। वहां भी यदि मनोनीत सदस्य न होते तो इसका स्पष्ट बहुमत अवश्य ही रहता। फिर भी देशबन्धु चित्तरंजनदासके नेतृत्वमें इतना तो हुआ ही, कि मिनिस्टर अपने पदपर टिके न रह सके और हस्तान्तरित विभागों का कार्य-संचालन भी कौंसिल-युक्त गवर्नरको ही अपने हाथमें लेना पड़ा। दुबारा मंत्रि-मण्डल कायम करनेकी चेष्टा की गयी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

LIBRARY
Jangamawadi Math, Varanasi
Acc. No. ....2768...........

परन्तु फिर वही दशा हुई। उधर मध्य प्रान्तीय कौंसिलमें तो स्वराजिस्टोंका स्पष्ट बहुमत था, इसलिये वहां मंत्रि-मण्डल कायम रहना असम्भव था। इस प्रकार मांटेगु-चेम्सफोर्ड शासन-सुधारको कमजोरियां साफ तौरपर स्वयं अधिकारियोंको भी मालूम हो गयीं और बादमें सर अलेक्जेण्डर मुडीमैनकी अध्यक्षतामें भारत-सरकारने जो सन् १९१९ ई० के विधानके अनुसार होनेवाले कार्योंकी जांचके लिये एक कमेटी नियुक्त की थी, उसके सामने पेश करनेके लिये विहार-सरकारकी ओरसे इसके फिनैन्स मेम्बर श्रीयुक्त सच्चिदानन्द सिंहने जो वक्तव्य तैयार किया था, उसमें उन्होंने साफ तौरपर स्वीकार किया था कि द्वैध शासन-प्रणाली (System of Dyarchy) इतनी त्रुटिपूर्ण है कि इसके अनुसार कार्य चलना मुश्किल है। संयुक्त प्रान्तीय सरकारके मिनिस्टर श्रीयुक्त चिन्तामणिने भी अपने अनुभवके आधारपर साफ शब्दोंमें ऐसी ही बात कही थी। स्वयं मुडीमैन कमेटीको भी दबी जुबानमें द्वैध-शासनकी त्रुटियां स्वीकार करनी पड़ीं। ये त्रुटियां ऐसी थीं, जो १९१९ ई० के 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' में सुधार हुए बिना दूर नहीं की जा सकती थीं।

उधर असेम्बलीमें भी स्वराजिस्ट सदस्य पहुंच गये थे और १९२४ ई० में इस दलके नेता पंडित मोतीलाल नेहरूने नया भारतीय शासन-विधान-योजना तैयार करनेके हेतु 'राउण्ड टेबल कानफरेन्स' का आयोजन करनेके लिये ब्रिटिश गवर्नमेंटसे अनुरोध करनेके लिये असेम्बलीमें प्रस्ताव पेश किया। सरकारकी ओरसे इस प्रस्तावका जबर्दस्त विरोध किये जानेपर भी यह पास हो गया, परन्तु

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

भारत-सरकारने इसके अनुसार कार्य नहीं किया। दूसरे वर्ष फिर पंडितजीने इसी आशयका प्रस्ताव पेश किया और इस बार भी वह स्वीकृत हो गया, परन्तु तो भी सरकारने स्वराजिस्ट नेताके इस सुझावको स्वीकार नहीं किया।

स्वराज्य-पार्टीका असेम्बलीमें जानेका एक उद्देश्य यह भी था कि संसारको यह दिखा दें कि भारतका शासन जन-प्रतिनिधियोंके मतानुसार नहीं हो रहा है। उस वर्ष असेम्बली द्वारा नमक-टैक्स घटा दिये जानेके बाद भी गवर्नर-जनरलने अपने विशेष अधिकार द्वारा उसे सर्टीफाई (Certify) करके पास कर दिया; 'फिनैन्स-बिल' को भी, असेम्बलीमें अस्वीकृत हो जानेपर भी, इसी प्रकार गवर्नर-जनरलने पास कर दिया। इन घटनाओंसे साफ मालूम हो गया कि मांटेगु-चेम्सफोर्ड शासन-सुधारके अनुसार भारतको जो अधिकार दिये गये हैं, उनका क्या मूल्य है और अंग्रेज राजनीतिज्ञोंका जो यह दावा है कि भारतका शासन भारतीय लोकमतके अनुसार होता है, वह कहां तक ठीक है।

नेहरू-रिपोर्ट

यह तो हुआ 'कांग्रेस स्वराज्य-पार्टी' के कार्यका एक पहलू, जिसे उसके विरोधी ध्वंसात्मक कार्य कहते थे; परन्तु स्वराज्य-पार्टीके कार्यका एक दूसरा पहलू भी है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। उन दिनों ब्रिटिश-शासनसूत्र वहांके अनुदार दलके हाथोंमें था और भारतमंत्रीके पदपर लार्ड बर्केनहेड विराजमान थे। उन्होंने भारतके सर्वसम्मत शासन-विधानकी योजना तैयार करनेका चैलेंज दिया

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

था। 'कांग्रेस स्वराज्य-पार्टी' के नेता पंडित मोतीलाल नेहरूने इस चैलेंजको स्वीकार कर लिया और सर्वसम्मत विधानकी योजना तैयार करनेके लिये वम्बईमें सर्वदल-सम्मेलनका आयोजन किया गया, जिसमें देशके सभी राजनीतिक दलोंके नेता सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलनने शासन-विधानकी योजना तैयार करनेके लिये एक कमेटी नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे और डाक्टर अन्सारी तथा सर तेज़वहादुर सप्रू आदि इसके सदस्य थे। नेहरू-कमेटीके अलावा कांग्रेसके भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीयुक्त विजयराघवाचार्य तथा डाक्टर एनी बेसेण्टने भी दो शासन-विधान-योजनाएं तैयार कीं। परन्तु नेहरू-कमेटीकी योजनाने सबसे अधिक लोगोंका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया।

सन् १९२८ ई० के दिसम्बरमें कलकत्तेमें होनेवाले कांग्रेस-अधिवेशनके अवसरपर नेहरू-कमेटीकी रिपोर्टपर विचार करनेके लिये डा० अन्सारीकी अध्यक्षतामें सर्वदल-सम्मेलनका आयोजन किया गया था, जिसमें सर अली इमाम, श्रीयुक्त जयकर, डा० एनी बेसेण्ट और मि० जिन्ना भी सम्मिलित हुए थे। सम्मेलनने नेहरू-रिपोर्टको पास किया और कांग्रेसने भी इसे स्वीकार कर लिया, यद्यपि मद्रासवाले अधिवेशनमें ही कांग्रेस अपना ध्येय पूर्ण स्वराज्य घोषित कर चुकी थी और नेहरू-रिपोर्टकी योजनाका मूल आधार औपनिवेशिक स्वराज्य था। कांग्रेसने पूर्ण स्वराज्यको अपना ध्येय घोषित करनेके बाद भी औपनिवेशिक स्वराज्यके आधारपर बनी हुई शासन-विधान-योजनाका समर्थन क्यों किया, इसका उत्तर उसके

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

प्रस्तावसे ही मिल जाता है। इस सम्बन्धमें कलकत्ता कांग्रेसने इस आशयका प्रस्ताव पास किया था—"यह कांग्रेस, नेहरू-रिपोर्टमें जिस शासन-विधानकी सिफारिश की गयी है उसपर विचार करनेके वाद, उसको हिन्दुस्तानके राजनीतिक और साम्प्रदायिक मसलोंको हल करनेमें वहुत सहायता देनेवाला मानकर उसका स्वागत करती है·······और यद्यपि यह कांग्रेस मद्रास-कांग्रेसके पूर्ण स्वाधीनताके निश्चयपर कायम है, फिर भी इस विधानको राजनीतिक तरक्कीका वहुत बड़ा जरिया मानकर इसे स्वीकार करती है—खासकर इस विचारसे, कि यह देशके मुख्य-मुख्य राजनीतिक दलोंमें, अधिकसे अधिक जितना मतैक्य हो सका है, उसके आधारपर तैयार किया गया है।"

साइमन कमीशन

सन् १९१९ ई० के 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की भूमिकामें ही कहा गया था कि यह एक्ट पास होनेके दस वर्ष बाद इस बातकी जांच करनेके लिये कमीशन नियुक्त किया जायगा कि नये विधानके अनुसार किस प्रकार कार्य हुआ है; और उत्तरदायित्वपूर्ण शासनका और विस्तार किया जा सकता है या नहीं। परन्तु स्वराजिस्टोंकी अड़ंगा नीतिके कारण द्वैध शासनकी जो दशा हुई थी उससे शायद स्वयं शासकोंको भी विधानमें सुधारकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी। बहुत सम्भव है कि इसी कारण, 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की भूमिकामें यद्यपि दस वर्षके बाद जांच-कमीशन नियुक्त करनेकी बात कही गयी थी, सम्राटने उससे पहले ही सन् १९२७ ई० के

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

२६ नवम्बरको सर जौन साइमनकी अध्यक्षतामें एक शाही जांच-कमीशन नियुक्त कर दिया। कमीशनमें सात सदस्य रखे गये थे, जो सबके सब अंग्रेज थे। इस कमीशनमें किसी भारतीयको स्थान न दिये जानेके कारण सभी भारतीय राजनीतिक दलोंको भारी क्षोभ हुआ और सभोंने इस कमीशनकी नियुक्तिको भारतके लिये अपमानजनक बताकर इसका जोरदार विरोध किया। कमीशनकी नियुक्तिने सारे देशमें एक नयी जागृति उत्पन्न कर दी। इस कमीशनने दो बार हिन्दुस्तानका दौरा किया—एक बार ३ फरवरी १९२८ ई० से ३१ मार्च १९२८ ई० तक और फिर दूसरी बार ११ अक्तूबर १९२८ ई० से १३ अप्रेल १९२९ ई० तक। जिस दिन कमीशन बम्बईमें उतरा उस दिन समस्त देशमें हड़ताल रही और इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया गया तथा देशमें जहां-जहां कमीशन गया वहां हजारोंकी संख्यामें प्रदर्शनके लिये उपस्थित प्रदर्शनकारियोंने काले झण्डे तथा 'साइमन लौट जाओ' के नारे बुलन्द करके कमीशनका विरोध किया। प्रदर्शन शान्तिपूर्ण था, परन्तु लाहोरमें साइमन कमीशनके विरुद्ध होनेवाले प्रदर्शनका नेतृत्व करते समय लाला लालपतराय पुलिसके डण्डेसे घायल हुए और इस घटनाके थोड़े ही दिनोंके बाद उनका स्वर्गवास हो गया।

साइमन कमीशनके सामने राष्ट्रवादियोंका तो कहना ही क्या, प्रतिष्ठित माडरेट नेता भी अपना वक्तव्य देनेके लिये उपस्थित नहीं हुए। फिर भी, ऐसे लोगोंका सर्वथा अभाव नहीं था जो उसके सामने अपने विचार पेश करनेके लिये उपस्थित हुए। जांच समाप्त

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

करनेके बाद साइमन कमीशनने जो रिपोर्ट दी वह १९३० ई० की मईमें पार्लमेंटमें पेश की गयी। राष्ट्रवादियोंके क्या विचार हैं और भारतीयोंकी राष्ट्रीय मांग क्या है तथा उनकी क्या योजना है, यह सब साइमन कमीशनको मालूम करनेका काफी मौका मिल चुका था, क्योंकि उस समय तक नेहरू-रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी और सर जौन साइमनको इसे देखनेका अवसर मिला था। तो भी कमीशनने जो सिफारिश की उससे लोगोंको और भी अधिक क्षोभ हुआ। साइमन कमीशनने मताधिकार बढ़ानेकी सिफारिश की थी और साथ ही यह भी कहा था कि हिन्दुस्तानका भावी शासन-विधान फेडरल ढंगका हो—अर्थात् विभिन्न प्रान्तोंका एक संघ-राज्य कायम हो तथा अभी केवल प्रान्तोंमें उत्तरदायित्वपूर्ण शासनाधिकार दिया जाय। साइमन कमीशनने यह भी संकेत किया था कि ब्रिटिश भारतीय प्रान्तोंका फेडरेशन ऐसा हो कि उसमें यदि देशी राज्य भी सम्मिलित होना चाहें, तो बादमें वे सम्मिलित हो सकें। इस कमीशनकी रिपोर्टका ही परिणाम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंटने भावी भारतीय शासन-विधानकी योजना तैयार करनेके लिये 'राउण्ड टेबल कानफरेन्स' का आयोजन किया। 'राण्ड टेबल कानफरेन्स' तीन बार बुलायी गयी और पहली बारकी कानफरेन्सका अधिवेशन १२ नवम्बर १९३० ई० को आरम्भ हुआ, जिसमें अंग्रेज प्रतिनिधि और भारतके मनोनीत नरमदली तथा साम्प्रदायिक हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि तथा देशी नरेश भी सम्मिलित हुए थे।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

राउण्ड टेबल कानफरेन्स

'साइमन कमीशन' की रिपोर्ट पार्लमेंटमें पहुंचनेके पहले ही हिन्दुस्तानमें फिर महात्मा गांधीके नेतृत्वमें सविनय कानून-भंग आन्दोलन छिड़ चुका था और जिस समय पहली 'राउण्ड टेवल कानफरेन्स' का अधिवेशन आरम्भ हुआ उस समय तक पचास हजारसे अधिक लोग कानून-भंग आन्दोलनके सिलसिलेमें जेलोंमें पहुंच चुके थे। 'राण्ड टेवल कानफरेन्स' में सम्मिलित होनेके लिये जो भारतवासी लन्दन गये थे उनको लोग साधारणतः देशहितपर आघात पहुंचानेवाला समझते थे। 'राण्ड टेबल कानफरेन्स' के अधिवेशनमें भाषण देते हुए हिन्दू महासभाके सभापति डा० मुंजेने स्पष्ट शब्दोंमें यह स्वीकार किया था।

पहली 'राउण्ड टेबल कानफरेन्स' में भाषणोंकी खासी सरगरमी रही। सर तेजबहादुर सप्रू, श्रीयुक्त जयकर, डा० मुंजे और मौ० मुहम्मद अली आदिने देशकी कमसे कम मांग (Minimum demand) पेश की और देशी नरेशोंने भी फेडरेशनके सिद्धान्तका समर्थन किया। पहली कानफरेन्स यद्यपि १६ जनवरी १९३१ ई० तक होती रही, इसमें विचारोंके आदान-प्रदानके अतिरिक्त यही बात तय हो सकी कि भावी विधानका ढांचा फेडरेशनके आधारपर बनाया जाय। इस प्रकार पहली 'राउण्ड टेबल कान्फरेन्स' समाप्त हुई और भारतीय प्रतिनिधि स्वदेश लौटे। यहां उस समय भी सविनय कानून-भंग आन्दोलन जोरोंपर था। यहां आनेके बाद सर तेजबहादुर सप्रू और श्रीयुक्त जयकरने बीचमें पड़कर सरकार

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

और कांग्रेसके बीच समझौता करानेका प्रयत्न किया। वायसराय लार्ड इर्विन भी शान्ति चाहते थे और वे जानते थे कि देशमें सबसे प्रभावशाली राजनीतिक संस्था कांग्रेस ही है, इसलिये किसी भी भावी विधानकी सफलताके लिये कांग्रेस तथा गांधीजीका सहयोग प्राप्त करना जरूरी होगा। अतएव उन्होंने सर तेजबहादुर सप्रू और श्रीयुक्त जयकरको शान्ति-दूत बनकर महात्मा गांधीसे यरवदा जेलमें मिलनेकी सुविधाएं दीं। जयकर-सप्रूका प्रयत्न किसी हदतक सफल हुआ और महात्मा गांधी तथा वायसराय लार्ड इर्विनके बीच अस्थायी समझौता हो जानेके कारण कानून-भंग आन्दोलन स्थगित कर दिया गया। इस समझौतेके फलस्वरूप दूसरी 'राउण्ड टेबल कानफरेन्स' में कांग्रेसकी ओरसे इसके एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी सम्मिलित हुए और श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा पं० मदनमोहन मालवीय भी प्रतिनिधि मनोनीत होकर इसमें सम्मिलित होनेके लिये लन्दन गये थे।

दूसरी 'राउण्ड टेबल कानफरेन्स' में महात्मा गांधीने अपने प्रथम भाषणमें ही कांग्रेसकी स्थिति स्पष्ट शब्दोंमें बताते हुए कांग्रेसकी ओरसे "पूर्ण स्वराज्य" की मांग पेश की। कराची-कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार आपने यह मांग पेश की थी और यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत यद्यपि ब्रिटेनके साथ सम्बन्ध बनाये रखना चाहता है, परन्तु बिलकुल बराबरीके साझेदारकी हैसियतसे। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्लीमें कांग्रेस तथा वायसरायके बीच जो समझौता हुआ है उसके अनुसार हम इस सिद्धान्तको मानते हैं कि भावी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

शासन-विधान फेडरल ढंगका हो और केन्द्रीय शासन उत्तरदायित्व-पूर्ण हो; हां, हम ऐसे संरक्षण स्वीकार करनेके लिये तैयार हैं जो भारतके हितके लिये आवश्यक होंगे। इसके बाद साम्प्रदायिक प्रश्नपर विचार करनेके लिये 'राउण्ड टेबल कानफरेन्स' ने जो उप-समिति नियुक्त की थी, उसमें महात्मा गांधीने समझौतेकी बड़ी चेष्टा की, परन्तु साम्प्रदायिकतावादी प्रतिनिधियोंने उनके प्रयत्नोंको सफल नहीं होने दिया। राष्ट्रवादियोंका तो विश्वास है कि भारतीय स्वाधीनताके विरोधी अंग्रेजोंके बहकावेमें पड़कर ही मुसलमान तथा अन्य अल्प-संख्यक दलोंने समझौतेके मार्गमें इस प्रकार रोड़े अटकाये थे। इसलिये स्वयं ब्रिटिश प्रधानमंत्री मि० मेकडोनल्डने साम्प्रदायिक प्रश्नका निर्णय करनेका भार अपने ऊपर लिया। अन्तमें दूसरी 'राउण्ड टेबल कानफरेन्स' में भी कोई विशेष ठोस कार्य नहीं हो सका और भारतीय प्रतिनिधि जैसे गये थे, वैसे ही खाली हाथ स्वदेश लौटे।

महात्मा गांधी जब स्वदेश लौट रहे थे, तबतक यहां फिर तनातनी बढ़ रही थी और संयुक्त प्रान्तमें लगानबन्दी आन्दोलन शुरू होनेके आसार नजर आ रहे थे; बङ्गालमें आतङ्कवादके दमनके लिये कठोर कानूनोंका प्रयोग हो रहा था। महात्मा गांधी जब भारत लौटे, तबतक वातावरणमें काफी सरगरमी पैदा हो चुकी थी। उन्होंने वायसरायसे भेंट करनेके लिये पत्र भेजा और तार दिया, परन्तु वायसरायने गांधीजीसे मिलनेसे इनकार कर दिया। इसके बाद ही फिर सविनय कानून-भंग आन्दोलन आरम्भ हो गया और

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

साथ ही जोरोंका दमन भी। परन्तु नये शासन-विधानके सम्बन्धमें भी कार्य होता रहा। तीसरी 'राउण्ड टेबल कानफरेन्स'में कांग्रेसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। तीसरी राउण्डटेबल कानफरेन्स-के ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधियोंने एक सम्मिलित मेमोरण्डम तैयार करके ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीके पास भेजा था, जिसमें उन्होंने अपनी सर्वसम्मत 'कमसे कम मांग' पेश की थी। परन्तु ब्रिटिश गवर्न-मेण्टने जब बादमें तीनों राउण्डटेबल कानफरेन्सोंकी कार्यवाहीके पश्चात् सन् १९३३ ई० के मार्चमें भारतीय शासन-विधान सम्बन्धी अपनी योजना—ह्वाइटपेपर—प्रकाशित की, उसमें ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधियोंको इस संयुक्त मांगकी अपेक्षा ही की गयी थी।

ह्वाइटपेपर।

शासन विधानको सरकारी योजनासे उन लोगोंको भी सन्तोष नहीं हुआ, जो 'राउण्ड टेबल कानफरेन्स' से बड़ी-बड़ी आशाएं रखते थे। 'ह्वाइटपेपर' की योजनाके विरुद्ध प्रायः सभी भारतीय राजनीतिक दलोंने आवाज उठायी और कांग्रेसने तो स्पष्ट शब्दोंमें इसे अस्वीकार कर देनेका प्रस्ताव पास किया। सन् १९३४ ई० में जब असेम्बलीका नया निर्वाचन होने लगा तो कांग्रेसने इसमें भाग लेनेका निश्चय किया और 'ह्वाइट पेपर' की योजनाको रद्द करना उसके इस निर्वाचन-युद्धका मुख्य आधार था। निर्वाचनमें कांग्रेस दलको सफलता मिली और कई प्रान्तोंमें तो जनरल निर्वाचन क्षेत्रसे कांग्रेस-उम्मीदवारके मुकाबले एक भी दूसरा आदमी नहीं चुना जा सका। असेम्बलीमें 'ह्वाइट पेपर' की योजनाके विरुद्ध कांग्रेस पार्टीने

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

जो प्रस्ताव पेश किया था वह यद्यपि नहीं पास हुआ, परन्तु इण्डिपेण्डेण्ट पार्टीका संशोधन कांग्रेस दलके सहयोगसे पास हो गया। इसका अभिप्राय भी प्रस्तावित सरकारी शासन-सुधार-योजनाको अस्वीकार करना ही था।

परन्तु ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 'ह्वाइट पेपर' की योजनामें पार्लमेंटरी ज्वायंट कमेटीने जो संशोधन किया था, थोड़ेसे हेर-फेरके साथ ब्रिटिश पार्लमेंटने उसीको २ अगस्त सन् १९३५ ई० को पास कर दिया

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

नये विधानका क्षेत्र और स्वरूप।

भौगोलिक दृष्टिसे भारतवर्ष यद्यपि एक विशाल देश है, परन्तु राजनीतिक दृष्टिसे भारतवर्ष कहनेसे इसके चार भागोंका बोध होता है। एक तो नेपाल और भूटानके स्वाधीन राज्य हैं; दूसरा है ब्रिटिश भारतके अतिरिक्त अन्य विदेशी शासनाधीन भारत; यथा चन्द्रनगर, पाण्डीचेरी, गोआ आदि; तीसरा है ब्रिटिश भारत और चौथा है भारतीय देशी राज्य। परन्तु इस देशके अधिकांश भागपर ब्रिटेनका शासन है, और देशी नरेशोंका। किन्तु हमारे देशी-नरेश भी बहुत अंशोंमें ब्रिटिश सम्राट्के अधीन हैं और सम्राट्के प्रतिनिधि वायसरायका इनपर काफी प्रभाव रहता है। इसलिये साधारणतः भारत कहनेसे ब्रिटिश भारत और देशी नरेशोंके अधीन राज्योंका ही बोध होता है। अब १९३५ ई० के "गवर्नमेण्ट आव इण्डिया एक्ट" के रूपमें जो नया भारतीय शासन-विधान पास हुआ है इसका सम्बन्ध भारतके इसी भागसे है, जिसका क्षेत्रफल पन्द्रह लाख बीस हजार वर्गमील और जनसंख्या करीब चौंतीस करोड़ है। सन् १९३५ ईस्वीका 'गवर्नमेण्ट आव इण्डिया एक्ट' लागू होनेके पहलेतक जो भी भारतीय शासन-सुधार पास किये गये थे, उनका सम्बन्ध ब्रिटिश भारतसे ही था। ब्रिटिश भारतके शासनमें न तो देशी नरेशोंका कोई हाथ था और न देशी रियासतोंके शासनमें ब्रिटिश भारतका। परन्तु वर्तमान शासन

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सुधारकी आधार-शिला है 'फेडरेशन'का सिद्धान्त। फेडरेशनका अभिप्राय साधारणतः ऐसे राज्य-संघसे है, जिसके अन्दर अनेक ऐसे राज्य हों, जो अन्तरंग शासनमें तो स्वाधीन हों, परन्तु जिन विषयोंका सम्बन्ध एकाधिक अथवा सभी राज्योंसे हो, उनकी व्यवस्था एक केन्द्रीय सरकारके अधीन हो। अमेरिकन संयुक्त राज्य और कनाडाके शासन-विधान फेडरेशन या संघात्मक शासन-विधानके नमूने हैं।

नये भारतीय शासन-विधानका ढांचा ऐसा बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत देशी राज्य भी आ सकते हैं; परन्तु उन्हें इसमें सम्मिलित होनेके लिये वाध्य नहीं किया जा सकता है; वे स्वेच्छा-पूर्वक यदि इसमें सम्मिलित होनेकी इच्छा प्रकट करेंगे, तभी फेडरे-शनकी स्थापना हो सकती है।

इस प्रकार फेडरेशनके अन्तर्गत ब्रिटिश भारतके गवर्नरों और चीफ कमिश्नरके शासनाधीन प्रान्त तथा स्वेच्छापूर्वक इसमें शामिल होनेकी इच्छा प्रकट करनेवाले देशी राज्य ही सम्मिलित रहेंगे। परन्तु वर्तमान शासन-विधानकी आधार-शिला यद्यपि फेडरेशनको माना गया है,फिर भी इसका अर्थ यह नहीं कि जबसे नये विधानके अनुसार कार्य आरम्भ होगा, उसी दिन फेडरेशन भी कायम हो जायगा। विधानमें फेडरेशनकी स्थापनाके लिये जो शर्तें रखी गयी हैं, उनसे भी यह प्रकट है कि नये विधानके अनुसार पहले ब्रिटिश भारतके प्रान्तीय शासनमें ही परिवर्तन होगा और उसके कुछ काल पश्चात् फेडरेशनकी शर्तें पूरी होनेपर ही

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

केन्द्रीय शासन व्यवस्थामें परिवर्तन होकर फेडरेशनकी स्थापना होगी।।

भारतवर्ष जैसे विशाल देशके लिये फेडरेशनके आधारपर ही सर्वोत्तम शासन व्यवस्था हो सकती है, बहुतेरे लोगोंका यही मत रहा है और 'दूसरी राउण्डटेबल कानफरेन्स' में सम्मिलित होनेके पहले तत्कालीन वायसराय लार्ड इर्विनने जब महात्मा गांधीके साथ समझौतेकी बातचीत आरम्भ की थी, उस समय उन्होंने भी इस बातपर जोर दिया था कि कांग्रेस इस बातको स्वीकार कर ले कि भावी शासन-विधानका आधार फेडरेशन ही होगा। इसपर विशेष आपत्तिकी कोई बात न होती, यदि फेडरेशनके लिये ऐसी कोई शर्त न रखी जाती, कि देशी राज्य जब फेडरेशनमें सम्मिलित होनेके लिये तैयार होंगे तभी फेडरेशन कायम हो सकता है।

ब्रिटिश भारतके प्रान्तों तथा देशी राज्योंकी शासन व्यवस्थामें बहुत बड़ा अन्तर है। ब्रिटिश भारतके प्रान्तीय शासनमें नागरिकोंको जितना अधिकार प्राप्त है, देशी राज्योंकी प्रजाको उतना अधिकार भी अभीतक नहीं मिला है। देशी राज्योंमें अभी एक प्रकारसे देशी नरेशोंका स्वेच्छाचारी शासन (Autocratic rule) ही कायम है और ऐसे राज्योंकी संख्या अभीतक शायद एक दर्जन भी नहीं है, जहां जन-प्रतिनिधियोंकी व्यवस्थापिका सभा कायम की गयी हो और उसे कानून बनाने तथा शासन-संचालन सम्बन्धी नीति स्थिर करनेमें लोकमत प्रकट करनेका अवसर दिया जाता हो। इसलिये भारतीय राजनीतिज्ञोंमें स्वभावतः ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

तथा ऐसे देशी राज्योंके फेडरेशनके प्रस्तावसे कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ता था।

ब्रिटिश भारतीय राजनीतिज्ञोंको ही नहीं, बल्कि स्वयं देशी नरेशोंको भी फेडरेशनके सम्बन्धमें आशंका थी। इसका कारण यह है कि सिद्धान्तकी दृष्टिसे यद्यपि भारतीय देशी नरेश ब्रिटिश सम्राट्की छत्रछायाको स्वीकार कर चुके हैं, व्यावहारिक दृष्टिसे वे अपनेको अपने राज्यका एकछत्र-शासक समझते हैं। ब्रिटिश सम्राट्की अधीनता इन्होंने किसी कानूनके अनुसार नहीं, बल्कि सन्धि और सनद द्वारा स्वीकार की है। इन सन्धि और सनदों द्वारा सम्राट्को देशी राज्योंके सम्बन्धमें जो अधिकार और उत्तर-दायित्व दिये गये हैं, वे सम्राट्की ओरसे ऐसी भारत सरकारको न सौंप दिये जायं, जो भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्के सामने उत्तरदायी हो, इस बातकी चिन्ता देशी नरेशोंको बनी रहती थी। इसीलिये सन् १९२८ ई० में 'इण्डियन स्टेट्स कमेटी' ने अपनी रिपोर्टमें कहा था कि "देशी नरेशोंको बड़ी आशंका है और उनका यह मत है कि सम्राट् और देशी नरेशोंके बीच जो सम्बन्ध रहा है, सम्राट्के जो देशी नरेशोंके प्रति अधिकार और उत्तरदायित्व रहे हैं, वे देशी नरेशोंकी स्वीकृतिके बिना ब्रिटिश भारतकी ऐसी सरकारको कदापि न सौंपे जायं, जो भारतीय व्यवस्थापिका परि-षद्के सामने उत्तरदायी हो।"

नये भारतीय शासन-विधानको तैयार करनेमें इसके विधायकोंने देशी नरेशोंके उपर्युक्त मतको ध्यानमें रखकर कठिनाइयोंको हल

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

करनेकी कोशिश की है। फेडरेशन कायम करनेके लिये यह आवश्यक नहीं था कि देशी राज्य जब फेडरेशनमें सम्मिलित होनेके लिये तैयार हों तभी फेडरेशनकी स्थापना हो सकती है; ब्रिटिश भारतके प्रान्तोंका ही फेडरेशन कायम किया जा सकता था और देशी नरेश यदि चाहते तो बादमें फेडरेशनमें सम्मिलित हो सकते थे। संयुक्त राज्य अमेरिकामें तो पहले सिर्फ तेरह राज्योंको लेकर ही फेडरेशन कायम किया गया था और इसके बाद धीरे-धीरे अन्य राज्य भी इसमें सम्मिलित हो गये। परन्तु वर्तमान 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट' के विधायकोंको यह बात नहीं जंची; यह बात उन्हें क्यों नहीं जँची, इसपर विचार न करके यहां इतना कहना ही काफी होगा कि प्रस्तावित फेडरेशन कायम होना विशेष रूपसे देशी नरेशोंकी इच्छापर ही निर्भर है और जब कभी फेडरेशन कायम होगा, तब वह समस्त ब्रिटिश भारत और स्वेच्छापूर्वक इसमें सम्मिलित होनेवाले देशी राज्योंका ही फेडरेशन होगा।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

भारतीय फेडरेशन

पिछले अध्यायमें बताया जा चुका है कि फेडरेशनकी स्थापना-के लिये जो शर्तें रखी गयी हैं, उनकी पूर्तिके बाद ही फेडरेशनकी स्थापना हो सकती है। वे शर्तें क्या हैं? (१) पहली शर्त तो यह है कि कमसे-कम इतने देशी नरेश फेडरेशनमें सम्मिलित होनेके लिये तैयार हों, जिनके राज्योंकी जनसंख्या समस्त देशी राज्योंकी सम्मिलित जनसंख्याकी आधी हो और साथ ही फेडरल व्यवस्था-पिका सभाकी अपर-चेम्बरमें देशी राज्योंके प्रतिनिधिके लिये जितनी सीटें रखी गयी हैं, उनमेंसे कमसे-कम आधीके हकदार हों। (२) दूसरी शर्त यह है कि पहली शर्त पूरी होनेपर जब ब्रिटिश पार्लमेण्ट-की दोनों सभाएं सम्राटसे भारतीय फेडरेशनकी स्थापनाके लिये अनुरोध करेंगी, तभी सम्राट इस आशयकी घोषणा करेंगे कि अमुक तिथिको भारतीय फेडरेशनकी स्थापना की जाय। इससे प्रकट है कि फेडरेशनकी स्थापना बहुत अंशोंमें देशी नरेशों तथा ब्रिटिश पार्लमेण्टकी इच्छापर ही निर्भर है, ब्रिटिश भारतकी इच्छापर नहीं।

वर्तमान विधानकी धारा ६ में कहा गया है कि किसी देशी राज्यके शासक जब सम्राटके पास इस आशयका प्रार्थनापत्र (Instrument of Accession) भेजेंगे कि हम इस इरादेसे वर्तमान विधान-के अनुसार स्थापित फेडरेशनमें शामिल होना चाहते हैं कि सम्राट, भारतके गवर्नर-जनरल, फेडरल व्यवस्थापिका परिषद् और फेडरल

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

कोर्ट वर्तमान विधानके अनुसार हमारे राज्यके सम्बन्धमें भी फेडरेशन सम्बन्धी उन अधिकारोंका उपयोग करेंगे जो उन्हें इस विधान द्वारा प्राप्त हैं—परन्तु उसी हदतक, जहांतक उनका उपयोग करनेके लिये इस प्रार्थना-पत्रमें उल्लेख किया गया है; साथ ही देशी नरेश जब यह विश्वास दिलायेंगे कि उनके राज्यके लिये लागू होनेवाले शासन-विधानकी व्यवस्थाओंको वे कार्यान्वित करेंगे तभी सम्राट द्वारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिये जानेके बाद उनका राज्य फेडरेशनमें सम्मिलित किया जा सकता है।

शासन-विधानकी इसी धारामें यह भी कहा गया है कि कोई देशी नरेश यदि फेडरेशन स्थापित होनेके पहले ही प्रार्थना-पत्र सम्राटके पास भेज चुके हों, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख कर दिया हो कि अमुक तारीखतक फेडरेशन कायम होनेपर हम उसमें शामिल होंगे और उनका प्रार्थना-पत्र स्वीकृत भी हो गया हो, परन्तु फेडरेशन उस तिथितक कायम न हो, तो बादमें फेडरेशन स्थापित होनेपर वे इसमें सम्मिलित होनेके लिये वाध्य नहीं होंगे।

देशी नरेश जो प्रार्थना-पत्र सम्राटके पास भेजेंगे, उसीमें इस बातका स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा कि वे अपने राज्यके शासन सम्बन्धी किन बातोंमें फेडरेशनको अधिकार देनेके लिये तैयार हैं। एक बार फेडरेशनमें सम्मिलित होनेके पश्चात् भी देशी नरेश यदि चाहेंगे तो सम्राटके पास दूसरा प्रार्थना-पत्र भेजकर अपने राज्यके सम्बन्धमें फेडरेशनके अधिकार-क्षेत्रको बढ़ानेकी प्रार्थना कर सकते हैं, परन्तु किसी देशी नरेशके ऐसे प्रार्थना-पत्रको स्वीकार

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

करना या न करना सम्राटपर निर्भर रहेगा। वे यदि किसी देशी नरेशके प्रार्थना-पत्रकी शर्तोंको फेडरेशनकी योजनाके प्रतिकूल समझेंगे तो इसे अस्वीकार कर सकते हैं, और ऐसी अवस्थामें उस देशी नरेशका राज्य भारतीय फेडरेशनमें सम्मिलित नहीं हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, नये विधानमें यह भी व्यवस्था है कि फेडरेशन कायम होनेके बीस वर्षके भीतर यदि कोई देशी नरेश इसमें सम्मिलित होना चाहेंगे तो उन्हें गवर्नर-जनरलकी मार्फत सम्राटके पास प्रार्थना-पत्र भेजना पड़ेगा, परन्तु फेडरेशनकी स्थापनाके बीस वर्षके बाद यदि कोई देशी नरेश फेडरेशनमें शामिल होना चाहेंगे तो उनके प्रार्थना-पत्रको गवर्ननर-जनरल तबतक स्वीकृतिके लिये सम्राटके पास नहीं भेजेंगे जबतक 'फेडरल व्यवस्थापिका परिषद' की दोनो सभाएं उनसे इसके लिये अनुरोध न करें।

फेडरल सरकारका संघटन

फेडरेशनके सर्वोच्च शासक होंगे सम्राटके प्रतिनिधिकी हैसियतसे भारतके गवर्नर-जनरल, जिन्हें नियुक्तिके समय सम्राट 'निर्देश पत्र' (Instrument of Instructions) द्वारा इस बातका निर्देश करेंगे कि अधिकारोंका उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिये। गवर्नर-जनरलको परामर्श तथा सहायता देनेके लिये मिनिस्टरोंकी एक कौंसिल होगी, जिसमें दससे ज्यादा सदस्य न होंगे। गवर्नर-जनरलको इस विधान द्वारा कुछ खास उत्तरदायित्व (Special responsibilities) और उस उत्तरदायित्वकी पूर्तिके लिये कुछ खास

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

अधिकार भी दिये गये हैं, जिनके अनुसार कुछ मामलोंमें वे स्व अपनी विवेक-बुद्धिके अनुसार कार्य कर सकते हैं। ऐसे विषयों छोड़कर, जिनके सम्बन्धमें गवर्नर-जनरलको अपने विवेकसे काम लेनेका अधिकार दिया गया है, अन्य सभी विषयोंमें मंत्रि मण्डल अर्थात् मिनिस्टरोंकी कौंसिलसे वे परामर्श और सहाय लिया करेंगे।

मिनिस्टरोंको नियुक्त करनेका पूर्ण अधिकार गवर्नर-जनरल रहेगा। वे जिसको चाहें, मिनिस्टर नियुक्त कर सकते हैं। वर्तमा विधानमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि फेडरल व्यवस्थापि परिषदकी लोअर-मेम्बरके निर्वाचनमें जिस दलका बहुमत हो उसी दलके नेताको बुलाकर गवर्नर-जनरल मंत्रि-मण्डल का करनेका भार देंगे। वे किसी ऐसे व्यक्तिको भी मिनिस्टर नियु कर सकते हैं जो 'फेडरल व्यवस्थापिका परिषद' की दोनोंमें किसी सभाका सदस्य नहीं है। परन्तु इस प्रकार मन्त्री नियु किये गये व्यक्तिका छः महीनेके अन्दर व्यवस्थापिका परिषद किसी सभाका सदस्य चुना जाना लाजिमी होगा; अगर वे इ अवधिके अन्दर परिषदके सदस्य न चुने गये तो उन्हें मन्त्री-पद हट जाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति मन्त्री-पदपर तभीतक रह सक है जबतक गवर्नर-जनरल उसे इस पदपर रखना चाहेंगे।

केन्द्रीय शासकोंकी अधिकार-सीमा

विधानकी आठवीं धारामें फेडरेशनके शासक-मण्डलकी अधिकार सीमाकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि (क) जिन विषयों

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सम्बन्धमें 'फेडरल व्यवस्थापिका परिषद्' कानून बना सकती है उनपर केन्द्रीय शासक-मण्डलका अधिकार रहेगा; (ख) सम्राटकी ओरसे वे ब्रिटिश भारतमें नौसैनिक, फौजी और हवाई सैन्य सम्बन्धी संगठन कर सकते हैं तथा (ग) ट्राइबल एरियाके सम्बन्धमें सन्धि तथा पूर्व परम्पराके अनुसार सम्राटको जो अधिकारप्राप्त हैं, उनकी ओरसे वे उन अधिकारोंका कुछ शर्तोंके साथ उपयोग कर सकेंगे।

फेडरेशनमें द्वैध शासन

मांटेगु-चेम्सफोर्ड रिफार्म्सके अनुसार प्रान्तोंमें 'द्वैध शासन' प्रथा (Dyarchy) जारी की गयी थी। वर्तमान शासन-विधानके अनुसार प्रान्तोंको तो 'द्वैध शासन' प्रथासे मुक्ति मिली है, परन्तु किसी अंशतक केन्द्रीय शासनमें इसको स्थान दिया गया है। डिफेन्स, ईसाई चर्च सम्बन्धी बात और परराष्ट्र नीति (ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत देशोंके साथ सम्बन्धको छोड़कर) और ट्राइबल एरियाके सम्बन्धमें तो गवर्नर-जनरलको अपने विवेकके अनुसार ही कार्य करनेका पूर्ण अधिकार दिया गया है। इन विषयोंमें मंत्रि-मण्डलसे वे परामर्श नहीं लेंगे, परन्तु इन कार्योंको करनेके लिये वे अपने इच्छानुसार अधिकसे अधिक अपने तीन सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं। इन सलाहकारोंकी सर्विसकी शर्तें तथा उनके वेतन आदिका निर्णय कौंसिलयुक्त सम्राट करेंगे।

'फिनैन्स' यद्यपि हस्तान्तरित विषय रखा गया है, अर्थात् यह विभाग अर्थ-सचिव (फिनैन्स मिनिस्टर) के हाथमें दिया जायगा,

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

परन्तु तो भी फिनैन्स मिनिस्टरके अधिकार बहुत ही सीमित रहेंगे, यह तो विधानकी पंद्रहवीं धारासे साफ प्रकट हो जाता है, जिसमें गवर्नर-जनरलको अपना एक आर्थिक परामर्शदाता (Financial adviser) नियुक्त करनेका अधिकार दिया गया है। इस आर्थिक परामर्शदाताका काम होगा—गवर्नर-जनरलको फेडरल गवर्नमेंटकी साख और आर्थिक स्थिरता (Stability) कायम रखनेके सम्बन्धमें परामर्श तथा सहायता देना। इसके अलावा, फेडरल सरकारके फिनैन्सके सम्बन्धमें यदि उनकी सलाह मांगी जाय तो उस सम्बन्धमें भी सलाह देना उनका कर्तव्य होगा। गवर्नर-जनरलके आर्थिक परामर्शदाता तबतक अपने पदपर रह सकेंगे जबतक गवर्नर-जनरल उन्हें रखना चाहेंगे। उनके वेतन और एलाउएन्सका निर्णय तथा उनके स्टाफको नियुक्त करनेका कार्य भी गवर्नर-जनरलके ही हाथोंमें रहेगा। हां, पहली नियुक्तिके पश्चात् जब दूसरी बार फिर वे किसी व्यक्तिको आर्थिक परामर्शदाता नियुक्त करने लगेंगे तब, किस व्यक्तिको नियुक्त किया जाय, इस सम्बन्धमें मंत्रि-मण्डलसे परामर्श ले लेना लाजिमी होगा।

एडवोकेट-जनरल

नये विधानमें फेडरेशनके लिये गवर्नर-जनरल द्वारा एक व्यक्तिके एडवोकेट-जनरल नियुक्त किये जानेकी भी व्यवस्था है। एडवोकेट-जनरलका काम होगा—फेडरल सरकारको कानूनी सलाह देना। इसके अलावा और भी जो कोई कानूनी ढंगका काम उन्हें गवर्नर-जनरल द्वारा दिया जायगा, उसको वे किया करेंगे। वे ब्रिटिश

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

भारतकी किसी भी अदालतमें बहस कर सकते हैं और फेडरेशनमें सम्मिलित किसी देशी राज्यकी अदालतमें केवल ऐसे मामलेमें बहस कर सकते हैं जिसका सम्बन्ध फेडरेशनसे होगा।

गवर्नर-जनरलके विशेष उत्तरदायित्व

जिन विषयोंमें गवर्नर-जनरलको 'विशेष उत्तरदायित्व' (Special responsibilities) दिया गया है, वर्तमान एक्टकी बारहवीं धारामें उनका उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार गवर्नर-जनरलको निम्नलिखित विषयोंके सम्बन्धमें विशेष उत्तरदायित्व रहेगा :—

(१) भारत या इसके किसी भागकी शान्तिपर आनेवाले भयंकर खतरेको रोकना।

(२) फेडरल सरकारकी आर्थिक स्थिरता (Financial Stability) और साखको कायम रखना।

(३) अल्पसंख्यकोंके न्यायोचित स्वार्थोंकी रक्षा करना।

(४) पब्लिक सर्विसके मेम्बरों या उनके आश्रितोंके लिये इस एक्टमें जो अधिकार दिये गये हैं, उन्हें वह अधिकार दिलाना या उनकी रक्षा करना।

(५) यूनाइटेड किंगडम (ग्रेट ब्रिटेन) और बर्मामें बने हुए मालके आयातके सम्बन्धमें भेद-भावमूलक नीतिको रोकना।

(६) देशी राज्य तथा देशी नरेशके अधिकार एवं उनके सम्मानकी रक्षा करना।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

ऊपर जो इस बातका उल्लेख किया गया है कि भारत या इसके किसी भागकी शान्तिपर आनेवाले खतरेको रोकनेके लिये गवर्नर-जनरलको विशेष उत्तरदायित्व रहेगा, इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि वे किसी बाहरी आक्रमणकी आशंका होनेपर ही विशेष अधिकारका उपयोग कर सकते हैं, बल्कि देशके अन्दर ही यदि कोई शान्ति-भंग करनेवाला भयंकर आन्दोलन हो तो उस अवस्थामें भी वे अपने विशेषाधिकारका उपयोग कर सकते हैं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

फेडरल व्यवस्थापिका परिषद्

मांटेगु-चेम्सफोर्ड शासन-सुधारके अनुसार भी केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदकी दो सभाएं थीं और नये एक्टके अनुसार भी 'फेडरल व्यवस्थापिका परिषद' की दो सभाएं रखी गयी हैं, जिनमेंसे अपर-चेम्बरका नाम तो पहलेके ऐसा "कौंसिल आफ स्टेट" ही रहेगा, परन्तु लोअर चेम्बरका नाम लेजिस्लेटिव असेम्वलीके बदले 'हाउस आफ असेम्बली' या 'फेडरल असेम्बली' रहेगा।

'कौंसिल आफ स्टेट' में ब्रिटिश भारतके १५६ प्रतिनिधि और देशी राज्योंके अधिकसे अधिक १०४ प्रतिनिधि रहेंगे। ब्रिटिश भारतके इन १५६ सदस्योंमेंसे १४० तो ब्रिटिश भारतके विभिन्न प्रान्तोंके प्रतिनिधि, ७ यूरोपियन, २ भारतीय ईसाई तथा १ एंग्लो-इण्डियन सदस्य चुनकर आवेंगे और बाकी ६ सदस्योंको गवर्नर-जनरल मनोनीत करेंगे। 'फेडरल असेम्बली' में ब्रिटिश भारतके २५० तथा देशी राज्योंके अधिकसे अधिक १२५ प्रतिनिधि रहेंगे।

'कौंसिल आफ स्टेट' स्थायी रहेगी; गवर्नर-जनरलको इसे भंग करनेका अधिकार नहीं रहेगा, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि एक बार जो व्यक्ति इसका सदस्य चुन लिया जायगा वह ब्रिटिश पार्लमेंटकी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

लार्ड सभाके अंग्रेज लार्डोंकी भांति आजन्म सदस्य बना रहेगा, बल्कि विधानमें यह व्यवस्था है कि इसके एक-तिहाई सदस्य हरेक तीसरे साल रिटायर करेंगे और इस एक्टमें दी हुई व्यवस्थाके अनुसार उन स्थानोंकी पूर्तिके लिये नया निर्वाचन हुआ करेगा। इसलिये ब्रिटिश भारतीय प्रान्तोंके लिये जितनी सीटें रखी गयी हैं, सर्वप्रथम निर्वाचनके समय उनमेंसे एक-तिहाई सदस्य तो तीन सालके लिये चुने जायंगे और एक-तिहाई छः सालके लिये तथा शेष एक-तिहाई नौ सालके लिये। इस प्रकार प्रथम 'कौंसिल आफ स्टेट' के जो सदस्य तीन सालके लिये चुने जायंगे उनके रिटायर करनेपर उन स्थानोंकी पूर्तिके लिये फिर नये सदस्योंका नौ वर्षके लिये निर्वाचन होगा। जो सदस्य छः सालके लिये चुने जायंगे वे भी छः सालके बाद रिटायर होंगे और उनके स्थानपर फिर जो सदस्य चुने जायंगे वे नौ साल तक सदस्य रहेंगे; तथा पहली ही वार जो एक-तिहाई सदस्य नौ सालके लिये चुने जायंगे उनकी अवधि समाप्त होनेपर तो नये सदस्य नौ वर्षके लिये चुने जायंगे ही। इस प्रकार हर तीसरे साल एक-तिहाई सदस्योंके रिटायर करनेका क्रम बंध जायगा।

'हाउस आफ असेम्बली' या 'फेडरल असेम्बली' का जीवन पांच वर्षका होगा। प्रत्येक पांच सालपर इसका नया निर्वाचन हुआ करेगा; परन्तु गवर्नर-जनरल पांच सालके पहले भी असेम्बलीको भंग करके नये निर्वाचनके लिये आदेश जारी कर सकते हैं।

व्यवस्थापिका परिषदोंका संघटन

फेडरल व्यवस्थापिका परिषदोंके सदस्य और निर्वाचकोंकी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

योग्यताके सम्बन्धमें 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' में यह व्यवस्था दी गयी है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति फेडरल व्यवस्थापिका परिषदके लिये ब्रिटिश भारतका प्रतिनिधि नहीं चुना जायगा, जो ब्रिटिश प्रजा या फेडरेशनके अन्तर्गत आये हुए देशी राज्यका शासक या प्रजा नहीं है। 'कौंसिल आफ स्टेट' के सदस्योंकी उम्र कमसे कम तीस साल और 'फेडरल असेम्बली' के सदस्यके लिये कमसे कम पचीस सालकी उम्र होनी जरूरी है। हां, कोई देशी नरेश अथवा देशी राज्यके कोई नागरिक यदि ब्रिटिश भारतके किसी प्रान्तकी लेजिस्लेटिव असेम्बलीके सदस्य होनेकी योग्यता रखते हैं तो वे भी उस प्रान्तकी ओरसे 'फेडरल असेम्बली' या 'कौंसिल आफ स्टेट' के सदस्य चुने जानेके अधिकारी हो सकते हैं। फेडरल व्यवस्थापिका परिषदका कोई भी सदस्य अपना कार्य-काल समाप्त हो जानेके बाद, यदि अन्य सभी प्रकारसे सदस्य चुने जानेकी योग्यता रखता है, तो फिर सदस्य चुना जा सकता है।

"कौंसिल आफ स्टेट"

'कौंसिल आफ स्टेट' के जो ब्रिटिश भारतके १५६ प्रतिनिधि होंगे, उनमेंसे १५० सीटें तो गवर्नरोंके प्रान्त, चीफ कमिश्नरोंके प्रान्त, एंग्लो-इण्डियन, यूरोपियन, भारतीय ईसाई समुदाय और सम्प्रदायके बीच विभक्त कर दी जायंगी, जिनका ब्योरा इस तालिकामें दिया जाता है :—

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

कौंसिल आफ स्टेटके लिये ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधियोंकी सीटोंकी तालिका।

प्रान्त या जाति अथवा सम्प्रदाय	कुल सीटें	जनरल सीटें	शिड्यूल्ड जातियों-की सीटें	सिखोंके लिये सीटें	मुसलिम सीटें	महिलाओंकी सीटें
मद्रास ...	२०	१४	१	...	४	१
बम्बई ...	१६	१०	१	...	४	१
बंगाल ...	२०	८	१	...	१०	१
संयुक्तप्रान्त ...	२०	११	१	...	७	१
पंजाब ...	१६	३	...	४	८	१
बिहार ...	१६	१०	१	...	४	१
मध्यप्रान्त-बरार	८	६	१	...	१	
आसाम ...	५	३	...	...	२	
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त ...	५	१	...	...	४	
उड़ीसा ...	५	४	...	...	१	
सिन्ध ...	५	२	...	...	३	
ब्रि. बलूचिस्तान ...	१	...	...	...	१	
दिल्ली ...	१	१	...	...	...	
अजमेर-मरवाड़	१	१	...	...	...	
कूर्ग ...	१	१	...	...	...	
ऐंग्लो-इण्डियन	१	...	...	...	...	
यूरोपियन ...	७	...	...	...	...	
भारतीय ईसाई	२	...	...	...	...	
कुल जोड़ ...	१५०	७५	६	४	४९	६

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

'कौंसिल आफ स्टेट' की जनरल सीट, सिख सीट और मुसलिम सीटके लिये निर्वाचनके हेतु गवर्नरके प्रान्त और चीफ कमिश्नरके प्रान्तोंको (एक्सक्लूडेड एरियाको छोड़कर) अनेक निर्वाचन क्षेत्रोंमें (Territorial Constituency) बांट दिया जायगा और प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्रसे एक या उससे अधिक कितने आदमी प्रतिनिधि चुने जायंगे, इसका पहले ही निश्चय कर दिया जायगा। यह भी निश्चित कर दिया गया है कि सिख सदस्यके निर्वाचनके लिये सिर्फ सिख मतदाता और मुसलिम सीटके लिये सिर्फ मुसलिम मतदाताको वोट देनेका अधिकार होगा। इसके साथ ही यह भी निश्चय हो चुका है कि किसी प्रान्तके सिख अथवा मुसलिम निर्वाचन-क्षेत्रके मतदाताओंकी सूचीमें जिसका नाम दर्ज हो जायगा या उसमें नाम दर्ज करानेकी जिसमें योग्यता है, वह उस प्रान्तकी जनरल सीटके लिये होनेवाले निर्वाचनमें वोट देनेका अधिकारी नहीं हो सकता। "कौंसिल आफ स्टेट" की जनरल सीटके लिये होनेवाले निर्वाचनमें कोई ऐंग्लो-इण्डियन, यूरोपियन या भारतीय ईसाई भी वोट देनेका अधिकारी नहीं हो सकता।

जिस प्रान्तको "कौंसिल आफ स्टेट" में दलित जातिके प्रतिनिधि चुनकर भेजनेका अधिकार दिया गया है, उस प्रान्तमें 'कौंसिल आफ स्टेट' के लिये दलित जातिका प्रतिनिधि चुननेका अधिकार उन्हीं जातिके लोगोंको होगा, जिन जातियोंकी ओरसे उस प्रान्तकी व्यवस्थापिका परिषदमें भी प्रतिनिधि भेजे गये हैं। 'कौंसिल आफ स्टेट' के लिये ऐंग्लो-इण्डियन, यूरोपियन और भारतीय ईसा-

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

इयोंके प्रतिनिधिके चुनावके लिये निर्वाचन-संघ कायम किये जायं और उन संघोंमें उन जातियोंकी ओरसे वही लोग निर्वाचक हो सकेंगे जो किसी गवर्नरके प्रान्तकी लेजिस्लेटिव कौंसिल या लेजिस्लेटिव असेम्बलीके सदस्य हैं। यूरोपियन प्रतिनिधियोंके चुनावके लिये ऐसी नियमावली बनायी जायगी कि यदि किसी निर्वाचक संघको एकसे अधिक प्रतिनिधि चुननेका अधिकार हो, तो निर्वाचन इस प्रकार होगा कि एक ही प्रान्तमें रहनेवाले दो आदमी प्रतिनिधि न चुन लिये जायं।

'कौंसिल आफ स्टेट' के लिये जनरल सीट या मुसलिम अथवा सिख सीटके लिये वही व्यक्ति प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, जो किसी टेरिटोरियल निर्वाचन क्षेत्रके वोटर होनेकी योग्यता रखते हैं। यूरोपियन, ऐंग्लो-इण्डियन और ईसाई निर्वाचक-संघकी ओरसे चुने जानेवाले प्रतिनिधियोंको योग्यताका उल्लेख "गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट'" में नहीं किया गया है, बल्कि यह बादमें तय करनेके लिये छोड़ दिया गया है।

'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट'में फेडरल 'कौंसिल आफ स्टेट'के निर्वाचकोंकी योग्यताका केवल एक साधारण संकेत मात्र कर दिया गया है, परन्तु कौन लोग निर्वाचक हो सकते हैं, विस्तृत रूपसे इन बातोंका बादमें निर्णय करनेके लिये 'एक्ट' में व्यवस्था कर दी गयी है। किन्तु इतना तो निश्चित है कि "कौंसिल आफ स्टेट" के निर्वाचकोंकी योग्यताका एक मुख्य आधार सम्पत्ति होगी।

पहले बताया जा चुका है कि "कौंसिल आफ स्टेट" के लिये

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

प्रतिनिधि नौ वर्षके लिये चुने जायंगे, परन्तु वीचमें यदि कोई स्थान खाली हो जाय, तो उसके लिये प्रतिनिधि उतने ही समयके लिये चुने जायंगे जितना समय उनके पूर्वगामो प्रतिनिधिके कार्य-कालके नौ वर्षमें शेष रह गया था।

पहली वार जब "कौंसिल आफ स्टेट' का संघटन होगा तो प्रत्येक प्रान्त एवं यूरोपियन, ऐंग्लो-इण्डियन तथा भारतीय ईसाइयोंके प्रतिनिधि चुने जायंगे; किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रथम निर्वाचनके समय एक-तिहाई सदस्य सिर्फ तीन वर्षके लिये, दूसरे एक-तिहाई सदस्य छः वर्षके लिये और शेष एक-तिहाई सदस्य नौ वर्षके लिये चुने जायंगे।

'कौंसिल आफ स्टेट'के प्रथम निर्वाचनके समय ऐंग्लो-इण्डियन, प्रतिनिधि तो पूरे नौ सालके लिये चुने जायंगे, परन्तु सात यूरोपियन प्रतिनिधियोंमेंसे तीन चुने जायंगे तीन सालके लिये, एकका चुनाव होगा छः सालके लिये और शेष तीनका नौ सालके लिये। भारतीय ईसाइयोंके एक प्रतिनिधिका चुनाव तीन वर्षके लिये और दूसरेका नौ वर्षके लिये होगा। गवर्नर-जनरलको जो 'कौंसिल आफ स्टेट' के लिये छः सदस्य मनोनीत करनेका अधिकार दिया गया है, प्रथम निर्वाचनके अवसरपर वे इनमेंसे दो प्रतिनिधियोंको तीन वर्षके लिये, दोको छः वर्षके लिये तथा शेष दोको नौ वर्षके लिये मनोनीत करेंगे।

प्रथम "कौंसिल आफ स्टेट" के लिये किन प्रान्तोंके कितने प्रतिनिधि कितने वर्षके लिये चुने जायंगे, इसका पूरा विवरण इस पुस्तकके अन्तमें दी हुई "कौंसिल आफ स्टेटके त्रैवार्षिक निर्वाचनके लिये सीटोंका ब्योरा" शीर्षक तालिकासे मालूम हो जायगा।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

'फेडरल असेम्बली' में ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधियोंका ब्योरा

१ प्रान्त	२ कुल सीट	३ कुल जनरल सीट	४ दलित जातियोंके लिये सुरक्षित जनरल सीट	५ सिखोंके लिये सीट	६ मुसलमान	७ ऐंग्लो-इण्डियन	८ यूरोपियन	९ भारतीय ईसाई	१० वाणिज्य व्यवसायके प्रतिनिधि	११ जमींदार	१२ मजदूरोंके प्रतिनिधि	१३ महिला
मद्रास ...	३७	१९	४	०	८	१	१	२	२	१	१	२
बम्बई ...	३०	१३	२	०	६	१	१	१	३	१	२	२
बंगाल ...	३७	१०	३	०	१७	१	१	१	३	१	२	१
संयुक्तप्रान्त ...	३७	१९	३	०	१२	१	१	१	०	१	१	१
पंजाब ...	३०	६	१	६	१४	०	१	१	०	१	०	१
बिहार ...	३०	१६	२	०	९	०	१	१	०	१	१	१
मध्यप्रान्त-बरार ...	१५	९	२	०	३	०	०	०	०	१	१	१
आसाम ...	१०	४	१	०	३	०	१	१	०	०	१	०
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त	५	१	०	०	४	०	०	०	०	०	०	०
उड़ीसा ...	५	४	१	०	१	०	०	०	०	०	०	०
सिन्ध ...	५	१	०	०	३	०	१	०	०	०	०	०
ब्रिटिश बलूचिस्तान...	१	०	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०
दिल्ली ...	२	१	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०
अजमेर-मरवाड़ ...	१	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
कुर्ग ...	१	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
जो किसी खास प्रान्त												

फेडरल लेजिस्लेटिव असेम्बली

फेडरल असेम्बलीमें जो ब्रिटिश भारतके २५० प्रतितिधि रहेंगे उनके निर्वाचनके लिये सीटें विभिन्न प्रान्तोंके बीच बांट दी गयी हैं। प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये साम्प्रदायिक निर्णयके अनुसार दलित जाति, यूरोपियन, भारतीय ईसाई, मुसलमान और महिलाओंके लिये सीटोंकी संख्या भी निर्धारित कर दी गयी है। इसके अनुसार विभिन्न वर्ग और सम्प्रदायके प्रतिनिधि निश्चित संख्याके अनुसार विभिन्न प्रान्तोंसे चुने जायंगे। किस प्रान्तसे किस वर्ग या सम्प्रदायके कितने प्रतिनिधि 'फेडरल असेम्बली'के लिये चुने जायंगे, यह "फेडरल असेम्बलीमें ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधियोंका ब्योरा" शीर्षक पिछले पृष्ठपर दी हुई तालिकाको देखनेसे मालूम हो जायगा।

इस तालिकामें सबसे नीचे जो चार सीटें दिखायी गयी हैं, वे किसी खास प्रान्तके लिये नहीं हैं, बल्कि उनके लिये समस्त ब्रिटिश भारतके वाणिज्य-व्यवसाय सम्बन्धी निर्वाचन-क्षेत्रसे तीन और मजूरोंकी ओरसे एक प्रतिनिधि चुने जायंगे।

फेडरल असेम्बलीके प्रतिनिधियोंका चुनाव, सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्वके (Proportional representation by means of the single transferable vote) सिद्धान्तानुसार होगा। किसी भी गवर्नरके प्रान्तके लिये फेडरल असेम्बलीमें जितनी सीटें निर्धारित की गयी हैं, उनके लिये जनरल, सिख और मुसलिम प्रतिनिधियोंको चुननेका अधिकार क्रमशः उन्हीं लोगोंको होगा, जो प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बलीमें जनरल

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

निर्वाचन-क्षेत्र, सिख निर्वाचन-क्षेत्र और मुसलिम निर्वाचन-क्षेत्र ओरसे मेम्बर चुने जा चुके होंगे।

दलित जातियोंके प्रतिनिधित्वके लिये जनरल सीटोंमें जो, वि प्रान्तोंकी ओरसे चुने जानेके लिये १६ सीटें सुरक्षित रखी गयी पूना पैक्टके अनुसार 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट'में उनके निर्वाच लिये खास प्रणाली निर्धारित कर दी गयी है। प्रान्तीय लेजिस्ले असेम्बलीमें दलित जातियोंके प्रतिनिधि भेजनेके लिये उन जाति निर्वाचकों द्वारा प्रत्येक सीटके लिये पहले चार-चार उम्मेदवारों प्रारम्भिक निर्वाचन होगा, इसमें जो चार उम्मेदवार चुने जा वही प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बलीके लिये उम्मेदवार खड़े सकते हैं और उनमें फिर जिसको सबसे अधिक वोट मिलेगा प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बलीके लिये दलित जातियोंका प्रति निर्वाचित होगा। फेडरल असेम्बलीके लिये जो दलित जातियों प्रतिनिधित्व रखा गया है, उसके लिये वही लोग निर्वाचक सकेंगे, जो प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बलीके लिये दलित जातियों ओरसे प्रतिनिधि चुने जानेके हेतु प्रारम्भिक निर्वाचनमें उम्मेद चुने गये होंगे। इस प्रकार इन लोगोंको फेडरल असेम्ब लिये दलित जातियोंके हेतु सुरक्षित प्रत्येक सीटके लिये चार-चार उम्मेदवार चुनने होंगे। इस प्रारम्भिक निर्वाचनमें लोग सफल होंगे, वही लोग फेडरल असेम्बलीके निर्वाचनके जनरल निर्वाचनमें दलित जातियोंकी ओरसे उम्मेदवार खड़े जायंगे; दूसरा कोई व्यक्ति दलित जातियोंकी ओरसे उम्मेदवार

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

होनेका अधिकारी नहीं समझा जायगा। इसके बाद फिर जिस प्रकार जनरल सीटोंके लिये अन्य लोग सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट द्वारा चुने जायंगे, उसी प्रकार दलित जातियोंके प्रतिनिधि भी चुने जायंगे।

फेडरल लेजिस्लेटिव असेम्बलीमें ब्रिटिश भारतकी महिलाओंके लिये जो नौ सीटें रखी गयी हैं, उनके प्रतिनिधियोंके निर्वाचनके सम्बन्धमें वर्तमान 'एक्ट' में यह व्यवस्था की गयी है कि ब्रिटिश भारतकी महिला प्रतिनिधियोंके निर्वाचनके लिये महिलाओंका एक निर्वाचक-संघ (Electoral College) कायम किया जायगा, जिसके अन्दर वही महिलाएं रहेंगी, जो किसी गवर्नरके प्रान्तकी लेजिस्लेटिव असेम्बलीकी सदस्या हैं। इस निर्वाचक-संघको फेडरल असेम्बलीकी सदस्याओंको चुननेका अधिकार होगा, परन्तु निर्वाचन सम्बन्धी नियम ऐसे बनाये जायंगे कि विभिन्न प्रान्तोंकी ओरसे जो नौ महिला प्रतिनिधि चुनी जायंगी, उनमें कमसे-कम दो तो मुसलिम महिला और कमसे-कम एक भारतीय ईसाई महिला अवश्य हों।

फेडरल असेम्बलीके ऐंग्लो-इण्डियन, यूरोपियन और भारतीय ईसाई प्रतिनिधियोंके निर्वाचनके लिये इन जातियोंके क्रमशः तीन निर्वाचक-संघ कायम होंगे, जिनके सदस्य क्रमशः वही ऐंग्लो-इण्डियन, यूरोपियन और भारतीय ईसाई हो सकेंगे, जो किसी गवर्नरके प्रान्तकी लेजिस्लेटिव असेम्बलीके सदस्य होंगे; और इन्हीं तीनों संघोंको, फेडरल असेम्बलीमें विभिन्न प्रान्तोंके लिये निर्धारित अपनी-अपनी जातिके प्रतिनिधि चुननेका अधिकार होगा। परन्तु साधारण निर्वाचनके अवसरपर, मद्रास प्रान्तके लिये निर्धारित भार-

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

तीय ईसाई प्रतिनिधियोंका चुनाव, भारतीय ईसाई निर्वाचक सं आनुपातिक प्रतिनिधित्वके सिद्धान्तकेअनुसार सिंगल ट्रान्सफे वोट द्वारा करेगा।

वाणिज्य-व्यवसाय, जमींदार और मजदूरोंको जो फेड असेम्बलीमें प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसके लिये किस प्रान्त कितने प्रतिनिधि रहेंगे, यह तो फेडरल असेम्बलीकी सीटें बटवारेवाली तालिकामें दिया जा चुका है, परन्तु इनके निर्वाच सम्बन्धी व्यवस्था 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट' में नहीं गयी है, बल्कि उसमें इतना ही कह दिया गया है कि आ चलकर इसके लिये जो व्यवस्था तैयार की जायगी उस अनुसार इन सदस्योंका निर्वाचन होगा। 'एक्ट' में फेडरल अ म्बलीके प्रतिनिधिकी योग्यताके सम्बन्धमें यह स्पष्ट कह दि गया है कि जो आदमी उस प्रान्तकी लेजिस्लेटिव कौंसिलका सद बननेकी योग्यता नहीं रखता, वह फेडरल असेम्बलीका प्रतिनि चुने जानेके योग्य नहीं समझा जायगा।

देशी राज्योंका प्रतिनिधित्व

फेडरल व्यवस्थापिका परिषदोंमेंसे 'फेडरल असेम्बली' के लि देशी राज्योंके प्रतिनिधियोंकी संख्या अधिकसे-अधिक १२५ 'कौंसिल आफ स्टेट' में अधिकसे-अधिक १०४ रखी गयी ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधियोंकी भांति देशी राज्योंके प्रतिनिधियों संख्या बिलकुल निश्चित न किये जानेका कारण यह है कि फे

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

शनमें सम्मिलित होना या न होना तो देशी राज्योंकी अपनी इच्छा-पर निर्भर है; यह कोई जरूरी नहीं कि सभी देशी राज्य इसमें सम्मिलित होंगे ही; या यदि मान लिया जाय कि सभी सम्मिलित होंगे, तो भी यह आवश्यक नहीं कि सभी एक साथ ही फेडरेशनमें शामिल हों। इसलिये प्रतिनिधियोंकी संख्या निर्धारित करनेमें कठिनाई थी; फिर भी विधानमें यह तो स्पष्ट कह दिया गया है कि 'फेडरल असेम्बली' में देशी राज्योंके १२५ से अधिक और 'कौंसिल आफ स्टेट' में उनके १०४ प्रतिनिधियोंसे अधिक नहीं रह सकते हैं।

देशी राज्योंकी संख्या छः सौ से भी ज्यादा है, इसलिये सभी देशी राज्य यदि फेडरेशनमें सम्मिलित होते और इन सबको फेडरल व्यवस्थापिका परिषदमें यदि अपना एक-एक प्रतिनिधि भी भेजनेका अधिकार दिया जाता तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती; और फिर, सभी रियासतोंमें समानता भी तो नहीं है! ऐसी अवस्थामें सभीको एक-एक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार देनेसे भी बड़े-बड़े देशी राज्योंको असन्तोष होता। इन सब बातोंको ध्यानमें रखकर ही वर्तमान विधानके अनुसार व्यवस्थापिका परिषदोंके लिये सीटोंका बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि बड़े-बड़े देशी राज्योंको तो अपने पृथक् प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया है और छोटे-छोटे राज्योंके प्रतिनिधित्वके लिये भी कई राज्योंके अलग-अलग समूह बना दिये गये हैं। इन समूहोंमें जिन राज्योंको रखा गया है वे या तो सभी मिलकर अपना प्रतिनिधि चुन सकेंगे या सभी निश्चित अवधिके लिये एकके बाद एक, अपने प्रतिनिधि भेजा करेंगे।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

इस प्रकारके क्रमागत प्रतिनिधित्वसे सभीको किसी-न-किसी समय फेडरल व्यवस्थापिका परिषदोंमें अपने प्रतिनिधि भेजनेका अवसर मिला करेगा। किस राज्यको 'फेडरल असेम्बली' और 'कौंसिल आफ स्टेट' में कितने सदस्य अथवा किन देशी राज्य-समूहको कितने सदस्य चुननेका अधिकार रहेगा, वर्तमान विधानमें यह भी निश्चित कर दिया गया है।

देशी राज्योंके प्रतिनिधि कौन नहीं हो सकते ?

कौन लोग 'फेडरल असेम्वली' या 'कौंसिल आफ स्टेट' में देशी राज्योंके प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं, इस सम्बन्धमें विधानमें कहा गया है कि—

(१) ऐसा कोई व्यक्ति फेडरल व्यवस्थापिका परिषदकी दोनोंमेंसे किसी सभाका सदस्य नहीं हो सकता, जो कि ब्रिटिश प्रजा या देशी नरेश अथवा फेडरेशनमें सम्मिलित होनेवाले देशी राज्यकी प्रजा नहीं है;

(२) जो व्यक्ति कमसे कम तीस वर्षकी उम्रका नहीं है, वह 'कौंसिल आफ स्टेट' और जो कमसे कम पचीस वर्षकी उम्रका नहीं है वह 'फेडरल असेम्बली' का सदस्य नहीं हो सकता है।

परन्तु जिस देशी राज्यके नरेश, उस राज्यके फेडरेशनमें सम्मिलित होनेके समय नावालिग होनेके कारण अपने शासनाधिकारका उपयोग नहीं करते होंगे, गवर्नर-जनरल उस राज्यकी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

प्रजाको तबतकके लिये उपर्युक्त पैराग्राफ (१) के प्रतिवन्धसे मुक्त कर सकते हैं जबतक उस राज्यके नरेश बालिग होकर शासनसूत्र अपने हाथमें लेने योग्य नहीं हो जाते।

'कौंसिल आफ स्टेट' तथा 'फेडरल असेम्बली' के सदस्यके लिये जो क्रमशः तीस और पचीस वर्षकी उम्रका होना आवश्यक बताया गया है, वह नियम ऐसे देशी नरेशके लिये लागू नहीं होगा जो अपने राज्यमें शासनाधिकारका उपयोग कर रहे हैं।

देशी राज्यकी ओरसे कोई व्यक्ति जितने समयके लिये फेडरल व्यवस्थापिका परिषदका प्रतिनिधि चुना जायगा वह, अवधि समाप्त हो जानेपर यदि और सब प्रकारसे प्रतिनिधि चुने जानेकी योग्यता रखता हो तो फिरसे प्रतिनिधि चुना जा सकता है।

नये विधानमें इस प्रकारकी व्यवस्था दी गयी है कि जिन राज्य-समूहोंके शासकोंको 'कौंसिल आफ स्टेट' में एक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया है वे निश्चित अवधिके लिये एकके बाद एक, बारी-बारीसे प्रतिनिधि नियुक्त किया करेंगे। परन्तु जिन देशी राज्य-समूहोंके शासकोंको 'फेडरल असेम्बली' में एक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया है, वे उस पदके लिये सम्मिलितरूपसे किसी आदमीको नियुक्त करेंगे। जिन देशी राज्य-समूहके शासकोंको 'कौंसिल आफ स्टेट' के लिये बारी-बारीसे एक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया है वे यदि आपसमें समझौता करके, बारी-बारीसे प्रतिनिधि चुननेके बदले सम्मिलित रूपसे किसीको अपना प्रतिनिधि

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

चुननेका निश्चय करें और इसके लिये गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति मिल जाय, तो वे ऐसा कर सकते हैं।

देशी राज्योंके प्रतिनिधि कितने दिनोंके लिये चुने जायंगे, इस सम्बन्धमें भी विधानमें कहा गया है कि जिन देशी राज्योंको अपना पृथक् प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया है उनके शासक 'कौंसिल आफ स्टेट' का प्रतिनिधि नौ वर्षके लिये नियुक्त करेंगे; जिन राज्य-समूहोंके शासकोंको एक साथ मिलकर 'कौंसिल आफ स्टेट' के लिये एक प्रतिनिधि चुननेका अधिकार दिया गया है वे तीन वर्षके लिये प्रतिनिधि चुनेंगे और जिन देशी राज्य-समूहके शासकोंको बारी-बारीसे प्रतिनिधि चुननेका अधिकार दिया गया है वे एक वर्षके लिये प्रतिनिधि चुनेंगे। 'फेडरल असेम्बली' के लिये जो लोग देशी राज्योंके प्रतिनिधि चुनकर भेजे जायंगे वे असेम्बलीके भंग होनेतक इसके सदस्य बने रहेंगे। परन्तु जो सदस्य असेम्बलीमें कोई स्थान खाली हो जानेपर उस स्थानपर चुने जायंगे वे उतने ही समयतक सदस्य बने रहेंगे, उनके पूर्वगामी सदस्यके कार्यकालकी अवधिकी पूर्तिमें जितना समय बाकी रह गया होगा।

'कौंसिल आफ स्टेट' का संघटन होते समय पहले पहल जब इसके लिये देशी राज्योंके प्रतिनिधि चुने जाने लगेंगे उस समय गवर्नर-जनरल ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिन राज्योंको अपने पृथक् प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया है, उनके शासकों द्वारा नियुक्त किये जानेवाले प्रतिनिधियोंमें लगभग एक-तिहाई तो तीन सालके लिये नियुक्त किये जायँ और एक-तिहाई छः सालके

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

लिये तथा एक-तिहाई प्रतिनिधि नौ सालके लिये नियुक्त किये जायँ।

ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधि

केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्के सदस्यकी योग्यताके सम्बन्धमें कहा गया है कि निम्नलिखित अयोग्यतावाले व्यक्ति व्यवस्थापिका परिषद्की किसी सभामें ब्रिटिश भारतके किसी भागका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते :—

(क) मंत्रियों तथा किसी देशी राज्यमें काम करनेवाले सरकारी कर्मचारियोंको छोड़ अन्य कोई सरकारी कर्मचारी।

(ख) जिसका दिमाग ठीक न हो और किसी अदालतने जिसे ऐसा घोषित कर दिया हो।

(ग) दिवालिया आदमी।

(घ) जो आदमी फेडरेशन स्थापित होनेके पहले या इसके बाद निर्वाचन-सम्बन्धी मामलेमें अपराधी ठहराया गया हो वह आर्डर-इन-कौंसिल अथवा फेडरल व्यवस्थापिका परिषद् द्वारा पास किये गये कानूनमें निर्धारित समय तक परिषद्का सदस्य नहीं हो सकता।

(ङ) जिस आदमीको ब्रिटिश भारत अथवा फेडरेशनके किसी देशी राज्यकी अदालतने किसी मामलेमें आजन्म कालेपानी अथवा कमसे कम दो सालकी कैदकी सजा दी है वह जेलसे छूटनेके बाद पांच वर्ष तक व्यवस्थापिका परिषद्का सदस्य नहीं हो सकता।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

परन्तु गवर्नर-जनरल यदि चाहें तो वे इस बीचमें भी उस व्यक्तिको इस आयोग्यतासे वरी कर दे सकते हैं।

(च) जो आदमी आजन्म कालेपानी अथवा किसी फौजदारी मामलेमें दी हुई कैदकी सजा काट रहा है वह इस अवधिके बीच व्यवस्थापिका परिषद्की किसी सभाके लिये उम्मेदवार नहीं खड़ा हो सकता।

सदस्योंको सुविधाएं

स्वाधीन देशोंकी पार्लमेंटके सदस्योंको यह सुविधा रहती है कि वे पार्लमेंटमें जो भाषण देते हैं वह किसीके लिये मानहानिकर हो अथवा राजद्रोहात्मक हो, उसके लिये किसी अदालतमें उनपर मामला नहीं चलाया जा सकता है। यह अधिकार भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्के सदस्योंको भी दिया गया है। व्यस्थापिका परिषद्के सदस्योंको यद्यपि भाषण करनेकी स्वतन्त्रता दी गयी है, परन्तु साथ ही इसपर दो प्रतिबन्ध भी रखे गये हैं। एक प्रतिबन्ध तो यह है कि 'फेडरल कोर्ट' अथवा हाईकोर्टके जजने अपने कर्तव्य-पालनके सिलसिलेमें जो कुछ निर्णय किया है, व्यवस्थापिका परिषद्में उसकी आलोचना नहीं की जा सकती है। दूसरा प्रतिवन्ध यह है कि गवर्नर-जनरलको यदि यह मालूम हो कि किसी 'बिल' अथवा किसी 'बिल' के संशोधनपर परिषद्में बहस होनेसे देशकी शान्तिपर आनेवाले खतरा सम्बन्धी उनके विशेष उत्तरदायित्वके पालनमें किसी प्रकार इससे वाधा पहुंच सकती है, तो वे आदेश दे सकते हैं कि इस

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

'बिल' अथवा 'बिल' के संशोधनपर परिषदमें विचार न किया जाय। ऐसी अवस्थामें उस प्रश्नपर 'कौंसिल आफ स्टेट' या 'फेडरल असेम्बली' में विचार नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा अन्य बातोंमें फेडरल व्यवस्थापिका परिषदके सदस्योंको वही सुविधाएं प्राप्त होंगी, जो समय-समयपर परिषद कानून पास करके उन्हें देगी। जबतक फेडरल व्यवस्थापिका परिषद ऐसा नहीं करती, तबतक सदस्योंको वही सुविधाएं प्राप्त रहेंगी, जो फेडरेशनकी स्थापनाके पहलेतक भारतीय व्यवस्थापिका परिषदके सदस्योंको रही हैं।

फेडरल व्यवस्थापिका परिषदके सदस्योंको कितना एलाउएन्स मिलेगा, इसका निर्णय समय-समयपर कानून पास करके फेडरल व्यवस्थापिका परिषदों द्वारा किया जायगा, परन्तु जबतक यह ऐसा कानून पास नहीं करेगी, तबतक सदस्योंको वही एलाउएन्स मिलेगा, जितना फेडरेशन कायम होनेके पहले 'लेजिस्लेटिव असेम्बली' के सदस्योंके लिये निश्चित रहा है।

"फेडरल कौंसिल आफ स्टेट" अथवा "फेडरल असेम्बली" का कोई सदस्य यदि परिषदकी बिना अनुमति लिये लगातार साठ दिनतक बैठकसे गैरहाजिर रहे, तो परिषदको अधिकार होगा कि वह उस सदस्यकी सीटको खाली घोषित कर दे। ऐसी अवस्थामें उस सीटके लिये फिर नया निर्वाचन होगा।

कोरमके सम्बन्धमें कहा गया है कि परिषदकी दोनों सभाओंमें किसी समय यदि कुल सदस्योंकी षष्ठांश संख्या भी उपस्थिति न रहे

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

तो प्रेसीडेंट या 'स्पीकर' का यह कर्तव्य होगा कि वे उस दिन बैठक स्थगित कर दें, अथवा उतने समयके लिये बैठक स्थगित कर दें, जबतक कोरम पूरा न हो जाय।

फेडरल व्यवस्थापिका परिषद्की कार्यवाही अंग्रेजीमें हुआ करेगी, परन्तु जो सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते अथवा अंग्रेजी अच्छी नहीं जानते, वे किसी देशी भाषाका भी उपयोग कर सकते हैं।

व्यवस्थापिका परिषदोंकी कार्य-प्रणाली

केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदोंके निर्वाचनके बाद पहली बैठकमें शरीक होनेके पहले प्रत्येक सदस्यको गवर्नर-जनरलके सामने अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्तिके सामने राजभक्तिकी शपथ लेनी होगी। इसके पश्चात् "कौंसिल आफ स्टेट" किसी एक सदस्यको प्रेसीडेंट और एक दूसरे सदस्यको डिप्टी प्रेसीडेंट चुनेगी। प्रेसीडेंट 'कौंसिल आफ स्टेट" की बैठकमें कार्य-संचालन करेंगे और उनकी अनुपस्थितिमें उनका काम 'डिप्टी प्रेसीडेंट' करेंगे। यहीं नियम 'फेडरल लेजिस्लेटिव असेम्बली'के सम्बन्धमें भी लागू होगा, परन्तु इसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष क्रमशः "स्पीकर" और "डिप्टी स्पीकर" कहलायंगे।

'कौंसिल आफ स्टेट' के प्रेसीडेंट और 'डिप्टो प्रेसीडेंट' जब कौंसिलके सदस्य नहीं रह जायंगे तब वे अपने इस पदपर भी नहीं रह सकेंगे। "कौंसिल आफ स्टेट" में यदि तत्कालीन सदस्योंके बहुमतसे इनको अपने पदसे हटानेके लिये प्रस्ताव पास किया जायगा

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

तो वैसी अवस्थामें इन्हें अपने इस पदको खाली कर देना पड़ेगा; किन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करनेके कमसे कम चौदह दिन पहले इस आशयका प्रस्ताव पेश करनेकी नोटिस देनी जरूरी होगी।

उपर्युक्त व्यवस्था असेम्बलीके 'स्पीकर' और 'डिप्टी स्पीकर' के सम्बन्धमें भी लागू होगी; अन्तर केवल इतना ही होगा कि असेम्बली भंग हो जानेपर भी 'स्पीकर' तबतक उस पदपर बने रहेंगे जबतक नये निर्वाचनके बाद असेम्बलीकी पहली बैठक नहीं होती।

'कौंसिल आफ स्टेट' तथा 'असेम्बली' में सभी प्रश्नोंका निर्णय बहुमत द्वारा होगा। किसी प्रस्तावपर वोट देनेका अधिकार सभी सदस्योंको होगा, परन्तु 'कौंसिल आफ स्टेट' के प्रेसीडेंट या उनकी अनुपस्थितिमें डिप्टी प्रेसीडेंट तथा फेडरल असेम्बलीके 'स्पीकर' और उनकी अनुपस्थितिमें 'डिप्टी स्पीकर' उसी अवस्थामें किसी प्रस्तावपर वोट देंगे, जब प्रस्तावके पक्ष और विपक्षमें बराबर वोट आयंगे। ऐसी अवस्थामें उनका ही वोट निर्णायक वोट होगा।

कानून कैसे बनेंगे ?

फेडरल व्यवस्थापिका परिषदकी दोनों सभाओंके अधिकार प्रायः समान होंगे। "फिनेन्स बिल" को छोड़कर और सभी 'बिल' दोनोंमेंसे किसी सभामें पहले पेश किये जा सकेंगे और एक सभामें स्वीकृत हो जानेके बाद दूसरी सभामें विचारार्थ भेजे जायंगे। किन्तु "फिनैन्स बिल" पहले 'फेडरल असेम्बली' में ही पेश होगा और उसमें स्वीकृत हो जानेके बाद वह फिर "कौंसिल आफ स्टेट" में विचारार्थ भेजा जायगा। कोई भी "बिल" तबतक पास हुआ

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

नहीं समझा जायगा जवतक वह दोनों सभाओंमें स्वीकृत न हो जाय। एक सभामें जव 'विल' पास हो जायगा तब वह दूसरी सभामें विचारार्थ पेश किया जायगा। उसमें अगर वह विना किसी संशोधनके ही स्वीकृत हो गया तब तो वह गवर्नर-जनरलकी स्वीकृतिके लिये भेजा जायगा और गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति मिल जानेपर वह 'एक्ट' (कानून) वन जायगा। परन्तु यदि कोई "बिल" एक सभामें तो पास हो गया और दूसरी सभाने कोई संशोधन किया तो वह इस संशोधित रूपमें फिर विचारार्थ पहली सभामें पेश किया जायगा। इस वार यदि इस सभाने दूसरी सभा द्वारा किये गये संशोधनको स्वीकार कर लिया तब तो वह गवर्नर-जनरलकी स्वीकृतिके लिये भेजा जायगा, परन्तु यदि इसे दूसरी सभाका संशोधन स्वीकार न हुआ तो वह 'विल' गवर्नर-जनरलकी स्वीकृतिके लिये नहीं भेजा जायगा।

उदाहरणके लिये, मान लीजिये कि कोई 'बिल' पहले 'फेडरल असेम्बलीमें पेश किया गया और वह स्वीकृत भी हो गया। अब वही "कौंसिल आफ स्टेट" में पेश किया जाता है। किन्तु "कौंसिल आफ स्टेट" उसी रूपमें "बिल" को पास न करके उसमें कुछ संशोधन करती है। ऐसी अवस्थामें वह संशोधित 'बिल' फेडरल असेम्बलीमें पुनः विचारार्थ पेश किया जायगा। असेम्बलीने यदि 'कौंसिल आफ स्टेट' के संशोधनको स्वीकार कर लिया तव तो वह गवर्नर-जनरलकी स्वीकृतिके लिये भेजा जायगा; किन्तु यदि असेम्बली संशोधनको स्वीकार न करे, तो ऐसी अवस्थामें गवर्नर-जनरलकी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

स्वीकृतिके लिये वह नहीं भेजा जायगा। इसी बीचमें यदि असेम्बली भंग हो गयी तब तो वह 'बिल' नापास ही समझा जायगा और असेम्बलीके नये निर्वाचनके बाद यदि इस 'बिल'पर विचार करना हो तो फिर नये सिरेसे पूरी काररवाई की जायगी। लेकिन यदि असेम्बली भंग नहीं हुई है और एक सभामें पास होकर दूसरी सभामें विचारार्थ 'बिल'के जानेपर छः महीनेके अन्दर गवर्नर-जनरल-की स्वीकृतिके लिये वह न भेजा गया, तो इसपर विचार करनेके लिये गवर्नर-जनरल 'कौंसिल आफ स्टेट' तथा 'फेडरल असेम्बली'के सदस्योंकी एक संयुक्त बैठकके लिये आदेश दे सकते हैं।

यह तो साधारण 'बिल' की बात हुई, परन्तु यदि केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदका यह मतभेद "फिनैन्स बिल" अथवा ऐसे विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले 'बिल' पर हुआ जिसके सम्बन्धमें गवर्नर-जनरलको अपने विवेकके अनुसार कार्य करनेका अधिकार है, तो वे छः महीनेकी अवधि पूरी होनेकी प्रतीक्षा न करके बीचमें ही परिषदकी दोनों सभाओंकी संयुक्त बैठकका आदेश दे सकते हैं। ऐसा आदेश जारी हो जानेके बाद उस 'बिल' पर कोई एक सभा विचार नहीं कर सकेगी, बल्कि संयुक्त बैठकमें ही उसपर विचार किया जायगा। दोनों सभाओंकी संयुक्त बैठकका सभापतित्व "कौंसिल आफ स्टेट" के प्रेसीडेंट ग्रहण करेंगे और उनकी अनुपस्थितिमें अन्य कोई व्यक्ति। संयुक्त बैठकमें जब 'बिल' पर विचार किया जायगा, तो उसमें जो संशोधन दोनों सभाओंके उपस्थित सदस्योंके बहुमत-से पास होगा, वह दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत समझा जायगा। पर

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

यदि मूल रूपमें 'बिल' उपस्थित सदस्योंके बहुमतसे पास हो गया, तब वह 'बिल' दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत समझा जायगा। इस प्रकार जब संयुक्त बैठकमें 'बिल' पास हो जायगा तब वह गवर्नर-जनरलको स्वीकृतिके लिये भेजा जायगा।

कोई 'बिल' जब गवर्नर-जनरलकी स्वीकृतिके लिये भेजा जायगा, तब वह सम्राटके नामपर इस 'बिल' पर स्वीकृति दे सकते हैं। इस प्रकार गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति मिल जानेपर वह 'बिल' कानून बन जायगा। परन्तु यदि वे चाहें तो 'बिल' पर स्वीकृति देनेसे इनकार कर सकते हैं अथवा सम्राटको स्वीकृतिके लिये उसे रख ले सकते हैं। ऐसी अवस्थामें जबतक बारह महीनेके भीतर वे सम्राटकी स्वीकृति मिल जानेकी घोषणा न करें, तबतक वह 'बिल' कानूनका रूप नहीं धारण कर सकता। गवर्नर-जनरल यदि दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये 'बिल' की किसी धारासे सहमत न हों और उसमें कोई संशोधन करना चाहें, तो वे संशोधन सहित 'बिल' को फिरसे विचारार्थ वापस कर सकते हैं। ऐसी स्थितिमें दोनों सभाओंके लिये उस संशोधनपर विचार करना आवश्यक होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे गवर्नर-जनरल द्वारा सुझाये हुए संशोधन स्वीकार ही कर लें। हां, वे यदि संशोधनको स्वीकार न करें, तो इसका परिणाम यह होगा कि गवर्नर-जनरल यदि उसपर स्वीकृति न देना चाहें, तो न दे सकते हैं, और तब वह 'बिल' कानून नहीं बन सकेगा। जिस 'बिल'पर गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति मिल जायगी, वह कानून तो बन जायगा, परन्तु गवर्नर-जनरलकी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

स्वीकृति मिल जानेके बारह महीनेके अन्दर सम्राट उस कानूनको रद्द कर दे सकते हैं। ऐसी अवस्थामें सम्राटका आदेश मिलते ही गवर्नर-जनरल इस बातकी घोषणा कर देंगे और उसी दिनसे वह कानून रद्द समझा जायगा।

फिनैन्स बिल

'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट' की ३३ वीं धारामें कहा गया है है कि गवर्नर-जनरलके आदेशानुसार प्रत्येक वर्षके लिये केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्की दोनों सभाओंके सामने फेडरेशनके उस सालके आय-व्ययके अनुमानका ब्योरा (बजट) पेश किया जायगा। इसमें खर्चके ब्योरेमें निम्नलिखित बातें होंगी—

(क) 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट' में वर्णित फेडरेशनके रेवन्यूसे खर्च होनेवाली निश्चित रकम।

(ख) फेडरेशनके रेवन्यूसे खर्च की जानेवाली दूसरी मदोंकी रकमें।

बजटमें उपर्युक्त दोनों प्रकारके खर्चोंका ब्योरा अलग-अलग दिखाया जायगा और साथ ही गवर्नर-जनरल अगर अपने विशेष उत्तरदायित्वकी पूर्तिके लिये खर्च करनेके हेतु कोई रकम इस ब्योरेमें रखना चाहेंगे, तो बजटके स्टेटमेंटमें साफ तौरपर यह उल्लेख करना होगा कि यह रकम गवर्नर-जनरलके आदेशानुसार दर्ज की गयी है।

निम्न लिखित मदें ऐसी होंगी जो फेडरेशनके रेवन्यूसे खर्च करनेके लिये (Expenditure charged on the revenues of the Federation) निश्चित रहेंगी :—

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

(क) गवर्नर-जनरलका वेतन और एलाउएन्स तथा उनके अन्य सारे खर्च।

(ख) भारत सरकारके ऋण-शोधके लिये निश्चित रकम।

(ग) मिनिस्टरों, कौंसिलरों, फिनेन्शियल एडवाइजर, एडवोकेट-जनरल, चीफ कमिश्नर और फिनेन्शियल एडवाइजरके स्टाफके वेतन और एलाउएन्स।

(घ) फेडरल कोर्टके जजोंके वेतन, एलाउएन्स तथा पेन्शन और हाईकोर्टके जजोंकी पेन्शन।

(ङ) डिफेन्स और ईसाई धर्मके सम्बन्धमें गवर्नर-जनरलके कर्तव्य-पालनके लिये आवश्यक रकमें।

(च) भारतीय देशी राज्योंके सम्बन्धमें सम्राटके कर्तव्य पालनके लिये खर्च होनेवाली रकम।

(छ) किसी प्रान्तका जो भाग एक्सक्लूडेड एरिया (Excluded area) घोषित किया गया है, उसके शासन-खर्चके लिये जरूरी रकम।

(ज) किसी अदालत द्वारा दी गयी डिग्रीके अनुसार चुकायी जानेवाली रकम।

उपर्युक्त मदोंके खर्चपर फेडरल व्यवस्थापिका परिषदको वोट देनेका अधिकार तो न होगा परन्तु (क) और (ख) उपधाराओंके अन्तर्गत वर्णित खर्चके अलावा अन्य सभी मदोंके खर्चकी आलोचना व्यवस्थापिका परिषदमें की जा सकेगी।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

परन्तु उपर्युक्त खर्चकी मदोंको छोड़कर अन्य सभी प्रकारके खर्चके सम्बन्धमें फेडरल व्यवस्थापिका परिषद्‌की दोनों सभाओंको यह अधिकार होगा कि वे यदि चाहें तो उन्हें स्वीकार करें या बिलकुल अस्वीकार कर दें, अथवा संशोधित रूपमें स्वीकार करें।

पहले कहा जा चुका है कि फिनैन्स सम्बन्धी 'बिल' पहले फेडरल असेम्बलीमें ही पेश होगा। बजटकी जिस मदकी मांगको असेम्बली अस्वीकार कर देगी, उसपर 'कौंसिल आफ स्टेट' को तबतक विचार करनेका अधिकार नहीं होगा, जबतक गवर्नर-जनरल इसके लिये आदेश न दें। असेम्बली यदि किसी मांगकी रकमको कम कर देगी, तो 'कौंसिल आफ स्टेट' में उस कम की हुई मांगको ही विचारारार्थ पेश किया जायगा। हां, गवर्नर-जनरल यदि आदेश दें कि असेम्बलीमें पहले जितनेकी मांग पेश की गयी थी उतनेपर ही 'कौंसिल आफ स्टेट' विचार करे, तब वह उसपर विचार कर सकती है। परन्तु इस बातका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि असेम्बली यदि किसी मांगको कम कर दे और गवर्नर-जनरलको उससे सन्तोष न हो और वे मांगको बढ़ाकर 'कौंसिल आफ स्टेट' में पेश करनेका आदेश दें, तो उस हालतमें भी वे किसी मदकी मांगको उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, जितनेके लिये असेम्बलीमें पहले मांग पेश की गयी थी। इस प्रकार गवर्नर-जनरल जब उस मांगको स्वीकार करनेके लिये सिफारिश करेंगे, तो वह केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्‌की दोनों सभाओंके सामने पेश की जायगी, परन्तु परिषद्में उसपर न तो बहस होगी और न उसपर वोट ही लिये जायंगे।

Jangamwadi Math, VARANASI,
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative
Acc. No. 1856

वार्षिक बजटके अलावा अगर सालभरके अन्दर फेडरल रेवन्यू-से और कोई खर्च करना जरूरी समझा जायगा, तो व्यवस्थापिका परिषद्की दोनों सभाओंके सामने सप्लीमेण्टरी बजट पेश किया जायगा। इस सप्लीमेण्टरी बजटको पास करनेके लिये भी ठीक वैसी ही कारवाई की जायगी, जैसी सालाना बजटके लिये।

फेडरल सरकारकी बजट सम्बन्धी कारवाईके उपर्युक्त वर्णनसे यह तो प्रकट है कि फेडरल रेवन्यूसे खर्च किये जानेवाले पूर्व-निश्चत और गवर्नर-जनरलके विशेष उत्तरदायित्वके सम्बन्धके खर्चकी मदोंको छोड़कर और सभी खर्चकी मांगको स्वीकार करना या न करना फेडरल व्यवस्थापिका परिषदोंपर निर्भर रहेगा। इसलिये कहा जा सकता है कि सिद्धान्तकी दृष्टिसे शासक-मण्डलपर व्यव-स्थापिका परिषद्का नियन्त्रण रहेगा, परन्तु फेडरल रेवन्यूसे खर्च किये जानेवाले पूर्व-निश्चित मदोंका Expenditure charged on the revenue of the Federation) ही क्षेत्र इतना विस्तृत है, जिसपर फेडरल व्यवस्थापिका परिषद्को कोई अधिकार नहीं रहेगा, कि शासक मण्डलपर व्यवस्थापिका परिषद्का कोई प्रभावशाली नियन्त्रण रहना सम्भव न होगा।

परिषद्की कार्य-व्यवस्था

फेडरल व्यवस्थापिका परिषद्की दोनो सभाओंको अपने कार्य-संचालनके लिये नियमादि बनानेका अधिकार रहेगा, परन्तु साथ ही गवर्नर-जनरलको यह अधिकार दिया गया है कि "गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट" के अनुसार जिन विषयोंके सम्बन्धमें उन्हें अपने

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

विवेक अथवा वैयक्तिक निर्णयके मुताबिक काम करनेका अधिकार दिया गया है, उन विषयोंपर व्यवस्थापिका परिषदमें बहसके लिये 'फेडरल असेम्बली' के 'स्पीकर' और 'कौंसिल आफ स्टेट' के प्रेसीडेंटके साथ परामर्श करके नियम बना सकते हैं। इसके अलावा, फिनैन्स सम्बन्धी काररवाईको व्यवस्थापिका परिषदमें शीघ्र समाप्त करनेके लिये भी वे 'स्पीकर' तथा 'प्रेसीडेंट' से परामर्श लेकर नियम बना सकते हैं। फेडरेशनमें सम्मिलित होनेवाले देशी राज्योंसे सम्बन्ध रखनेवाले उन्हीं विषयोंपर व्यवस्थापिका परिषदमें विचार किया जा सकता है या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिन विषयोंमें हस्तक्षेप करनेके लिये फेडरेशनको अधिकार प्राप्त होंगे। देशी राज्य सम्बन्धी अन्य विषयोंके सम्बन्धमें परिषदमें प्रश्न पूछे जानेपर और बहस करनेपर प्रतिबन्ध लगानेके लिये 'प्रेसीडेंट' तथा 'स्पीकर' से परामर्श करके गवर्नर-जनरल नियम बना सकते हैं। इनके अतिरिक्त, 'प्रेसीडेंट' और 'स्पीकर' के परामर्शसे गवर्नर-जनरल ऐसा नियम भी बना सकते हैं कि सम्राट, गवर्नर-जनरल, किसी विदेशी राष्ट्र तथा किसी देशी नरेशके व्यक्तिगत आचरणके सम्बन्धमें 'फेडरल असेम्बली' या 'कौंसिल आफ स्टेट' में न तो कोई बहस हो सकती है और न कोई प्रश्न ही पूछा जा सकता है।

गवर्नर-जनरलको कानून बनानेका अधिकार

यों तो साधारणतः कानून बनानेका अधिकार व्यवस्थापिका परिषदको ही रहेगा, परन्तु कोई खास परिस्थिति उत्पन्न होनेपर गवर्नर-जनरलको भी कानून जारी करनेका अधिकार दिया गया है। वे कब

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative.

और कैसे कानून जारी कर सकते हैं, इसके सम्बन्धमें 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की धारा ४२ और ४३ में व्यवस्था की गयी है। इन धाराओंके अनुसार गवर्नर-जनरलको यह अधिकार रहेगा कि उन्हें यदि यह जँच जाय कि तुरत नया कानून जारी करना आवश्यक है और उस समय व्यवस्थापिका परिषद्की बैठक न होती हो, तो वे आर्डिनेन्स जारी कर सकते हैं और वह आर्डिनेन्स उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार व्यवस्थापिका परिषद् द्वारा पास किया हुआ कोई कानून। परन्तु केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्का अधिवेशन आरम्भ होनेपर उसमें इसको पेश करना जरूरी होगा और केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्की बैठक आरम्भ होनेके छः सप्ताह बाद यह आर्डिनेन्स रद्द समझा जायगा। परन्तु यदि व्यवस्थापिका परिषद्की दोनो सभाएं इस अवधिके पहले ही इस आर्डिनेन्सको रद्द करनेवाला प्रस्ताव पास करें तो दोनों सभाओंमें प्रस्ताव पास होनेके बाद तुरत ही आर्डिनेन्स रद्द समझा जायगा। इसके अलावा, गवर्नर-जनरलको भी यह अधिकार रहेगा कि वे जब चाहें तब आर्डिनेन्सको रद्द कर दे सकते हैं। सम्राटको जिस प्रकार किसी साधारण कानूनपर गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति मिल जानेपर भी उसे रद्द कर देनेका अधिकार है, उसी प्रकार उन्हें आर्डिनेन्सको भी रद्द करनेका अधिकार रहेगा।

उपर्युक्त अधिकारको तो उसी अवस्थामें गवर्नर-जनरल काममें ला सकते हैं जब व्यवस्थापिका परिषद्का अधिवेशन न होता होगा; लेकिन अपने जिस उत्तरदायित्वका पालन करनेके लिये गवर्नर-

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

जनरलको अपनी विवेक-बुद्धिसे काम लेनेका अधिकार दिया गया है उसके सम्बन्धमें यदि उन्हें यह जँच जाय कि तुरत काररवाई करनेके लिये नया कानून बनाना आवश्यक है, तो वे छः महीने तकके लिये आर्डिनेन्स जारी कर सकते हैं और यह अवधि समाप्त हो जानेपर फिर एक बार छः महीनेके लिये इस आर्डिनेन्सकी अवधिको बढ़ा सकते हैं। ऐसे आर्डिनेन्सको रद्द करनेका अधिकार व्यवस्थापिका परिषदोंको नहीं होगा। गवर्नर-जनरल यदि इस प्रकारके आर्डिनेन्सके पहले छः महीनेकी अवधि समाप्त होनेपर फिर छः महीनेके लिये इसकी अवधि बढ़ाने लगेंगे तो भारतमंत्रीको इसकी सूचना देनी जरूरी होगी, और भारतमंत्री इस आर्डिनेन्सके मसविदेको ब्रिटिश पार्लमेंटके सामने रखेंगे।

आर्डिनेन्सके अलावा, नये शासन-विधानकी ४४ वीं धाराके अनुसार गवर्नर-जनरलको और भी एक प्रकारका कानून जारी करनेका अधिकार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि गवर्नर-जनरलको अपने उत्तरदायित्व सम्बन्धी जिन कार्यों के विषयमें अपनी विवेक-बुद्धिसे काम लेनेका अधिकार दिया गया है, वैसे उत्तर-दायित्वके सुचारु रूपसे पालनके लिये यदि उन्हें कोई स्थायी कानून बनाना आवश्यक प्रतीत होगा तो वे केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदकी दोनो सभाओंको संदेश भेजकर सूचित करेंगे कि मै कानून बना रहा हूं और वे इस सन्देशमें भलीभांति प्रकाश डालेंगे कि कैसी परिस्थितिके कारण ऐसा कानून बनाना जरूरी समझा गया है। गवर्नर-जनरल यदि चाहेंगे तो इस सन्देशके साथ ही उस कानूनका

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

मसविदा (बिल) भी व्यवस्थापिका परिषद्‌की दोनो सभाओंके पास भेजेंगे। यदि गवर्नर-जनरल सन्देशके साथ 'बिल' का मसविदा व्यवस्थापिका परिषद्‌की दोनो सभाओंके पास भेजेंगे तो इसके एक महीनेके बाद वे अपने इच्छानुसार उस 'बिल' को उसी रूपमें अथवा संशोधित रूपमें कानूनका रूप दे सकते हैं; परन्तु ऐसा करनेके पहले यदि परिषद्‌की ओरसे उनसे इस 'बिल' अथवा इसके संशोधनके सम्बन्धमें कुछ अनुरोध किया जायगा तो उसपर विचार करना भी आवश्यक होगा। गवर्ननर-जनरल द्वारा पास किया हुआ प्रत्येक 'एक्ट' भारतमन्त्रीके पास भेजा जायगा और वे इसको पार्लमेंटकी दोनो सभाओंके सामने रखेंगे। ऐसा कानून "गवर्नर-जनरल्स एक्ट" कहलायगा।

विधान अगर फेल हो जाय तो ?

इस विधानकी ४५ वीं धाराको पढ़नेसे यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि 'पार्लमेंटरी ज्वायण्ट कमेटी'को तथा 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया बिल' का मसविदा तैयार करनेवालोंको यह आशङ्का थी कि हिन्दुस्तानका उग्र राष्ट्रवादी दल यदि अड़ंगा नीति अख्तियार करे तो इस विधानके अनुसार कार्य-संचालन असम्भव हो सकता है। इसलिये विधानकी ४५ वीं धारामें गवर्नर-जनरलको यह अधिकार दिया गया है कि विधानके अनुसार कार्य-संचालन यदि असम्भव हो जाय—कंस्टीट्यूशनल मशीनरी अगर फेल कर जाय—तो एक घोषणा निकालकर फेडरल न्याय-विभागके अधिकारोंको छोड़कर और सभी अधिकारोंको वे अपने हाथमें ले सकते हैं। यह

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

घोषणा छः महीने तकके लिये जायज रहेगी। इस घोषणाकी सूचना भारतमन्त्रीको दी जायगी, जो इसको पार्लमेंटके सामने रखेंगे। गवर्नर-जनरल दूसरी घोषणा प्रकाशित करके पहली घोषणाको छः महीनेके अन्दर भी रद्द कर सकते हैं। छः महीनेकी अवधि समाप्त हो जानेपर उसके बाद भी अधिकार अपने ही हाथोंमें रखनेके लिये दूसरी घोषणा प्रकाशित करनेका अधिकार गवर्नर-जनरलको नहीं दिया गया है, किन्तु पार्लमेंटकी दोनो सभाएं यदि प्रस्ताव पास करके गवर्नर-जनरलकी घोषणाकी अवधिको बढ़ाना चाहें तो वह ऐसा कर सकती हैं। ऐसी अवस्थामें बारह महीनेके लिये पार्लमेंट घोषणा की अवधिको बढ़ा सकती है। जब-जब पार्लमेंट ऐसा प्रस्ताव पास करेगी तभी यह अवधि बारह महीनेके लिये बढ़ जायगी, परन्तु किसी अवस्थामें भी यह अवधि तीन वर्षसे अधिक दिनोंतक नहीं जारी रखी जा सकती है। गवर्नर-जनरलकी प्रथम घोषणाके दिनसे तीन सालकी अवधि पूरी हो जानेके बाद फिर विधानके अनुसार कार्य होने लगेगा। इस अवधिके बीच यदि गवर्नर-जनरलने कोई कानून जारी किया होगा तो वह, पुनः विधानके अनुसार कार्य आरम्भ होनेके दो वर्ष बाद तक लागू रहेगा; किन्तु इस दो वर्षकी अवधिके पहले ही यदि फेडरल व्यवस्थापिका परिषद उसको रद्द कर देना चाहे तो वह ऐसा कर सकती है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

फेडरेशन, प्रान्त तथा देशी राज्य

मांटेगु-चेम्सफोर्ड शासन-सुधारके अनुसार ब्रिटिश भारतकी शासन-व्यवस्था ऐसी थी कि प्रान्तीय सरकारें भारत सरकारके अधीन थीं और केन्द्रीय सरकारकी आज्ञाओंका पालन करनेके लिये वे वाध्य थीं। परन्तु नये विधानके अनुसार फेडरेशनके विभिन्न अंगोंका (केन्द्रीय, प्रान्तीय और देशी राज्यकी सरकारका) अधिकार-क्षेत्र वहुत अंशोंमें निश्चित कर दिया गया है। अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रके लिये कानून वनानेकी इन्हें स्वतंत्रता दी गयी है; हां, कुछ विषय ऐसे हैं जिनके सम्बन्धमें प्रान्तीय और देशी राज्यकी व्यवस्थापिका सभाओंको कानून बनानेकी स्वतंत्रता रहते हुए भी केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्‌को कानून बनानेका अधिकार दिया गया है।

नये विधानके अनुसार, समस्त फेडरेशनसे सम्बन्ध रखनेवाले विषयके लिये कानून वनानेका अधिकार फेडरल व्यवस्थापिका परिषद्‌को रहेगा और वह जो कानून वनायगी, वह प्रत्येक प्रान्तके अलावा उन देशी राज्योंके लिये भी लागू होगा जो फेडरेशनके अन्तर्गत आ चुके रहेंगे। इसी प्रकार, फेडरल व्यवस्थापिका परिषद द्वारा वनाये गये कानूनको कार्यान्वित करनेका अधिकार भी फेडरेशन और फेडरेशनके अधिकारियोंको ही होगा। परन्तु गवर्नर-जनरल यदि चाहें तो किसी शर्तके साथ या बिना शर्तके भी, प्रान्तीय

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सरकार तथा फेडरेशनके अन्तर्गत आये हुए देशी राज्यके शासकको फेडरल सरकारके अधिकारियोंकी ओरसे कार्य करनेका भार सौंप सकते हैं। साथ ही, फेडरल व्यवस्थापिका परिषद यदि चाहे तो वह प्रान्तीय तथा फेडरेशनके अन्तर्गत आये हुए देशी राज्यकी सरकारोंको फेडरल सरकारकी ओरसे कानूनको कार्यान्वित करनेका अधिकार दे सकती है।

'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की १२५ वीं धारामें स्पष्ट कहा गया है कि गवर्नर-जनरल और किसी देशी राज्यके शासकके बीच समझौता हो सकता है, जिसके अनुसार देशी नरेशको अपने राज्यमें फेडरल व्यवस्थापिका परिषद द्वारा पास किये गये कानूनको कार्यान्वित करनेका अधिकार दिया जा सकता है, किन्तु साथ ही, इस समझौतेमें ऐसी एक शर्तको रखना भी जरूरी होगा कि गवर्नर-जनरलको यह अधिकार रहेगा कि जांच द्वारा अथवा जिस प्रकार हो सके, उन्हें इस बातका इतमीनान हो जाना चाहिये कि फेडरल कानूनको ठीक तरहसे उस राज्यके शासक कार्यान्वित कर रहे हैं। यदि उन्हें पता चले कि उस कानूनको भलीभांति कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है तो वे इस सम्बन्धमें उस राज्यके शासकके नाम आदेश जारी कर सकते हैं।

प्रान्तीय शासनके सम्बन्धमें भी विधानकी धारा १२६ में कहा गया है कि प्रान्तीय शासन सम्बन्धी अधिकारोंका प्रयोग इस प्रकार किया जायगा कि प्रान्तोंके लिये फेडरेशन द्वारा बनाये गये कानूनके फेडरल सरकारके अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किये जानेमें किसी

GC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

प्रकार बाधा न पड़े, और इसको ध्यानमें रखकर फेडरल सरकार प्रान्तीय सरकारको समय-समयपर आदेश दे सकती है। परन्तु यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय कि फेडरल सरकारने प्रान्तीय सरकारको जो आदेश दिया है, उसे वह अमान्य कर दे, तो गवर्नर-जनरल अपने विशेषाधिकार द्वारा, अपनी विवेक-बुद्धिके अनुसार, प्रान्तीय गवर्नरको उस आदेशको कार्यान्वित करनेकी आज्ञा दे सकते हैं। प्रान्तीय गवर्नरोंको जो नये विधानके अनुसार विशेष उत्तरदायित्व दिये गये हैं, उनमें एक यह भी है कि कानूनके अनुसार गवर्नर-जनरल जो आदेश जारी करें उसे वे कार्यान्वित करें। गवर्नर-जनरल द्वारा इस प्रकारकी आज्ञा जारी किये जानेपर अपने मंत्रिमण्डलके परामर्शके विरुद्ध भी उसका पालन करना गवर्नरके लिये अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, भारतमें शान्ति और व्यवस्थापर आनेवाले किसी भयंकर खतरेको रोकनेके लिये गवर्नर-जनरल यदि आदेश देंगे कि प्रान्तीय शासकोंको अपने अधिकारका किस प्रकार उपयोग करना चाहिये, तो उसका पालन करना भी गवर्नरके लिये लाजिमी होगा।

फेडरेशनके अन्तर्गत आनेवाले देशी राज्योंमें भी कुछ हदतक फेडरल व्ययस्थापिका परिषद द्वारा पास किये गये कानून लागू होंगे, इसलिये शासन-विधानकी १२८ धारामें इस बातकी व्यवस्था दी गयी है कि उन देशी राज्योंके अधिकारियोंके लिये यह आवश्यक होगा कि वे अपने अधिकारका उपयोग इस प्रकार करें कि फेडरल व्यवस्थापिका परिषद द्वारा पास किये गये कानूनके अनुसार कार्य

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

होनेमें बाधा न पड़े। उन राज्योंके शासकका यह कर्त्तव्य होगा कि वे फेडरल कानूनके उस अंशको अपने यहां कार्यान्वित करें, जिसका सम्बन्ध उनके राज्यसे है। गवर्नर-जनरलको यदि यह मालूम हो कि फेडरेशनके अन्तर्गत आये हुए राज्यके नरेश अपने यहां फेडरल व्यवस्थापिका परिषद् द्वारा पास किये गये कानूनको कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं तो उन्हें अपनी विवेक-बुद्धिसे कार्य करनेका जो विशेष अधिकार दिया गया है उसके अनुसार वे उस राज्यके शासकके नाम आदेश जारी कर सकते हैं। देशी राज्यके किसी क्षेत्रमें फेडरल अधिकारियोंकी शासन सम्बन्धी अधिकार-सीमाके विषयमें यदि कोई झगड़ा खड़ा हो तो, इसका निर्णय फेडरल अदालत द्वारा किया जायगा।

विभिन्न प्रान्तों अथवा फेडरेशनके अन्तर्गत रहनेवाले ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों और देशी राज्योंके बीच कानूनी विवादके अलावा अन्य प्रकारके विवाद भी कभी-कभी उत्पन्न हो सकते हैं, जिनका निपटारा किसी अदालत द्वारा नहीं हो सकता है। इसीलिये वर्तमान 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' में इस बातकी व्यवस्था है कि ऐसे झगड़ोंके निपटारेके लिये आवश्यकता पड़नेपर बादमें सम्राट "अन्तर प्रान्तीय कौंसिल" नियुक्त करनेकी घोषणा कर सकते हैं। यह 'कौंसिल' किस प्रकार संगठित होगी और इसके क्या कर्तव्य होंगे—इत्यादि बातोंका स्पष्ट उल्लेख उस घोषणामें ही कर दिया जायगा।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

फेडरल फिनैन्स

नये विधानके अनुसार कार्य आरम्भ होनेपर प्रान्तीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकारका खर्च भी बढ़ जायगा, यह तो एक निश्चित बात थी। निर्वाचकोंको संख्यामें वृद्धि, व्यवस्थापिका सभाओं-के विस्तार तथा नये प्रान्त कायम होनेके फलस्वरूप खर्च बढ़ जाना अनिवार्य था। पार्लमेण्टरी ज्वायण्ट सेलेक्ट कमेटीको यह बात सुझायी गयी थी कि प्रान्तीय सरकारोंके खर्चमें लगभग पचहत्तर लाख, और लगभग उतने ही रुपयेका खर्च केन्द्रीय सरकारका भी बढ़ जायगा। एक ओर जहां खर्च इस प्रकार बढ़ेंगे, वहां बर्माके भारतसे अलग कर दिये जानेके कारण भारत-सरकारको लगभग तीन करोड़ रुपये सालाना रेवन्यूसे भी हाथ धोना पड़ेगा। हां, बर्माके पृथक् होनेपर वहांसे भारतमें आनेवाले मालपर फेडरल सरकार आयात-कर लगा सकेगी, जिससे कुछ आमदनी हो सकती है। परन्तु बर्माके पृथक् होनेसे जो तीन करोड़के रेवन्यूकी हानि होगी, उसकी पूर्ति इस आयात-करसे होनेकी आशा नहीं की जा सकती है।

परन्तु फेडरल सरकारसे भी बढ़कर जटिल आर्थिक समस्या प्रान्तीय सरकारोंके लिये है; क्योंकि इनका खर्च तो बढ़ जायगा, लेकिन आमदनीके साधन बढ़नेकी कोई खास सूरत नहीं दिखाई पड़ती। जिन जरियोंसे आमदनी हो सकती है, उनमेंसे अधिकांश केन्द्रीय सरकारके ही हाथोंमें हैं। केन्द्रीय सरकारके पास भी उतनी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

ज्यादा बचत होनेकी कोई आशा नहीं कि उससे प्रान्तीय सरकारों-को ज्यादा कुछ मदद मिल सके। फिर भी, इन बातोंको ध्यानमें रखते हुए फिनैन्स सम्बन्धी प्रश्नको हल करनेकी कोशिश की गयी है।

"गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट" की १३७ वीं धाराके अनुसार निम्न लिखित टैक्स और ड्यूटी लगाने और वसूल करनेका अधिकार फेडरल सरकारको होगा—

(१) कृषि-सम्बन्धी जमीनको छोड़, अन्य प्रकारकी जायदादपर उत्तराधिकार-सूत्रसे अधिकार पानेके लिये लगनेवाली ड्यूटी।

(२) चेक, प्रोमिसरी नोट, इन्श्योरेन्स पालिसी, हुण्डी आदि-पर लगनेवाली स्टैम्प ड्यूटी।

(३) रेलवे अथवा हवाई जहाजसे आने-जानेवाले माल या मुसाफिर पर लगनेवाला टरमिनल टैक्स।

(४) रेलवेसे सफर करनेवाले मुसाफिरके किराये और मालके भाड़ेपर लगनेवाला टैक्स।

लेकिन इनको वसूल करनेमें जो खर्च होगा उसे काटकर, बाकी रकमके बंटवारेके लिये फेडरल व्यवस्थापिका सभा कानून पास करके जो सिद्धान्त स्थिर कर देगी, उसके अनुसार यह रकम फेडरेशनके विभिन्न प्रान्तों, और जिन देशी राज्योंसे यह रकम वसूल की गयी रहेगी, उनमें बांट दी जायगी। परन्तु फेडरल व्यवस्थापिका परिषदको यह अधिकार दिया गया है कि वह जब जरूरी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

समझेगी तब फेडरल सरकारके लिये सरचार्ज लगाकर इन ड्यूटी और टैक्सोंको बढ़ा भी सकेगी। इस प्रकार जो सरचार्ज वसूल किया जायगा वह फेडरल सरकारके रेवन्यूमें शामिल किया जायगा; वह प्रान्त और देशी राज्योंके बीच बांटा नहीं जायगा।

विधानकी धारा १३८ में कहा गया है कि इनकमटैक्स लगाने और वसूल करनेका अधिकार फेडरेशनको ही होगा। परन्तु साथ ही यह भी व्यवस्था दी गयी है कि इनकमटैक्सकी जो आमदनी होगी, उसका एक निश्चित अनुपात प्रान्तीय सरकारों और फेडरेशनके अन्तर्गत आये हुए देशी राज्योंके लिये अलग रख दिया जायगा। इनकम-टैक्सका कितना भाग प्रान्तीय सरकार और देशी राज्योंके लिये रखा जायगा, इसका निश्चय कौंसिलयुक्त सम्राट करेंगे।

फेडरल सरकारको "कारपोरेशन टैक्स" लगानेका भी अधिकार दिया गया है। 'कारपोरेशन टैक्स' से मतलब ऐसे टैक्ससे है, जो व्यापारिक कम्पनीके मुनाफेके उस हिस्सेपर लगाया जाता है, जिसपर इनकम-टैक्स सम्बन्धी कानून लागू नहीं होता है। लेकिन विधानकी धारा १३९ में कहा गया है कि फेडरल सरकार किसी देशी राज्यकी व्यापारिक कम्पनीपर तबतक कारपोरेशन-टैक्स नहीं लगा सकती है, जबतक उस राज्यको फेडरेशनके अन्दर आये दस वर्ष न हो चुके हों।

नमकपर लगनेवाले टैक्स और निर्यात-करके सम्बन्धमें भी वर्तमान विधानमें व्यवस्था है कि इन टैक्सोंको वसूल तो करेगी फेडरल सरकार, परन्तु फेडरल व्यवस्थापिका परिषद यदि चाहे तो

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

कानून पास करके यह निश्चय कर सकती है कि इस प्रकार जो रकम वसूल होगी, उसमेंसे वसूल करनेका कुल खर्च काटकर जो रकम बाकी बचेगी वह कुल रकम अथवा उसका कोई निश्चित अंश प्रान्तों तथा फेडरेशनके देशी राज्योंकी सरकारोंके बीच बांट दिया जायगा। विभिन्न प्रान्त और देशी राज्योंको इसका कितना हिस्सा मिलेगा, इसका सिद्धान्त इस कानूनमें ही स्थिर कर दिया जायगा। इसके अलावा, पार्लमेण्टरी ज्वायण्ट कमेटीके सामने बंगालके प्रतिनिधियोंने इस बातपर बहुत जोर डाला था कि पाटके निर्यातपर लगनेवाले करसे जो कुछ भी आमदनी होती है, वह बंगालको ही मिलनी चाहिये, क्योंकि पाटकी उपज बंगालमें ही होती है। 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' में इनकी इस मांगको बहुत अंशोंमें स्वीकार करके यह व्यवस्था की गयी है कि पाट या पाटकी बनी हुई चीजोंके निर्यातपर लगनेवाले करसे फेडरल सरकारको जो आमदनी होगी, उसमेंसे कर वसूल करनेका खर्च काटकर आमदनीका आधा या उससे जितना ज्यादा कौंसिलयुक्त सम्राट चाहेंगे, उतना पाटकी खेती करनेवाले प्रान्त या देशी राज्योंको देनेकी आज्ञा जारी करेंगे। जिस प्रान्त और देशी राज्यमें जिस परिमाणमें पाटकी उपज होगी, उसी अनुपातके अनुसार उन्हें इस रकममेंसे प्रति वर्ष हिस्सा मिला करेगा।

फिनैन्स सम्बन्धी कानून पास करनेका अधिकार यों तो फेडरल व्यवस्थापिका परिषद और प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद, दोनोंकी रहेगा, परन्तु दोनोंके क्षेत्र यथासम्भव एक दूसरेसे पृथक कर दिये गये हैं, जो निम्न लिखित सूचीसे प्रकट है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

फिनैन्स सम्बन्धी फेडरल कानूनकी सूची

१—जकात, जिसमें निर्यात-कर भी शामिल है।

२—आदमीके पीनेके लिये बननेवाली शराब, अफीम या अन्य मादक द्रव्य, शराब या अफीमसे बननेवाली दवा और शृङ्गार सामग्रीको छोड़, हिन्दुस्तानमें बननेवाली अन्य चीजों और तम्बाकूपर लगनेवाली चुङ्गी।

३—कारपोरेशन टैक्स।

४—नमक-कर।

५—कृषि सम्बन्धी आयको छोड़ अन्य सभी प्रकारकी आयपर लगनेवाला इनकम-टैक्स।

६—व्यापारिक कम्पनियोंकी पूंजीपर लगनेवाला टैक्स।

७—कृषि सम्बन्धी जमीनको छोड़ अन्य प्रकारकी जायदादपर उत्तराधिकार प्राप्त करनेके समय लगनेवाला टैक्स।

८—बिल-आफ-एक्सचेञ्ज, चेक, प्रोमिसरी नोट, रसीद और इन्श्योरेन्स पालिसी आदिपर लगनेवाला स्टैम्प।

९—रेल-हवाई जहाज द्वारा जानेवाले माल या मुसफिरके भाड़े या महसूलपर लगनेवाली चुङ्गी।

फिनैन्स सम्बन्धी प्रान्तीय कानूनकी सूची

निम्न लिखित टैक्स लगानेके सम्बन्धमें कानून पास करनेका अधिकार प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदको रहेगा—

१—जमीनका लगान।

२—प्रान्तमें तैयार होनेवाली इन चीजोंपर—

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

(क) आदमीके काममें आनेवाली शराब।

(ख) अफीम तथा अन्य मादक द्रव्य।

(ग) शराब या अन्य मादक द्रव्यसे बनी हुई दवा या शृङ्गार सम्बन्धी वस्तु।

३—कृषि सम्बन्धी आयपर लगनेवाला टैक्स।

४—जमीन और मकान सम्बन्धी टैक्स।

५—खनिज पदार्थ सम्बन्धी अधिकारके लिये लगनेवाला टैक्स।

६—कैपिटेशन टैक्स।

७—पेशा या व्यवसायके लिये लगनेवाला टैक्स।

८—जानवर और नाव आदिपर लगनेवाला टैक्स।

९—विज्ञापन तथा चीजोंको बिक्रीपर लगनेवाला टैक्स।

१०—एम्यूजमेण्ट (मनोरंजन) और जुआ आदिपर लगनेवाला टैक्स।

११—फेडरल सूचीमें दिये हुए विषयोंके अलावा अन्य कागजातपर लगनेवाले स्टैम्प।

१२—प्रान्तीय सरकारकी अधिकार-सीमाके अन्तर्गत जलमार्गसे आने-जानेवाले माल और मुसाफिरपर लगनेवाला टैक्स।

एक बात और जो स्मरण रखनेकी है, वह यह है, कि फेडरल सरकार या प्रान्तीय सरकारके रेवन्यूसे सिर्फ भारतके लिये ही खर्च किया जा सकता है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

रिजर्व बैंक

पार्लमेण्टमें 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया बिल' पेश होनेके पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेण्टकी ओरसे इस सम्बन्धमें जो 'ह्वाइटपेपर' निकाला गया था, उसमें इस बातका स्पष्ट संकेत किया गया था कि फेडरेशन कायम होनेके लिये यह आवश्यक है कि भारतमें 'रिजर्व बैंक' कायम हो और वह भलीभांति काम करती हो। बैङ्क-नोट जारी करना, ब्रिटिश भारतकी सिक्का सम्बन्धी स्थिरता (Monetary stability) कायम रखनेके लिये रिजर्वमें काफी सोना रखना और आमतौरपर करेन्सी और क्रेडिटका देशके अनुकूल संचालन करना 'रिजर्व बैङ्क'का ही काम होगा। 'ह्वाइटपेपर' के इस संकेतके अनुसार भारतीय व्यवस्थापिका परिषदने १९३४ ई० में "रिजर्व बैङ्क एक्ट" पास किया जिसके अनुसार एक-एक सौ रुपयेके शेयरमें विभक्त इसका मूलधन पांच करोड़ रुपया रखा गया है। बम्बई, कलकत्ता मद्रास और दिल्ली हलकोंके लिये अलग-अलग रजिस्टर रखे गये हैं, परन्तु बैंकके कार्य सञ्चालनके लिये डाइरेक्टरोंका एक केन्द्रीय बोर्ड रखा गया है। इस बोर्डमें बैंकके एक गवर्नर तथा दो डिप्टी गवर्नर कौंसिलयुक्त गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। चार डाइरेक्टर भी कौंसिलयुक्त गवर्नर-जनरल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं तथा आठ डाइरेक्टर शेयर-होल्डरों द्वारा चुने जाते हैं। कौंसिलयुक्त गवर्नर-जनरल एक सरकारी अफसरको भी बोर्डका डाइरेक्टर मनोनीत करते हैं। इतनी व्यवस्था तो भारतीय व्यवस्थापिका परिषद द्वारा पास किये गये "रिजर्व बैंक एक्ट" में ही है; गवर्नमेण्ट

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

आफ इण्डिया एक्ट द्वारा गवर्नर-जनरलको यह अधिकार दिय गया है कि वे रिजर्व बैंकके गवर्नर और डिप्टी गवर्नरोंको नियुक्त और बर्खास्त कर सकते हैं, उनके वेतन और एलाउएन्स निश्चित कर सकते हैं तथा उनकी सर्विसकी शर्तें तय कर सकते हैं। गवर्नर-जनरलको बैंकके स्थानापन्न गवर्नर और डिप्टी-गवर्नर नियुक्त करने, सेण्ट्रल बोर्डको हटा देने तथा बैंकको लिकीडेशनमें भेजनेका भी अधिकार होगा। इसके अलावा "गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट" में साफ तौरपर यह भी उल्लेख किया गया है कि पहले गवर्नर-जनरलकी अनुमति लिये बिना फेडरल व्यवस्थाधिका परिषदकी किसी सभामें कोई ऐसा 'बिल' या संशोधन नहीं पेश किया जा सकता है जिससे फेडरेशनके सिक्के या करेन्सी अथवा रिजर्व बैंकके सङ्गठन तथा इसके कार्यपर असर पड़ता हो। इन अधिकारोंका उपयोग गवर्नर-जनरल अपनी कौंसिलके परामर्शसे नहीं, बल्कि अपनी विवेक-बुद्धिसे ही करेंगे।

ऋण लेनेका अधिकार—इस एक्टके सनुसार कार्य आरम्भ होनेके पहले तक तो मांटेगु-चेम्सफोर्ड शासन सुधारके अनुसार भारतके लिये भारतके रेवेन्यूकी सिक्योरिटीपर कर्ज लेनेका अधिकार कौंसिलयुक्त भारतमंत्रीको रहा है। परन्तु प्रान्तोंमें नये विधानके अनुसार कार्य आरम्भ हो जानेपर कौंसिलयुक्त भारतमन्त्रीके इस अधिकारका अन्त हो जायगा। लेकिन प्रान्तोंमें नये विधानके अनुसार कार्य आरम्भ हो जानेके समयसे लेकर फेडरेशनकी स्थापना होनेतक—इस सन्धिकालमें—कौंसिलयुक्त भारतमंत्रीको भारतके लिये 'स्टर्लिंग लोन' लेनेका अधिकार रहेगा।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

कानून बनानेका अधिकार

कानून बनानेके सम्बन्धमें फेडरल व्यवस्थापिका परिषद तथा प्रान्तीय व्वस्थापिका परिषद्के अधिकारकी सीमाके सम्बन्धमें साधारणतः यह कहा जा सकता है कि फेडरल व्यवस्थापिका परिषद तो समस्त ब्रिटिश भारत या इसके किसी भाग या फेडरेशनके अन्दर आये हुए देशी राज्यके लिये कानून बना सकती है परन्तु प्रान्तीय व्वस्थापिका परिषद केवल उस प्रान्त अथवा उसके किसी भागके लिये ही कानून बना सकती है।

'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की दफा ९९ के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदको जो कानून बनानेका अधिकार दिया गया, है, उसके होते हुए भी फेडरल व्यवस्थापिका परिषद्के कानून ब्रिटिश प्रजा तथा सम्राटके कर्मचारियोंके लिये सर्वत्र लागू होंगे, चाहे वे भारतके किसी भागमें क्यों न हों। भारतके किसी भागमें जो ब्रिटिश प्रजाजन बस गये हैं तथा ब्रिटिश भारत या फेडरेशनमें सम्मिलित देशी राज्यमें जिस जहाज या हवाई जहाजकी रजिस्टरी हो चुकी है उसपर रहनेवाले लोगोंपर भी फेडरल व्यवस्थापिका परिषद द्वारा पास किया हुआ कानून लागू होगा, चाहे वे जहां भी हों।

'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' में इस बातको स्पष्ट कर दिया गया है कि किन विषयोंके सम्बन्धमें सिर्फ फेडरल व्यवस्थापिका

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

परिषद कानून बना सकती है और किन विषयोंके सम्बन्धमें कानून बनानेका अधिकार सिर्फ प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदको रहेगा तथा किन विषयोंमें दोनोको कानून बनानेका अधिकार होगा। उसके अनुसार जो कानून बनानेकी अधिकार-सीमा निर्धारित की गयी है उस वह प्रकार है :—

फेडरल व्यवस्थापिका परिषदकी अधिकार-सीमा

(१) प्रान्तीय सशस्त्र या मिलिटरी पुलिस तथा देशी राज्यमें काम आनेवाली फौजको छोड़कर, भारतके खर्चसे जो सम्राटकी नौसेना तथा स्थल और हवाई सेना या अन्य किसी प्रकारकी सेना रहेगी उसके सम्बन्धमें, केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो तथा देशी राज्य सम्बन्धी सम्राटके कर्तव्य-पालनके सम्बन्धमें कानून बनानेका अधिकार फेडरल व्यवस्थापिका परिषदको ही होगा।

(२) नौ-सेना, मिलिटरी और हवाई-सेना सम्बन्धी कार्य तथा फौजी छावनीवाले हल्के के लिये लोकल सेलफ गवर्नमेंट सम्बन्धी कानून।

(३) अन्य देशोंके साथ किये गये समझौते और सन्धिको कार्यान्वित करनेके लिये बननेवाले कानून।

(४) ईसाई धर्म और यूरोपियनोंके कब्रिस्तान सम्बन्धी कानून।

(५) करेन्सी, सिक्का-ढलाई और लीगल टेण्डर सम्बन्धी कानून।

(६) फेडरेशनके कर्जके सम्बन्धमें कानून।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

(७) पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस ब्रौडकास्टिंग और पोस्ट औफिस सेविंग्स बैंक आदि।

(८) फेडरल पब्लिक-सर्विस और फेडरल पब्लिक कमीशन।

(९) फेडरेशन द्वारा दी जानेवाली अर्थात् फेडरल रेवन्यूसे दी जानेवाली पेन्शन।

(१०) इम्पीरियल लाइब्रेरी, इम्पीरियल म्यूज़ियम, इम्पीरियल वार-म्यूज़ियम, विक्टोरिया मेमोरियल तथा ऐसी ही अन्य कोई संस्था, जिसका खर्च फेडरेशनकी ओरसे दिया जाता हो या जो फेडरेशनके नियंत्रणमें हो।

(११) रिसर्च, टेक्निकल ट्रेनिंग या खास ढंगकी तालीमके लिये फेडरेशनकी ओरसे जो संस्था संचालित होती हों।

(१२) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी तथा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।

(१३) हिन्दुस्तानका जूलोजिकल, जियोलोजिकल और बोटानिकल सर्वे आदि।

(१४) प्राचीन तथा ऐतिहासिक मौनूमेंट और प्राचीन शिल्पकी रक्षाके लिये।

(१५) मद्रु मशुमारी।

(१६) ऐसे लोगोंके आने, प्रवास या निर्वासनके सम्बन्धमें, जो भारतमें बसनेवाले ब्रिटिश प्रजाजन नहीं हैं।

(१७) फेडरल सरकार द्वारा निर्धारित सीमाके बाहर जाने या बाहरसे आनेवाले मालपर चुंगी।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

(१८) फेडरल रेलवे तथा (छोटी-छोटी रेलवेको छोड़कर) अन्य सभी रेलवेके सम्बन्धमें।

(१९) जहाजी कारवार।

(२०) बड़े-बड़े बन्दरगाह और ऐसे बन्दरगाहोंका सीमा-निर्धारण तथा वहांके अधिकारियोंका संगठन।

(२१) समुद्रमें मछली पकड़नेका व्यवसाय।

(२२) हवाई जहाजके अड्डे और हवाई जहाज द्वारा मुसाफिरोंके आने जानेकी व्यवस्था आदि।

(२३) कापीराइट, आविष्कार, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क इत्यादि।

(२४) चेक, बिल आफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट इत्यादि।

(२५) अस्त्र-शस्त्र, गोली-बारूद आदि।

(२६) विष्फोटक पदार्थ।

(२७) निर्यातके लिये अफीमके उत्पादन, मैनुफैक्चर और बिक्री आदि।

(२८) पेट्रोल तथा फेडरल कानून द्वारा जिन अन्य पदार्थोंको इसी प्रकार जल उठनेवाली चीज घोषित किया जायगा उनको रखने आदिके सम्बन्धमें।

(२९) व्यावसायिक कारपोरेशन और बैंकिंग कारपोरेशन आदि की स्थापना तथा कार्य-संचालन आदि सम्बन्धी कानून।

(३०) उद्योग-धन्धोंकी उन्नति।

(३१) खानों और तैल-क्षेत्रोंमें काम करनेवाले लोगोंकी रक्षा तथा कामके रेगुलेशन आदि।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

(३२) वीमा सम्बन्धी कानून।

(३३) वैंकिंग सम्बन्धी व्यवसाय।

(३४) फेडरल व्यवस्थापिका परिषद्के निर्वाचन सम्बन्धी ऐसे कानून बनाना जो 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' और 'और्डर-इन-कौंसिल' के प्रतिकूल न हों।

(३५) फेडरल सरकारके मिनिस्टरों तथा 'कौंसिल आफ स्टेट' के प्रेसीडेंट और डिप्टी प्रेसीडेंट तथा असेम्बलीके 'स्पीकर' और डिप्टी-स्पीकरके वेतन सम्बन्धी निर्णय।

(३६) कस्टम्स ड्यूटी और निर्यात-कर।

(३७) आदमीके पीनेके लिये बननेवाली शराब, अफीम तथा अलकोहल-मिश्रित शृङ्गार सामग्रीको छोड़कर भारतमें बननेवाली तम्बाकू तथा अन्य प्रकारकी चीजोंपर टैक्स।

(३८) कारपोरेशन टैक्स।

(३९) नमक-कर।

(४०) स्टेट लौटरी।

(४१) अन्य देशके लोगोंके भारतका नागरिक बननेके सम्बन्धमें कानून।

(४२) भारतके अन्तर्गत ही एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें जाकर बसनेके सम्बन्धमें कानून।

(४३) तौलके स्टैण्डर्ड सम्बन्धी कानून।

(४४) रांचीका यूरोपियन पागलखाना।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

(४५) कृषि सम्बन्धी आयको छोड़कर अन्य सभी प्रकारकी आयपर लगनेवाला टैक्स।

(४६) कृषि सम्बन्धी सम्पत्तिको छोड़कर अन्य सभी प्रकारकी सम्पत्ति तथा कम्पनीकी पूंजीपर लगनेवाला टैक्स।

(४७) 'बिल आफ एक्सचेंज', चेक, प्रोमिसरी नोट, इन्श्योरेन्स-पालिसी आदिपर लगनेवाला स्टैम्प।

(४८) रेलवे या हवाई जहाज द्वारा सफर करनेवाले मुसाफिर या मालपर टर्मिनल टैक्स तथा रेलवे महसूल और भाड़ेपर लगनेवाला टैक्स।

प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदकी अधिकार-सीमा

प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदको निम्नलिखित विषयोंके सम्बन्धमें कानून बनानेका अधिकार रहेगा—

(१) सार्वजनिक शान्ति, न्याय-विभाग सम्बन्धी कार्य, फेडरल अदालतको छोड़कर अन्य सभी अदालतोंका संगठन और इन अदालतोंमें लगनेवाली फीस; सार्वजनिक शान्ति कायम रखनेके लिये नजरबन्दी आदि।

(२) मालगुजारी और रेवन्यू सम्बन्धी प्रोसीड्योर और फेडरल अदालतको छोड़कर अन्य सभी अदालतोंके कार्य तथा अधिकार-क्षेत्र।

(३) पुलिस (इसमें रेलवे पुलिस भी सम्मिलित है)।

(४) जेल विभाग।

(५) प्रान्तीय सरकारका ऋण।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

(६) प्रान्तीय पब्लिक सर्विस तथा प्रान्तीय पब्लिक सर्विस कमीशन ।

(७) प्रान्तीय सरकारके खजानेसे दी जानेवाली पेन्शन ।

(८) प्रान्तीय सरकारके अधीन इमारत और जमीन आदि ।

(९) लैण्ड इक्वीज़ीशन ।

(१०) प्रान्तीय सरकारके नियन्त्रणमें चलनेवाली लाइब्रेरी और म्यूजियम तथा अन्य संस्थाएं ।

(११) प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके निर्वाचन सम्बन्धी ऐसे कानून, जो वर्तमान ऐक्ट और इसके अनुसार जारी किये गये आर्डर-इन-कौंसिलके प्रतिकूल न हों ।

(१२) प्रान्तीय सरकारके मिनिस्टर, प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदोंके अध्यक्ष और उपाध्यक्षके वेतन, एलाउएन्स तथा विशेष सुविधाएं ।

(१३) म्युनिसिपल कारपोरेशन, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि ।

(१४) भारतसे बाहरकी तीर्थ-यात्राको छोड़कर अन्य सभी प्रकारकी तीर्थ-यात्रा ।

(१५) कब्र और कब्रिस्तान ।

(१६) शिक्षा ।

(१७) सड़क, पुल, घाट, छोटी-छोटी रेलवे, म्युनिसिपल ट्रामवे आदि ।

(१८) नहर-सिंचाई आदि ।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

(१६) कृषि—कृषि सम्बन्धी शिक्षा और रिसर्च आदि।

(२०) जमीन-लगान और जमींदार तथा किसानोंका पारस्परिक सम्बन्ध।

(२१) जङ्गल विभाग।

(२२) जङ्गली पक्षी और जङ्गली पशुओंकी रक्षा।

(२३) गैस।

(२४) प्रान्तके अन्तर्गत चलनेवाले व्यापार, मार्केट, हाट, महाजनी इत्यादि।

(२५) सराय।

(२६) फेडरल लिस्टमें जिनको सम्मिलित किया गया है, उनको छोड़ अन्य सभी प्रकारके मालके उत्पादन और उद्योग-धन्धोंकी उन्नति।

(२७) खाद्य-सामग्रीमें मिलावटपर नियन्त्रण; तौल और माप।

(२८) मादक द्रव्यों अर्थात् शराब आदिके उत्पादन, रखने तथा एक स्थानसे दूसरे स्थान पहुंचाने, खरीद-बिक्री आदि सम्बन्धी कानून।

(२६) बेकारी; गरीबोंको सहायता।

(३०) फेडरल लिस्टमें सम्मिलित विषयोंको छोड़, अन्य प्रकारके व्यावसायिक कारपोरेशनकी स्थापना और कार्य-संचालन आदि।

(३१) दान; दानसे चलनेवाली संस्था, धार्मिक एण्डाउमेण्ट इत्यादि।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

(३२) थिएटर-सिनेमा आदि।

(३३) जुआ आदि।

(३४) जमीनकी मालगुजारी तथा उसकी वसूली सम्बन्धी कानून, और सरवे आदि।

(३५) कृषि-सम्बन्धी आमदनीपर टैक्स।

(३६) जमीन और मकानपर लगनेवाला टैक्स।

(३७) जमीनपर अधिकार सम्बन्धी टैक्स।

(३८) कैपिटेशन टैक्स।

(३९) व्यापार और पेशे आदिपर लगनेवाला टैक्स।

(४०) किसी स्थानमें माल आनेपर उसपर लगनेवाला टैक्स।

(४१) विलासिता सम्बन्धी सामग्रीपर लगनेवाला टैक्स।

(४२) फेडरल लिस्टमें जिनको सम्मिलित किया गया है, उनको छोड़कर अन्य सभी कागजातपर लगनेवाली स्टैम्प-ड्यूटी।

(४३) देशके अन्तर्गत नाव या जहाजसे आने-जानेवालेपर लगनेवाला टैक्स।

हमने कुछ ऐसे विषय फेडरल और प्रान्तीय, दोनों ही तालिकाओंमेंसे छोड़ दिये हैं, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं हैं। यहां जो दोनों तालिकाएं दी गयी हैं, इनके अतिरिक्त और भी एक तीसरी तालिका कुछ ऐसे विषयों की है, जिनके सम्बन्धमें कानून बनानेका अधिकार फेडरल तथा प्रान्तीय, दोनों ही व्यवस्थापिका परिषदोंको रहेगा।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

ऊपर जो फेडरल तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदोंके कानून बनानेके अधिकार सम्बन्धी तालिका दी गयी है, इसका अभिप्राय यह है कि जिन विषयोंके सम्बन्धमें कानून बनानेका अधिकार फेडरल व्यवस्थापिका परिषदको दिया गया है उनमेंसे किसी विषयका 'बिल' जब फेडरल व्यवस्थापिका परिषदकी दोनों सभाओंमें पास हो जायगा और उसपर गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति मिल जायगी, तभी वह बाकायदा कानूनका रूप धारण करेगा; उसी प्रकार प्रान्तीय तालिकामें दिये हुए किसी विषयके सम्बन्धमें प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदमें बिल पास हो जानेपर जब उसपर गवर्नरकी स्वीकृति मिलेगी तभी वह कानून बनेगा। इसके अलावा, इससे भी यह स्पष्ट है कि दोनों व्यवस्थापिका सभाएं—फेडरल और प्रांतीय कानून बनानेमें जहांतक अपनी अधिकार-सीमाका अतिक्रम करके एक-दूसरेकी सीमाके अन्तर्गत पहुंच जायंगी, उस हदतक वह कानून नाजायज होगा। ऐसा कोई प्रश्न उपस्थित हो जानेपर इस बातका निर्णय अदालतमें किया जायगा कि विवादग्रस्त कानून अपनी अधिकार-सीमाका अतिक्रम करके पास किया गया है या नहीं।

परन्तु पार्लमेंटरी ज्वायण्ट कमेटीके सामने वास्तविक कठिनाई उन विषयोंके सम्बन्धमें खड़ी हुई थी जिनके सम्बन्धमें कानून बनानेका अधिकार फेडरल और प्रान्तीय, दोनो ही व्यवस्थापिका परिषदोंको देना जरूरी समझा गया है। केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद को अधिकार देना तो इसलिये जरूरी समझा गया कि इससे विभिन्न

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

प्रान्तोंके रेगुलेशनमें एकता रहेगी, परन्तु यदि बिना किसी शर्तके यह व्यवस्था दे दी जाती कि जिन विषयोंके सम्बन्धमें फेडरल और प्रान्तीय, दोनो ही व्यवस्थापिका परिषदोंको कानून बनानेका अधिकार है उनके सम्बन्धमें यदि दोनो ही कानून बनायें तो केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद द्वारा पास किया हुआ कानून ही लागू होगा, तो ऐसी अवस्थामें भय यह था कि फेडरल व्यवस्थापिका परिषद यदि अधिक क्रियाशील होती तो वह प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदको इस अधिकारका उपयोग करनेका कभी मौका ही नहीं देती; इसीलिये 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की १०७ वीं धारामें कहा गया है कि—

(क) फेडरल व्यवस्थापिका परिषदको जिन विषयोंके सम्बन्धमें कानून बनानेका अधिकार है, ऐसे फेडरल कानून अथवा ऐसे किसी वर्तमान कानूनके प्रतिकूल यदि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद कानून पास करेगी, तो ऐसी अवस्थामें वह प्रान्तीय कानून नाजायज माना जायगा।

(ख) जिन विषयोंके सम्बन्धमें प्रान्तीय और फेडरल, दोनो ही व्यवस्थापिका परिषदोंको अधिकार दिया गया है, उनके सम्बन्धमें यदि पहले फेडरल व्यवस्थापिका परिषद कोई कानून पास कर चुकी है और उसके वाद प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद ऐसा 'विल' पास करती है, जिसकी कुछ धाराएं उपर्युक्त फेडरल कानूनके प्रतिकूल है, तो ऐसी अवस्थामें यदि गवर्नर-जनरल अथवा सम्राटकी स्वीकृतिके लिये उस 'विल' को रिजर्व रख लिया जाता है तो अन्तमें सम्राट

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

या गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति मिल जानेपर प्रान्तीय कानून ही जायज माना जायगा।

उपर्युक्त तीनों ही प्रकारकी तालिकाके अन्दर यथासम्भव सभी विषयोंका समावेश करनेकी चेष्टा 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' में की गयी है, फिर भी इसे सब प्रकारसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता। भारतीय तथा अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितिमें परिवर्तनके साथ ही कितने ही ऐसे नये प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं जिनके सम्बन्धमें कानून बनाना आवश्यक हो सकता है, परन्तु जिनकी अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिये ऐसी अवस्थामें कानून कैसे बनाया जायगा, वर्तमान विधानमें इसकी व्यवस्था रखनी जरूरी थी और इसीलिये वर्तमान 'एक्ट' की १०४ धारामें साफ शब्दोंमें कहा गया है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होनेपर गवर्नर-जनरल अपनी विवेक-बुद्धिके अनुसार विशेषाधिकारका उपयोग करके फेडरल अथवा प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदको—जिसे उचित समझेंगे—ऐसे कानून बनाने या टैक्स लगानेका अधिकार देनेकी घोषणा करेंगे, जिनका प्रान्तीय अथवा फेडरल तालिकामें अभी उल्लेख नहीं किया गया है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

प्रान्तीय शासन व्यवस्था

सन् १६१९ ई० के भारतीय शासन-सुधारके पहले तत्कालीन भारतमंत्री मि० मांटेगु और तत्कालीन वायसराय लार्ड चेम्सफोर्डने शासन-सुधारके सम्बन्धमें जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें उन्होंने पहले प्रान्तीय शासनमें ही भारतीयोंको उत्तरदायित्वपूर्ण अधिकाधिक अधिकार देनेपर जोर दिया था। उस रिपोर्टमें आप लोगोंने कहा था—"प्रान्त ही वह क्षेत्र है जहां उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित करनेके लिये सबसे पहले शीघ्रतापूर्वक पग बढ़ाना चाहिये। कुछ हदतक उत्तरदायित्व तो अविलम्ब दिया जाना चाहिये, और हमारा उद्देश्य तो यह है कि जितनी जल्दी परिस्थिति अनुकूल हो, पूर्ण उत्तरदायित्व उतनी जल्दी दे देना चाहिये।" इसमें सन्देह नहीं कि सन् १६१६ ई० के 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' में मांटेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्टकी इस सिफारिशको कुछ अंशोंमें कार्यान्वित करनेकी चेष्टा की गयी थी और इसीलिये प्रान्तोंमें कुछ शासन विभागोंको मिनिस्टरोंके हाथमें सौंपा गया, परन्तु इस प्रकारकी 'द्वैध शासन' व्यवस्थाको सफलता नहीं मिली। जांच करनेके बाद 'मुडीमैन कमेटी' ने भी इस व्यवस्थाकी कमजोरियां महसूस की थीं। एक ओर प्रान्तीय शासनमें जहां द्वैध शासन प्रणालीके (Dyarchy) कारण मिनिस्टिरोंके अधिकार बहुत संकुचित थे, वहां दूसरी ओर प्रान्तीय

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

शासनपर कौंसिलयुक्त गवर्नर-जनरल तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदोंका अधिकार भी बहुत व्यापक रूपमें मौजूद था।

साइमन कमीशनने जो शासन-सुधारकी सिफारिश की थी, उसमें प्रान्तीय शासनमें ही विशेष रूपसे सुधार करनेपर जोर दिया गया था, यद्यपि इसके साथही उसने फेडरेशनकी चर्चा भी की थी। साइमन कमीशनकी रिपोर्टमें जो सिफारिशें की गयी थीं उनको पढ़नेसे यह स्पष्ट हो जाता था कि प्रान्तोंमें पहलेकी अपेक्षा कुछ अधिक शासनाधिकार देनेकी ओर ही उसका विशेष ध्यान था और उसने शासन-सुधारकी जो योजना तैयार की थी उसका केन्द्र प्रान्त ही था। कमीशनने अपनी रिपोर्टमें एक स्थानपर स्पष्ट शब्दोंमें लिखा भी था कि "हमारो मंशा है कि भविष्यमें प्रत्येक प्रान्त, जहांतक सम्भव हो सके, अपने घरका मालिक आप बने।" दूसरी 'राउण्ड टेबल कानफरेन्स' के समय भी एक बार बड़े जोरोंकी अफवाह उड़ी थी कि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री अभी 'प्रान्तीय स्वराज्य' देकर ही सन्तोष कर लेना चाहते हैं। ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधियोंने इसकी तीव्र आलोचना की और कहा कि केन्द्रीय उत्तरदायित्व मिले बिना 'प्रान्तीय स्वराज्य' का कोई अर्थ नहीं होता। अन्तमें पार्लमेंटरी ज्वायण्ट कमेटीने भी 'प्रान्तीय स्वराज्य' के सिद्धान्तको स्वीकार करके ही फेडरेशनकी योजना तैयार की। ज्वायण्ट कमेटीने कहा था कि 'प्रान्तीय स्वराज्य' का सिद्धान्त ही एक ऐसा सिद्धान्त है जिसपर अधिकसे अधिक लोगोंका एकमत है। इसलिये अन्तमें जो १९३५ ई० का 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' पास हुआ उसके अनुसार पहले प्रान्तोंमें ही

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

शासन-सुधार जारी करना निश्चित हुआ। नये विधानमें इसकी स्पष्ट व्यवस्था है कि पहले प्रान्तीय शासनमें ही सुधार होगा और नये विधानके अनुसार जब प्रान्तोंमें कार्य आरम्भ हो जायगा उसके बाद ही फेडरेशन कायम हो सकेगा। प्रान्तोंमें नये विधानके अनुसार कार्य आरम्भ हो जानेके कितने दिनोंके पश्चात् फेडरेशन कायम होगा, इसके लिये 'एक्ट' में कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, वल्कि कुछ शर्तें पूरी होनेके बाद ही फेडरेशन कायम हो सकेगा। उन शर्तोंका उल्लेख 'फेडरेशन' सम्बन्धी प्रसंगमें किया जा चुका है।

गवर्नरोंके शासनाधीन प्रान्त

इस 'एक्ट' के पास होनेके पहले ब्रिटिश भारतके नौ प्रान्त गवर्नरोंके शासनाधीन रहे हैं, परन्तु 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की ४६ वीं धाराके अनुसार अब गवर्नरोंके प्रान्तोंकी संख्या ग्यारह होगी, क्योंकि सिन्ध और उड़ीसा—ये दो, गवर्नरोंके आधीन नये प्रान्त बनाये गये हैं। गवर्नरोंके शासनाधीन जो ग्यारह प्रान्त होंगे उनके नाम ये हैं—(१) मद्रास (२) बम्बई (३) बंगाल (४) संयुक्त प्रांत (५) पंजाब (६) बिहार (७) मध्यप्रान्त और बरार (८) आसाम (६) पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त (१०) उड़ीसा और (११) सिन्ध।

परन्तु इन प्रान्तोंके अलावा सम्राटको कौंसिलके परामर्शानुसार आज्ञा जारी करके और भी नये प्रान्त कायम करने, किसी प्रान्तकी सीमाका विस्तार करने, किसी प्रान्तकी सीमाको छोटा बनाने तथा किसी प्रान्तकी सीमामें हेर-फेर करनेका अधिकार रहेगा। हां,

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

इसके लिये एक शर्त यह रखी गयी है कि इस प्रकारकी आज्ञाका मसविदा जब भारतमंत्री पार्लमेंटमें पेश करेंगे, उसके पहले सम्राटके आदेशानुसार भारतमंत्री इस सम्बन्धमें फेडरल व्यवस्थापिका परिषद् तथा फेडरल सरकार और जिस प्रान्तपर इस आज्ञाके जारी होनेसे प्रभाव पड़ सकता है उस प्रान्तकी व्यवस्थापिका परिषदके मतको मालूम कर लेंगे। इस नये 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' के अनुसार बर्मा तथा अदनको भारतसे पृथक् करनेका निश्चय किया गया है।

प्रान्तीय शासक-मण्डल

प्रान्तीय शासक-मण्डलका स्वरूप प्रायः फेडरल शासक-मण्डलके ही ऐसा रहेगा। गवर्नरोंको सम्राट नियुक्त करेंगे। मद्रास, बम्बई, बंगाल, और संयुक्त प्रान्तके गवर्नरोंको एक लाख बीस हजार रुपये वार्षिक, पंजाब और बिहारके गवर्नरोंको एक लाख रुपये वार्षिक, मध्यप्रान्त-बरारके गवर्नरको बहत्तर हजार रुपये वार्षिक, आसाम, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, उड़ीसा तथा सिन्धके गवर्नरोंको छेआसठ हजार रुपये वार्षिक वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, गवर्नरोंको सफर तथा रहनेके खर्चके लिये एलाउएन्स भी मिला करेगा; कितना एलाउएन्स मिला करेगा, इसका निश्चय समय-समयपर कौंसिलयुक्त सम्राट किया करेंगे। गवर्नरोंके वेतन, एलाउएन्स तथा उस पदके कार्यको सुचारु रूपसे चलानेके लिये जो रकम खर्च की जायगी वह प्रान्तीय रेवन्यूसे दी जायगी।

गवर्नर अपने प्रान्तमें सम्राटके प्रतिनिधिस्वरूप सर्वोच्च शासक होंगे और सम्राटके प्रतिनिधिके रूपमें वे सम्राटके शासन-सम्बन्धी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

अधिकारोंका उपयोग स्वयं अथवा अपने मातहत अफसरोंके द्वारा किया करेंगे।

शासन सम्बन्धी कार्य-संचालन

प्रान्तीय शासन सम्बन्धी कार्य-संचालनके लिये, गवर्नरको अपने कार्योंको करनेमें सहायता एवं परामर्श देनेके लिये प्रत्येक प्रान्तमें मंत्रि-मण्डल रहेगा। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं, कि 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' के अनुसार जहां गवर्नरको अपनी विवेक-बुद्धि और अपनी समझके अनुसार कार्य करनेका अधिकार दिया गया है वहां भी वे मंत्रि-मण्डलसे परामर्श लेनेके लिये वाध्य होंगे।

मंत्रि-मण्डलकी बैठकोंमें गवर्नर ही प्रेसीडेंट होंगे। कभी यदि ऐसा प्रश्न उठे कि अमुक विषय ऐसा है या नहीं जिसके सम्बन्धमें गवर्नर अपनी समझसे, अपने वैयक्तिक निर्णयके अनुसार कार्य कर सकते हैं, तो इस सम्बन्धमें गवर्नरका निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा, और ऐसी अवस्थामें गवर्नर जब अपनी विवेक-बुद्धिके अनुसार अपने वैयक्तिक निर्णयका उपयोग करेंगे, तो वह किसी प्रकार नाजायज नहीं करार दिया जा सकता है।

मंत्रि-मण्डलके सम्बन्धमें 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की धारा ५१ में कहा गया है कि मिनिस्टरको नियुक्त करने तथा उन्हें बुलाने का अधिकार गवर्नरको ही होगा। जो व्यक्ति मिनिस्टर नियुक्त होंगे उन्हें मंत्रि-मण्डलके (Council of Ministers) सदस्यकी हैसियतसे पहले राजभक्तिकी शपथ लेनी होगी, और कोई भी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

व्यक्ति उसी समय तक मिनिस्टरके पदपर रह सकेगा जबतक गवर्नर उसे रखना चाहेंगे।

गवर्नर किसी ऐसे व्यक्तिको भी मिनिस्टर नियुक्त कर सकते हैं जो प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके सदस्य नहीं चुने गये हैं; परन्तु कोई मिनिस्टर यदि लगातार छः महीने तक प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके सदस्य न रहें तो इस अवधिके समाप्त होनेपर मिनिस्टरके पदसे भी उन्हें हटना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति यदि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके सदस्य न होनेपर भी मिनिस्टरके पदपर गवर्नर द्वारा नियुक्त कर लिये जायंगे तो वे भी छः महीनेके वाद उसी अवस्थामें इस पदपर रह सकेंगे जब वे इस बीचमें व्यवस्थापिका परिषदके सदस्य चुन लिये जायंगे। यह व्यवस्था ब्रिटिश शासन-विधानकी व्यवस्था की ही नकल है। पाठकोंको स्मरण होगा कि १९३५ ई० के अन्तमें जो ब्रिटिश पार्लमेंटका साधारण निर्वाचन हुआ था उसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा मि० बैल्डविनके मंत्रि-मण्डलके एक प्रधान सदस्य मि० रैमजे मेकडोनल्ड तथा दूसरे मिनिस्टर और मि० रैमजे मेकडोनल्डके पुत्र मि० मैलकम मेकडोनल्ड हार गये थे। फिर भी निर्वाचनके पश्चात् जब मि० बैल्डविन प्रधानमंत्री नियुक्त हुए तो उन्होंने मि० रैमजे मेकडोनल्डको भी मंत्री नियुक्त किया और उनके पुत्र मि० मैलकम मैकडोनल्डको तो डोमीनियन सेक्रेटरी जैसे एक प्रमुख मंत्रीके पदपर नियुक्त किया। परन्तु छः महीनेके पहले ही ये दोनो व्यक्ति उपनिर्वाचनमें पार्लमेंटके सदस्य चुन लिये गये और इस प्रकार अपने पदपर बने रह गये।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

प्रान्तीय मिनिस्टरोंको क्या वेतन मिलेगा, इसका निर्णय तो समय-समयपर प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद् किया करेगी, और जबतक वह इसका निर्णय नहीं करती तबतक मिनिस्टरोंको नियुक्त करने, उन्हें बुलाने और उनका वेतन निश्चित करनेका जो अधिकार गवर्नरको दिया गया है, उसका उपयोग वे अपनी विवेक-बुद्धि और अपने वैयक्तिक निणयके ही अनुसार करेंगे। इसी धारामें मिनिस्टरोंके सम्बन्धमें एक बात यह भी कही गयी है कि किसी अदालतमें उनसे यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है कि उन्होंने किसी खास विषयपर गवर्नरको परामर्श दिया था या नहीं, और यदि दिया था तो क्या परामर्श दिया था।

गवर्नर तो प्रान्तमें सम्राटके प्रतिनिधि होंगे ही परन्तु ब्रिटिश पार्लमेंटकी दोनो सभाएं यदि सम्राटसे गवर्नरके नाम कुछ आदेश (Instrument of Instructions) जारी करनेका अनुरोध करें तो सम्राट ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं, किन्तु इस आदेशका मसविदा पहले भारतमंत्री पार्लमेंटमें पेश करेंगे। पार्लमेंटकी दोनो सभाओंके अनुरोध करनेपर ही यह आदेश जारी किया जायगा। परन्तु गवर्नर यदि कोई कार्य करेंगे तो उसको इस आधारपर नाजायज नहीं कहा जा सकता है कि उनका यह कार्य सम्राट द्वारा दिये गये आदेश (Instrument of Instructions) के प्रतिकूल था।

'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की धारा ५४ के अनुसार यह निश्चित कर दिया गया है कि गवर्नरको जिन बातोंमें अपनी विवेक-बुद्धि और व्यक्तिगत निर्णयके अनुसार कार्य करने अर्थात् मंत्रि-

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

मण्डलसे परामर्श लिये विना कार्य करनेका अधिकार दिया गया है, उन बातोंमें उनपर गवर्नर-जनरलका साधारण नियंत्रण रहेगा और समय-समयपर इस सम्बन्धमें गवर्नर-जनरल अपनी विवेक-बुद्धि और व्यक्तिगत निर्णयके अनुसार उनके नाम जो आदेश जारी करेंगे उसके अनुसार गवर्नरको कार्य करना होगा। परन्तु गवर्नरके किसी कार्यको इसलिये नाजायज नहीं करार दिया जायगा कि उनका यह कार्य इस धारामें दी गयी व्यवस्थाके अनुकूल नहीं है।

गवर्नरको यह अधिकार दिया गया है कि जो व्यक्ति किसी हाईकोर्टका जज होनेकी योग्यता रखता है उसे वे प्रान्तीय सरकारका एडवोकेट-जनरल नियुक्त कर सकते हैं। प्रान्तीय सरकारको कानूनी विषयोंके सम्बन्धमें परामर्श देना तथा समय-समयपर गवर्नर द्वारा निर्धारित अन्य कानूनी ढंगके कार्य करना, एडवोकेट-जनरलका कर्तव्य होगा। कोई भी व्यक्ति एडवोकेट-जनरलके पदपर उसी समयतक रह सकते हैं जबतक गवर्नरको उन्हें रखनेकी इच्छा होगी, और उन्हें वही वेतन मिलेगा जो गवर्नर निश्चित कर देंगे। गवर्नरको अपने व्यक्तिगत निर्णयके अनुसार कार्य करनेका जो अधिकार दिया गया है उसीके अनुसार वे एडवोकेट-जनरलको नियुक्त करेंगे तथा उनके वेतनका निश्चय करेंगे।

'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की धारा ५७ के अनुसार गवर्नरको यह अधिकार दिया गया है कि उनको यदि मालूम पड़े कि कानून द्वारा संस्थापित सरकारको उलट देनेके इरादेसे कुछ लोग ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं या ऐसा हिंसात्मक आचरण कर रहे हैं

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

जिससे प्रान्तकी शान्ति और व्यवस्थापर खतरा है, तो उन्हें यदि इसको रोकनेके लिये आवश्यक प्रतीत होगा तो वे इस प्रकारकी घोषणा कर सकते हैं कि दूसरी घोषणा जारी करने तक मैं इस सम्बन्धमें अपने शासन सम्बन्धी कार्य अपनी विवेक-बुद्धिसे ही करूंगा। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि प्रान्तीय शासनमें यद्यपि शान्ति और व्यवस्था-विभाग मिनिस्टरके अधीन रहेगा, परन्तु उपर्युक्त अवस्थामें गवर्नर उस विभागके कार्यको अपने हाथमें ले ले सकेंगे।

इसी धारामें यह भी कहा गया है कि ऐसी परिस्थितिमें जबतकके लिये गवर्नरकी उपर्युक्त आशयकी घोषणा लागू रहेगी तबतकके लिये गवर्नर किसी सरकारी अफसरको उस विभागके सम्बन्धमें होनेवाली बहसमें भाग लेनेके लिये प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदमें भेज सकते हैं। परन्तु उस अफसरको परिषदमें किसी प्रस्तावपर वोट देनेका अधिकार नहीं होगा।

गवर्नरके विशेष उत्तरदायित्व

ऊपर प्रान्तीय गवर्नर और प्रान्तके शासक-मण्डलके कार्योंका उल्लेख किया गया है; इसको पढ़नेसे साफ पता चल जायगा कि फेडरल और प्रान्तीय शासक-मण्डलमें अनेक बातोंमें बहुत बड़ा अन्तर है। पहली बात तो यह है कि प्रान्तोंके शासन सम्बन्धी अधिकार उन्हीं विषयों और उसी हदतक सीमित है, जिनके सम्बन्धमें और जहांतक प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदको कानून बनानेका अधिकार दिया गया है। दूसरी बात यह है कि गवर्नरको अपने शासन सम्बन्धी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

कार्योंके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयोंके सम्बन्धमें विशेष उत्तर-दायित्व भी रहेगा :—

(१) प्रान्त या इसके किसी हिस्सेमें शान्ति और व्यवस्थापर आनेवाले भयङ्कर खतरेको रोकना।

(२) अल्पसंख्यकोंके हितोंकी रक्षा करना।

(३) इण्डियन सर्विसमें काम करनेवाले व्यक्तियों और उनके आश्रितोंको इस एक्टके अनुसार जो अधिकार देनेकी व्यवस्था की गयी उन्हें वह अधिकार दिलाना तथा उनके न्यायोचित हितोंकी रक्षा करना।

(४) 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' में जो इस बातकी व्यवस्था की गयी है कि यूनाइटेड किंगडमके किसी ब्रिटिश प्रजाजनके विरुद्ध कोई व्यापार या कर-सम्बन्धी अथवा भारतमें प्रवेश करनेके सम्बन्धमें कोई भेदभाव-मूलक व्यवहार नहीं किया जायगा, उस व्यवस्थाको कार्य-रूपमें परिणत करना।

(५) प्रान्तके जिन भागोंको 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' के अनुसार प्रान्तीय शासनके दायरेके बाहर घोषित किया गया है (Excluded areas) उन भागोंमें शान्ति और सुशासन कायम रखना।

(६) देशी राज्यके अधिकार तथा देशी नरेशके अधिकार और उनकी प्रतिष्ठाको सुरक्षित रखना।

(७) गवर्नर-जनरलको अपनी विवेक-बुद्धिके अनुसार कार्य करनेका जो अधिकार दिया गया है उसके अनुसार वे जो कानूनी आदेश जारी करेंगे उसको कार्यान्वित करना।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

गवर्नरको जो विशेष उत्तरदायित्व दिये गये हैं उनको देखनेसे यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि गवर्नर-जनरलकी भांति उन्हें भी, प्रान्तीय सरकार अथवा फेडरल सरकारकी आर्थिक स्थितिकी सुदृढ़ता अथवा साखको कायम रखनेके सम्बन्धमें उनको कोई 'विशेष उत्तरदायित्व' नहीं दिया गया है; और न तो यूनाइटेड किंगडम या वर्मासे आनेवाले मालके प्रवेशके सम्बन्धमें किसी ऐसी कारवाईको रोकनेका 'विशेष उत्तरदायित्व' दिया गया है जिससे उन देशोंके मालके प्रति भेदभाव-मूलक व्यवहार होता हो। गवर्नर-जनरलको सुरक्षित विषय-सम्बन्धी कार्योंके सुचारु रूपसे संचालनके लिये जिस प्रकार 'विशेष उत्तरदायित्व' दिये गये हैं, प्रान्तीय गवर्नरको ऐसा कोई 'विशेष उत्तरदायित्व' नहीं दिया गया है। इसका कारण यह है कि प्रान्तीय शासनमें कोई सुरक्षित विभाग नहीं रखा गया है, बल्कि सभी विभाग किसी-न-किसी मिनिस्टरके हाथमें रहेंगे।

प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद

'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की ६० वीं धारामें कहा गया है कि मद्रास, वम्बई, बंगाल, संयुक्तप्रान्त, बिहार और आसाममें व्यवस्थापिका परिषदकी दो सभाएं होंगी; और बाकी सभी प्रान्तोंमें परिषदकी एक-एक ही सभा होगी। जिन प्रान्तोंमें व्यवस्थापिका परिषदकी एक-एक ही सभा होगी वहां तो यह 'लेजिस्लेटिव असेम्बली' कहलायगी और जिन प्रान्तोंमें परिषदकी दो सभाएं होंगी वहां इनमेंसे एक तो 'लेजिस्लेटिव कौंसिल'

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

और दूसरी "लेजिस्लेटिव असेम्बली" कहलायगी। प्रत्येक प्रान्तीय "लेजिस्लेटिव असेम्बली" का निर्वाचन पांच वर्षके लिये हुआ करेगा और यदि इस अवधिके बीचमें वह भंग न कर दी गयी, तो पांच वर्षकी अवधि समाप्त होनेपर वह स्वतः भंग हो जायगी और फिरसे नया निर्वाचन होगा। परन्तु "लेजिस्लेटिव कौंसिल" फेडरल 'कौंसिल आफ स्टेट' की भांति स्थायी सभा होगी और इसके लग-भग एक-तिहाई सदस्य हर तीसरे साल रिटायर होते रहेंगे और उनके स्थानोंकी पूर्तिके लिये नया निर्वाचन होता रहेगा। किस प्रान्तकी लेजिस्लेटिव असेम्बलीमें कितनी सीटें होंगी और किस जाति, वर्ग या सम्प्रदायका प्रतिनिधित्व किस प्रकार रहेगा तथा जिन प्रान्तोंमें व्यवस्थापिका परिषदकी दो सभाएं होंगी, वहां लेजिस्लेटिव कौंसिलका संघटन किस प्रकार होगा, यह पुस्तकके अन्तमें दिये हुए "प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बलीका संघटन" और "प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिलके संघटन और सीटोंका व्योरा" शीर्षक दोनों तालिकाओंसे मालूम हो जायेगा।

प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदकी सभाओंका अधिवेशन बारह-महीनेके भीतर कमसे-कम एक वार अवश्य हुआ करेगा। विधानमें यह कह दिया गया है कि पिछले अधिवेशनके अन्तिम दिनकी वैठकसे अगले अधिवेशनके पहले दिनकी बैठकके बीच बारह महीने-का अन्तर न होना चाहिये अर्थात् बारह महीनेसे पहले ही अधिवे-शनका आरम्भ होना अनिवार्य है। परन्तु गवर्नरको यह अधिकार होगा कि वे व्यवस्थापिका परिषदकी एक या दोनों सभाओंका जब

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

और जिस स्थानमें चाहें, अधिवेशन बुला सकते हैं; वे व्यवस्थापिका परिषद्‌की सभा या सभाओंके अधिवेशनको स्थगित कर सकते हैं; वे प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्वलीको भङ्ग करके नये निर्वाचनके लिये आदेश जारी कर सकते हैं। गवर्नर प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्वलीमें, और जहां व्यवस्थापिका परिषद्‌की दो सभाएं हैं, वहां 'लेजिस्लेटिव कौंसिल' में भी अथवा दोनों सभाओंकी संयुक्त बैठकमें भाषण कर सकते हैं और इसके लिये वे सदस्योंको बुला सकते हैं। गवर्नरको यह भी अधिकार होगा कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद में विचाराधीन किसी 'बिल' अथवा अन्य किसी विषयके सम्बन्धमें अपना सन्देश भेज सकते हैं। ऐसी अवस्थामें परिषद्‌का यह कर्तव्य होगा कि वह उस विषयपर यथाशीघ्र विचार करे, जिसपर विचार करनेके लिये गवर्नरने सन्देश भेजा है।

एडवोकेट-जनरल तथा मिनिस्टरोंको 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट' की ६४ वीं धाराके अनुसार व्यवस्थापिका परिषद्‌की दोनों सभाओं तथा इसकी संयुक्त बैठकमें होनेवाली बहसमें भाग लेनेका अधिकार होगा, परन्तु यदि वे उस समयतक परिषद्‌के सदस्य निर्वाचित न हुए रहेंगे तो इन बैठकोंमें किसी प्रश्नपर वोट देनेका उन्हें अधिकार नहीं होगा।

विधानकी ६५ वीं धारामें इस बातकी व्यवस्था दी गयी है कि प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्वली, निर्वाचन होनेके बाद यथाशीघ्र अपने दो सदस्योंको क्रमशः "स्पीकर" और "डिप्टी स्पीकर" चुनेगी। जो सदस्य 'स्पीकर' अथवा "डिप्टी स्पीकर" चुने जायंगे, वे यदि किसी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

कारणवश 'लेजिस्लेटिव असेम्बली' के सदस्य नहीं रह जायंगे, तो वे इस पदपर भी नहीं रह सकेंगे। वे जब चाहें, अपना इस्तीफा गवर्नरके पास भेजकर इस पदसे अलग हो सकते हैं; अथवा असेम्बलीके तत्कालीन सदस्योंके बहुमतसे यदि उनको अपने पदसे हटानेके लिये असेम्बलीमें प्रस्ताव पास हो जाय, तो ऐसी अवस्थामें भी उन्हें इस पदसे हट जाना पड़ेगा। परन्तु इस प्रकार 'स्पीकर' या 'डिप्टी स्पीकर' को हटानेके लिये अविश्वासका प्रस्ताव पेश करनेके हेतु कमसे-कम पंद्रह दिन पहले नोटिस देनी जरूरी होगी।

प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली जब भंग कर दी जायगी, तब नये निर्वाचनके वाद असेम्बलीकी पहली बैठक आरम्भ होनेके पहलेतक पुरानी असेम्बलीके 'स्पीकर' अपने पदपर बने रहेंगे।

असेम्बलीके 'स्पीकर' का स्थान जिस समय खाली रहेगा, उस समय उनके स्थानपर 'डिप्टी स्पीकर' काम करेंगे, परन्तु यदि 'डिप्टी स्पीकर' भी न रहें, तो गवर्नर जिस व्यक्तिको नियुक्त करेंगे वही इस कामको करेंगे। असेम्बलीके अधिवेशनके सिलसिलेमें किसी दिनकी बैठकमें यदि 'स्पीकर' अनुपस्थित हों, तो 'डिप्टी स्पीकर' अध्यक्षका काम करेंगे और :यदि 'स्पीकर' तथा 'डिप्टी स्पीकर' दोनों ही अनुपस्थित हों, तो असेम्बलीके नियमानुसार जो व्यक्ति इसके अधिकारी होंगे, वे अध्यक्षका आसन ग्रहण करेंगे; और यदि इस सम्बन्धमें कोई नियम न बना हो तो असेम्बलीके उपस्थित सदस्य जिस व्यक्तिको उस दिनकी बैठकके लिये अध्यक्ष चुनेंगे वही उस पदपर उस दिन काम करेंगे।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

'स्पीकर' और 'डिप्टी स्पीकर' का वेतन प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद द्वारा पास किये गये 'एक्ट' के अनुसार निर्धारित रहेगा, परन्तु जबतक प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद इस सम्बन्धमें 'एक्ट' नहीं पास करेगी, तबतक उनको गवर्नर द्वारा निश्चित वेतन मिला करेगा।

ऊपर कहा जा चुका है कि जिन प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदकी दो सभाएं होंगी, वहांकी एक सभाको 'लेजिस्लेटिव कौंसिल' कहा जायगा। लेजिस्लेटिव कौंसिलके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः 'प्रेसीडेण्ट' और 'डिप्टी प्रेसीडेण्ट' कहलायंगे तथा लेजिस्लेटिव असेम्बलीके "स्पीकर" और "डिप्टी स्पीकर" के सम्बन्धमें ऊपर जो व्यवस्था बतायी गयी है, वही लेजिस्लेटिव कौंसिलके 'प्रेसीडेण्ट' तथा "डिप्टी प्रेसीडेण्ट" के सम्बन्धमें भी लागू होगी।

"गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट" में जिन विषयोंके सम्बन्धमें कोई खास व्यवस्था दी गयी है, उनको छोड़कर अन्य सभी प्रश्नोंका निर्णय "लेजिस्लेटिव असेम्बली" तथा "लेजिस्लेटिव कौंसिल" अथवा दोनों सभाओंकी बैठकमें उपस्थित सदस्योंके बहुमत द्वारा हुआ करेगा। परन्तु किसी प्रस्तावपर वोट लेते समय 'स्पीकर' या 'प्रेसीडेण्ट' अथवा उनके स्थानपर उस समय अन्य जो व्यक्ति काम करते होंगे, वे पहले अन्य लोगोंकी भांति वोट नहीं देंगे। जब किसी प्रस्तावके पक्ष और विपक्षमें बराबर-बराबर वोट आयंगे, तभी वे अपने निर्णायक वोटका (Casting vote) उपयोग करेंगे।

"लेजिस्लेटिव असेम्बली" की बैठकके समय यदि कुल सदस्यों-

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

मेंसे कमसे-कम षष्ठांश भी उपस्थिति न रहेगी, तो 'स्पीकर' का यह कर्तव्य होगा कि वे बैठकको उस समयतकके लिये स्थगित कर दें जबतक कोरम पूरा न हो जाय। इसी प्रकार 'लेजिस्लेटिव कौंसिल' की बैठकके सम्बन्धमें भी यह व्यवस्था दी गयी है कि बैठकमें जिस समय कमसे-कम दस सदस्य भी उपस्थित न रहें, उस समय प्रेसीडेण्ट या तो तबतकके लिये बैठक स्थगित कर देंगे, जबतक सदस्योंकी कमसे-कम उपस्थिति दस न हो जाय, या वे उस दिनके लिये बैठक स्थगित कर देंगे।

प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके सदस्य

प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके सदस्य और मतदाताओंकी योग्यताका वर्णन तो आगे चलकर किया जायगा, परन्तु कौन व्यक्ति परिषदके सदस्य नहीं हो सकते, इसका वर्णन करते हुए "गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट" की ६९ वीं धारामें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति निम्न लिखित अवस्थाओंमें प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली या प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिलका सदस्य होनेके लिये अयोग्य समझा जायगा—

१—(क) यदि वह भारतमें सम्राटकी ऐसी सर्विसमें है, जिससे उसे लाभ हो रहा है; तो वह उसी अवस्थामें सदस्य होनेका अधिकारी हो सकता है, यदि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके किसी एक्ट द्वारा इस अयोग्यतासे बरी कर दिया जाय। प्रान्तीय मिनिस्टर या फेडरेशनके मिनिस्टर इस धाराके दायरेके अन्दर नहीं आते।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

(ख) यदि वह विकृत मस्तकवाला आदमी है और अदालतने उसको ऐसा घोषित कर दिया है।

(ग) अगर वह दिवालिया करार दे दिया गया है।

(घ) यदि उस व्यक्तिको "गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट" के इस भागके कार्यान्वित होनेके पहले या बादमें निर्वाचन सम्बन्धी मामलेमें सजा मिल चुकी है या वह अपराधी प्रमाणित हो चुका है, तो वह उतने समयतकके लिये व्यवस्थापिका परिषद्की सदस्यताके लिये अयोग्य समझा जायगा, जो समय आर्डर-इन-कौंसिल अथवा प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद् द्वारा निर्धारित रहेगा।

(ङ) यदि उस व्यक्तिको इस एक्टके इस भागके अनुसार कार्य आरम्भ होनेके पहले अथवा बादमें ब्रिटिश भारत अथवा फेडरेशनके अन्तर्गत आये हुए किसी देशी राज्यकी अदालत द्वारा निर्वासन या कमसे-कम दो वर्षकी कैदकी सजा दी गयी है, तो वह सजा काटकर छूटनेके बाद पांच वर्षतक व्यवस्थापिका परिषद्का सदस्य बननेके योग्य नहीं समझा जायगा; परन्तु गवर्नर उसको इस नियमकी पाबन्दीसे मुक्त कर सकते हैं।

(च) जो व्यक्ति फेडरल या प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद्के निर्वाचनके लिये उम्मेदवार मनोनीत हो चुका है, या जो इस प्रकार मनोनीत उम्मेदवारकी ओरसे निर्वाचनके लिये एजेण्ट मुकर्रर हो चुका है, वह यदि निश्चित अवधिके अन्दर आर्डर-इन-कौंसिल अथवा

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

फेडरल या प्रान्तीय 'एक्ट' के अनुसार निर्धारित रूपमें निर्वाचन सम्बन्धी खर्चका ब्योरा नहीं पेश कर सका है, तो वह उस निर्धारित समयके बाद पांच वर्षतक व्यवस्थापिका परिषदका सदस्य होनेके लिये अयोग्य समझा जायगा; परन्तु गवर्नर यदि चाहें तो उसको इस नियमकी पाबन्दीसे किसी समय भी मुक्त कर दे सकते हैं।

२—कोई भी व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदकी दोनों सभाओंमेंसे किसीका भी सदस्य नहीं हो सकता है, यदि वह निर्वासन या कैदकी सजा काट रहा है।

३—उपर्युक्त उपधारा (घ) और (ङ) में वर्णित अपराधोंके लिये जो व्यक्ति अपराधी ठहराया गया है या जिसको अपराधी ठहराकर सजा दी गयी है, वह यदि उस समय प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदकी किसी सभाका पहलेसे ही सदस्य हो, तो इस फैसलेके तीन महीने बादतक इस कारणसे उसका स्थान परिषदमें खाली नहीं घोषित किया जायगा। इस बीचमें यदि उसने फैसलेके विरुद्ध अपील कर दी है, तो जबतक उसका फैसला नहीं हो जाय, तबतक वह परिषदका सदस्य बना रहेगा। परन्तु इस अवधिमें वह न तो बैठकोंमें शामिल हो सकता है और न वोट दे सकता है।

कोई भी व्यक्ति न तो एक साथ ही प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदकी दोनों सभाओंका सदस्य हो सकता है और न प्रान्तीय तथा फेडरल व्यवस्थापिका परिषदका एक साथ ही सदस्य हो सकता है। जो व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदकी दोनों सभाओंका सदस्य चुन लिया जायगा, उसे प्रान्तके गवर्नर द्वारा जारी किये गये

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

नियमके अनुसार एक सभाकी सदस्यतासे इस्तीफा दे देना होगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रान्तीय तथा फेडरल व्यवस्थापिका परिषद, दोनोंका सदस्य चुन लिया जायगा, वह यदि गवर्नर द्वारा जारी किये गये नियममें निर्धारित अवधिके अन्दर फेडरल व्यवस्थापिका सभासे इस्तीफा नहीं दे देता, तो प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदमें उसका स्थान खाली समझा जायगा।

सदस्योंके अधिकार और सुविधाएं

प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके सदस्योंके अधिकार और उनकी सुविधाओंके सम्बन्धमें विधानकी ७० वीं धारामें कहा गया है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके प्रत्येक सदस्यको भाषण करनेकी स्वतन्त्रता होगी और व्यवस्थापिका परिषद अथवा इसकी किसी कमेटीमें भाषण करने अथवा वोट देनेके कारण किसी सदस्यपर किसी अदालतमें मामला नहीं चलाया जा सकता है; व्यवस्थापिका परिषदकी सभाओं द्वारा अथवा इसके आदेशानुसार प्रकाशित होनेवाली रिपोर्ट, कागजात, वोट या कार्यवाहीके कारण किसी सदस्यपर मामला नहीं चलाया जा सकता है।

अन्य सब बातोंमें प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके सदस्योंको वही सब अधिकार होंगे, जो समय-समयपर प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद द्वारा पास किये गये 'एक्ट' के अनुसार निश्चित किये जायंगे। परन्तु जबतक प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद ऐसा नहीं करेगी, तबतक प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके सदस्योंको वही सब

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सुविधाएं प्राप्त रहेंगी, जो नये विधानके अनुसार कार्य आरम्भ होनेके पहलेतक प्रान्तीय कौंसिलके सदस्योंको प्राप्त थीं।

प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली और कौंसिलके सदस्योंको वही एलाउएन्स मिला करेगा, जो प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद समय-समयपर 'एक्ट' पास करके निश्चित कर दिया करेगी; और जबतक वह ऐसा नहीं करती, तबतक सदस्योंको वही एलाउएन्स मिलेगा, जो इस विधानके अनुसार कार्य आरम्भ होनेके पहलेतक प्रान्तीय कौंसिलके सदस्योंको मिलते थे।

प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदकी कार्यवाही

प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदकी कार्यवाहीके सम्बन्धमें यह व्यवस्था दी गयी है कि जिस प्रान्तमें व्यवस्थापिका परिषदकी दो सभाएं होंगी, वहां 'फिनैन्स बिल' को छोड़कर अन्य 'विल' दोनों-मेंसे किसी सभामें पहले पेश किया जा सकता है; परन्तु 'फिनैन्स विल' पहले "लेजिस्लेटिव असेम्बली" में ही पेश किया जा सकेगा। कोई 'बिल' यदि व्यवस्थापिका परिषदमें विचाराधीन हो और इस बीचमें ही अधिवेशन अनिश्चित कालतकके लिये स्थगित कर दिया जाय, तो इसी कारण वह 'विल' रद्द नहीं समझा जायगा; फिर अधिवेशन आरम्भ होनेपर उस 'बिल'पर विचार किया जा सकेगा। कोई 'विल' यदि प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बलीमें पास नहीं हुआ है और प्रान्तीय कौंसिलमें विचाराधीन है, परन्तु बीचमें ही असेम्बली भंग कर दी गयी, तो इसी कारण वह 'बिल' रद्द नहीं समझा जायगा। किन्तु कोई 'बिल' यदि असेम्बलीमें स्वीकृत हो जानेके बाद कौंसिलमें

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

विचाराधीन हो और इसी बीचमें असेम्बली भंग कर दी जाय, तो वह रद्द समझा जायगा।

जिस प्रान्तमें व्यवस्थापिका परिषदकी दो सभाएं होंगी, वहां कोई भी 'विल' तबतक परिषद् द्वारा पास किया हुआ नहीं समझा जायगा, जबतक परिषदकी दोनों सभाओं द्वारा पूर्व रूपमें अथवा ऐसे संशोधनके साथ स्वीकृत न हो जाय, जो दोनों सभाओंको मंजूर हो।

कोई 'विल' यदि लेजिस्लेटिव असेम्बलीमें स्वीकृत हो जानेके पश्चात् लेजिस्लेटिव कौंसिलमें भेजा गया हो, परन्तु जिस दिन वहां वह 'विल' पहुंचा हो, उसके बारह महीनेके अन्दर गवर्नरके पास स्वीकृतिके लिये न भेजा गया हो, तो उस 'विल' पर विचार करनेके लिये गवर्नर व्यवस्थापिका परिषदकी दोनों सभाओंकी एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। यदि वह 'विल' किसी ऐसे आर्थिक विषयसे सम्बन्ध रखता हो जिसका प्रभाव उनके 'विशेष उत्तरदायित्व' के पालनपर भी पड़नेकी सम्भावना हो, तो वे बारह महीनेकी अवधि पूरी होनेके पहले भी उस 'विल'पर विचार करनेके लिये परिषदकी दोनों सभाओंकी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, गवर्नर यदि ऐसी अवस्थामें किसी 'विल' पर विचार करनेके लिये प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदकी दोनों सभाओंकी संयुक्त बैठक बुलायें और उसमें दोनों सभाओंके उपस्थित सदस्योंके बहुमतसे वह 'विल' पास हो जाय, तो वह दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत समझा जायगा। इस प्रकारकी संयुक्त बैठकमें

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

"लेजिस्लेटिव कौंसिल" के प्रेसीडेंट अध्यक्षका आसन ग्रहण करेंगे। परन्तु इस सम्बन्धमें एक बात स्मरण रखनेकी यह है, कि प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्वलीमें पास हो जानेके वाद जो 'विल' लेजिस्लेटिव कौंसिलमें भेजा गया था, वह यदि संशोधित रूपमें फिर असेम्बलीमें स्वीकृतिके लिये लौटाया गया है और ऐसी अवस्थामें उस 'विल'पर विचार करनेके लिये परिषदकी दोनों सभाओंकी संयुक्त बैठक वुलायी जाय, तो उस संयुक्त बैठकमें 'विल'के उन संशोधनोंके अतिरिक्त और केवल ऐसे ही संशोधनोंपर विचार किया जा सकेगा, जो इतना समय वीत जानेके कारण जरूरी समझे जायंगे।

प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बलीमें अथवा जिन प्रान्तोंमें व्यवस्थापिका परिषदकी दो सभाएं हैं, वहां दोनों सभाओंमें पास हो जानेके पश्चात् जब कोई 'बिल' गवर्नरके पास स्वीकृतिके लिये भेजा। जायगा, तब गवर्नरकी स्वीकृति मिल जानेपर वह कानून बन जायगा लेकिन गवर्नर जहां उसपर सम्राटके नामपर स्वीकृति दे सकते हैं, वहां वे स्वीकृति देनेसे इनकार भी कर सकते हैं, या 'बिल'को वे गवर्नर-जनरलके विचारार्थ रख भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि वे आवश्यक समझें तो 'विल' अथवा इसकी कुछ धाराओंपर पुनर्विचार करनेके लिये अपनी ओरसे संशोधनके साथ इसको परिषदमें लौटा भी सकते हैं। जब गवर्नर इस प्रकार सन्देशके साथ 'विल' को लौटा देंगे, तव प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद उसपर फिर विचार करेगी।

गवर्नर जब किसी 'विल'को गवर्नर-जनरलके विचारार्थ रख लेंगे,

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

तब गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति मिल जानेके बाद ही वह कानून बन सकता है। परन्तु गवर्नर-जनरल स्वीकृति नहीं भी दे सकते हैं अथवा 'बिल'को सम्राटके विचारार्थ रख ले सकते हैं। गवर्नर-जनरल यदि चाहें, तो वे भी गवर्नरको, संशोधनके साथ उस 'बिल' को व्यवस्थापिका सभामें पुनः विचारार्थ लौटा देनेके लिये आदेश देसकते हैं। इस प्रकार 'बिल'के वापस आनेपर जब व्यवस्थापिका परिषद द्वारा फिर बिना संशोधनके अथवा संशोधनके साथ वह पास कर दिया जायगा, तब फिर गवर्नर-जनरलको स्वीकृतिके लिये उसको भेजा जायगा।

जो 'बिल' सम्राटकी स्वीकृतिके लिये रख लिया जायगा, वह जिस दिन गवर्नरके पास भेजा गया था उससे बारह महीनेके भीतर यदि गवर्नर पब्लिक नोटिफिकेशनके जरिये यह नहीं घोषित कर देते कि सम्राटने उसपर स्वीकृति दे दी है तो वह 'बिल' कानून नहीं बनेगा। गवर्नर या गवर्नर-जनरल जिस प्रान्तीय 'बिल' पर स्वीकृति दे देंगे उसको भी, यदि चाहें तो, सम्राट बारह महीनेके अन्दर रद्द कर दे सकते हैं। जब किसी कानून इस प्रकार सम्राट रद्द कर देंगे तो गवर्नर पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा इसकी घोषणा करेंगे और जिस दिन यह घोषणा प्रकाशित होगी उसी दिनसे वह कानून रद्द समझा जायगा।

विधानकी धारा ८६ में कहा गया है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदमें फेडरल कोर्ट या हाईकोर्टके किसी जजके कार्यकी आलोचना नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि गवर्नरको यदि किसी विचाराधीन अथवा पेश होनेवाले 'बिल'

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

या इसकी किसी धाराके सम्बन्धमें ऐसा मालूम हो कि उसके पास होनेसे, प्रान्तकी शान्तिपर आनेवाले खतरेको रोकनेके लिये उनको जो विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है उसका पालन करनेमें बाधा पड़ सकती है तो वे इस आशयका आदेश दे सकते हैं कि इस 'बिल' या इसके अमुक अंशपर विचार न किया जाय। गवर्नरके ऐसे आदेशका पालन करना व्यवस्थापिका परिषदके लिये अनिवार्य होगा।

'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की धारा ८५ में कहा गया है है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद और परिषदकी दोनो सभाओं-की संयुक्त बैठककी कार्यवाही अंग्रेजी भाषामें होगी, परन्तु जो सदस्य अंग्रेजीके जानकार अथवा अच्छे जानकार न होंगे वे दूसरी भाषामें भी भाषण कर सकेंगे।

बजटपर विचार

प्रत्येक वर्ष, उस वर्षके आय-व्ययका ब्योरा गवर्नरके आदेशा-नुसार प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके सामने पेश किया जायगा। इसमें दो प्रकारके खर्चके अनुमान पृथक-पृथक दिखाये जायंगे। इसमें एक प्रकारका खर्च तो वह होगा जिसको 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' के अनुसार ऐसा अनिवार्य खर्च कहा गया है, जो प्रान्तीय रेवन्यूसे किया ही जायगा (Expenditure charged upon the revenues of the Province), और दूसरा है वह सब खर्च, जो आवश्यकतानुसार प्रान्तीय रेवन्यूसे किया जायगा।

उपर्युक्त प्रथम श्रेणीके खर्चमें ये सब होंगे :—

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

(१) गवर्नरका वेतन और एलाउएन्स तथा गवर्नरके लिये किये जानेवाले वे सब खर्च, जिनका निश्चय आर्डर-इन-कौंसिल द्वारा होगा।

(२) सरकारी ऋणका वह अंश, जिसका देनदार प्रान्त होगा।

(३) मिनिस्टरों तथा एडवोकेट-जनरलके वेतन तथा एलाउएन्स।

(४) हाईकोर्टके जजोंके वेतन और एलाउएन्स सम्बन्धी खर्च।

(५) प्रान्तके एक्सक्लूडेड एरियाके शासन सम्बन्धी खर्च।

(६) सरकारपर होनेवाली डिक्रीको अदा करनेमें खर्च होनेवाली रकम।

(७) अन्य कोई खर्च, जो 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' अथवा प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद द्वारा पास किये गये 'एक्ट' के अनुसार इस श्रेणीका खर्च करार दिया जायगा।

उपर्युक्त पहली श्रेणीमें आनेवाले खर्चपर (Expenditure charged upon the revenues of the Province) प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदका वोट नहीं लिया जायगा; परन्तु इसका अर्थ यह नहीं, कि उसपर प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदमें बहस भी नहीं हो सकेगी। हां, गवर्नरके वेतन, एलाउएन्स तथा इस पदसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य खर्चकी आलोचना नहीं की जा सकेगी।

उपर्युक्त दूसरी श्रेणीके खर्चकी सभी मदोंको मांगके रूपमें लेजिस्लेटिव असेम्बलीमें उपस्थित किया जायगा और असेम्बलीको उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने या संशोधित रूपमें स्वीकार करनेका अधिकार होगा। इसीके साथ यह भी कहा गया है कि

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

जबतक गवर्नर सिफारिश नहीं करेंगे तबतक प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बलीमें खर्चके लिये कोई मांग पेश नहीं की जा सकेगी।

असेम्बली यदि किसी मांगको अस्वीकार कर देगी अथवा मांगकी रकमको कम कर देगी, तो ऐसी अवस्थामें यदि गवर्नरको ऐसा प्रतीत होगा कि इससे उनको अपने विशेष उत्तरदायित्वकी पूर्तिमें बाधा उपस्थित हो सकती है, तो वे फिर खर्चके शिड्यूलमें अतिरिक्त रकम रख सकते हैं; परन्तु वह अतिरिक्त रकम पूर्व मांगकी रकमसे ज्यादा न होनी चाहिये। इस प्रकारके खर्चकी मांगका शिड्यूल फिर असेम्बलीके सामने रखा जायगा, परन्तु इस बार इसपर न तो बहस की जा सकेगी और न इसपर वोट ही लिया जायगा।

वर्षके आरम्भमें जो बजट पास होगा, उसके अतिरिक्त यदि उस वर्ष प्रान्तीय रेवन्यूमेंसे और खर्च करना आवश्यक हो, तो असेम्बलीमें फिर सप्लीमेंटरी बजट पेश होगा और उसके सम्बन्धमें भी उसी प्रकार काररवाई होगी, जिस प्रकार सालाना बजटके सम्बन्धमें।

कोई टैक्स लगाने या बढ़ाने अथवा सरकारी ऋण लेनेके सम्बन्धमें या किसी खर्चको रेवन्यूसे अनिवार्य खर्चकी श्रेणीमें लानेके लिये कोई 'बिल' व्यवस्थापिका परिषदमें तबतक पेश नहीं किया जा सकेगा जबतक गवर्नर इसके लिये सिफारिश न करें।

गवर्नरको कानून बनानेका अधिकार

प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके अलावा, प्रान्तीय गवर्नरोंको भी 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की धारा ८८, ८९ और ९० के

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

अनुसार क़ानून वनानेका अधिकार दिया गया है। गवर्नर द्वारा वनाये गये कानून भी वैसे ही प्रभावशाली होंगे, जैसे प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद् द्वारा वनाये गये कानून।

विधानकी धारा ८८ द्वारा गवर्नरको अधिकार दिया गया है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद्का अधिवेशन जिस समय न होता हो उस समय यदि उन्हें यह मालूम हो कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि तुरत कारखाई करनेकी जरूरत है, तो वे परिस्थितिके अनुसार आर्डिनेन्स जारी कर सकते हैं। परन्तु उन्हें आर्डिनेन्स जारी करते समय इस वातपर विचार कर लेना होगा कि वे जो आर्डिनेन्स जारी करने जा रहे हैं, उसका सम्वन्ध ऐसे विषयसे तो नहीं है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद्में वैसा 'विल' पेश करनेके लिये पहले गवर्नर-जनरलकी अनुमति लेनेकी आवश्यकता होती। यदि ऐसे विषयसे सम्वन्ध रखनेवाला आर्डिनेन्स हो, तो इसको जारी करनेके पहले गवर्नर-जनरलकी अनुमति ले लेनी जरूरी होगी। परन्तु इसके साथ ही इसी धारामें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आर्डिनेन्स जारी होनेके वाद जव प्रान्तीय व्यवस्थापिका परि-षद्का अधिवेशन आरम्भ होगा तव तुरत वह आर्डिनेन्स उसके सामने विचारार्थ रखा जायगा और अधिवेशन आरम्भ होनेके छः सप्ताहके वाद वह आर्डिनेन्स रद्द समझा जायगा। इस छः सप्ताहकी अवधिके पहले भी यदि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद्में उसको रद्द करनेका प्रस्ताव पास हो जाय, तो ऐसा प्रस्ताव पास होनेके वादसे ही वह आर्डिनेन्स रद्द समझा जायगा।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

विधानकी धारा ८६ में कहा गया है कि गवर्नरको इस 'एक्ट' अनुसाकेर जिन विषयोंमें अपने कर्तव्य-पालनके लिये अपनी विवेक-बुद्धि और समझके अनुसार काम करनेका अधिकार दिया गया है, उनके सम्बन्धमें यदि उनको ऐसा प्रतीत हो कि परि-स्थिति ऐसी हो गयी है कि अविलम्ब कार्य करनेकी जरूरत है, तो वे अपनी विवेक-बुद्धि और समझके अनुसार कर्तव्य-पालनके लिये आर्डिनेन्स जारी कर सकते हैं। इस धाराके अनुसार गवर्नर जो आर्डिनेन्स जारी करेंगे वह छः महीने तकके लिये लागू हो सकता है और यदि वे छः महीनेके बाद भी इसे जारी रखना चाहें तो फिर दूसरा आर्डिनेन्स जारी करके और छः महीनेके लिये इसकी अवधिको बढ़ा सकते हैं। परन्तु इस प्रकार पहले आर्डिनेन्सकी अवधि बढ़ानेके लिये जो आर्डिनेन्स जारी किया जायगा, गवनर-जनरल द्वारा उसकी सूचना भारतमन्त्रीको देनी जरूरी होगी और भारतमन्त्री उसको पार्लमेंटके सामने रखेंगे।

उपर्युक्त दोनो प्रकारके आर्डिनेन्स जारी करनेके अलावा एक प्रकारका और भी कानून बनानेका अधिकार गवर्नरको दिया गया है, जिसको "गवर्नर्स एक्ट" (Governor's Act) कहा गया है। विधानकी धारा ६० में कहा गया है कि गवर्नरको यदि किसी समय ऐसा मालूम पड़े कि उनको अपनी विवेक-बुद्धि और समझके मुताबिक अपना कर्तव्य-पालन करनेके लिये जिन विषयोंके सम्बन्ध-में अधिकार दिया गया है, उन कर्तव्योंके पालनके लिये कानून बनाना आवश्यक है तो वे व्यवस्थापिका परिषदको सन्देश भेजकर

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सूचित करेंगे कि उन्हें कानून बनाना क्यों आवश्यक प्रतीत हो रहा है, और साथ ही वे इस प्रकारका 'विल' पास कर देंगे अथवा इस प्रकारका 'विल' भी उपर्युक्त सन्देशके साथ ही प्रान्तीय असेम्बली, अथवा जहां व्यवस्थापिका परिषदकी दो सभाएं हैं वहां दोनो सभाओंके पास भेज देंगे। गवर्नर यदि स्वयं 'विल' को पास न करके 'विल' का मसविदा व्यवस्थापिका परिषदमें भेजेंगे तो उससे एक महीनेके वाद वे जव चाहेंगे तव उस 'विल' को उसी रूपमें अथवा संशोधित रूपमें पास कर देंगे। परन्तु इस एक महीनेकी अवधिके भीतर यदि व्यवस्थापिका परिषद प्रस्ताव पास करके उस 'विल' के सम्बन्धमें कोई विचार प्रकट करेगी अथवा कोई संशोधन करनेका अनुरोध करेगी, तो उस 'विल' को कानूनका रूप देनेके पहले गवर्नर उसपर विचार करेंगे। इसके वाद जव गवर्नर उस 'विल' को पास कर देंगे तो वह 'गवर्नर्स एक्ट' कहलायगा और उसी प्रकार वह भी लागू होगा, जिस प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद द्वारा पास किया हुआ कोई भी कानून लागू हो सकता है। इस प्रकार गवर्नर जो 'एक्ट' जारी करेंगे वह सूचनाके लिये गवर्नर-जनरल द्वारा भारतमंत्रीके पास भेजा जायगा और पार्लमेंटके सदस्योंकी जानकारीके लिये भारतमंत्री उसको पार्लमेंटके सामने पेश करेंगे।

"एक्सक्लूडेड एरिया"

'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' में अनेक स्थानोंमें "एक्सक्लूडेड एरिया" (Excluded Area) और "पार्शियली एक्सक्लूडेड

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

एरिया" (Partially Excluded Area) शब्दोंका प्रयोग किया गया है। इनका मतलब यह है कि 'कौंसिलयुक्त सम्राट' आदेश निकालकर किसी प्रान्तके किसी भागको, नये विधानके अनुसार मिलनेवाले शासन-सुधारसे पूर्णरूपसे अथवा आंशिक रूपमें अलग रख सकते हैं। प्रान्तके ऐसे क्षेत्रोंमें फेडरल व्यवस्थापिका परिषद द्वारा पास किया हुआ कानून अथवा प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद द्वारा पास किया हुआ कानून तबतक लागू नहीं होगा जबतक गवर्नर किसी ऐसे कानूनके सम्बन्धमें घोषणा न निकालें कि यह उस क्षेत्रमें भी लागू होगा। इस प्रकारके 'एक्सक्लूडेड' या 'पार्शियली एक्स-क्लूडेड एरिया' के सुशासनके लिये गवर्नरको ही रेगुलेशन जारी करनेका अधिकार रहेगा और वे जो रेगुलेशन जारी करना चाहेंगे, उसपर पहले गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति ले लेनी जरूरी होगी; जबतक गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति नहीं मिलेगी तबतक वह रेगुलेशन लागू नहीं होगा।

गवर्नर सब अधिकार अपने हाथमें ले सकते हैं

जिस प्रकार फेडरल शासन-विधानके सम्बन्धमें 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की ४५ वीं धाराके अनुसार गवर्नर-जनरलको अधिकार दिया गया है कि यदि इस विधानके अनुसार कार्य-संचालन असम्भव हो जाय तो वे एक घोषणा निकालकर फेडरल न्याय-विभागके अधिकारोंको छोड़कर और सभी अधिकारोंको अपने हाथोंमें ले सकते हैं, उसी प्रकार 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की धारा ९३ के अनुसार गवर्नरको भी यह अधिकार दिया गया है कि

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

प्रान्तीय शासन-विधानके अनुसार कार्य-संचालन जब असम्भव हो जाय—प्रान्तीय कंस्टीट्यूशनल मशीनरी जब फेल कर जाय—तब वे एक घोषणा निकालकर हाईकोर्टके अधिकारोंको छोड़कर और सभी अधिकारोंको अपने हाथमें ले सकते हैं। इसके लिये जो घोषणा वे जारी करेंगे वह छः महीनेके लिये लागू होगी; परन्तु दूसरी घोषणा निकालकर वे छः महीनेकी अवधि पूरी होनेके पहले भी पहली घोषणाको रद्द कर सकते हैं।

पहली बार जब गवर्नर घोषणा जारी करके प्रान्तीय शासन सम्बन्धी सभी अधिकारोंको अथवा उनमेंसे कुछको ही अपने हाथमें ले लेंगे तब तुरत ही उस घोषणाका विवरण वे भारतमंत्रीको सूचित करेंगे और भारतमंत्री उसको पार्लमेंटकी दोनो सभाओंके सामने रखेंगे। गवर्नरको यद्यपि उपर्युक्त घोषणाकी छः महीनेकी अवधिको फिर दूसरी घोषणा निकालकर बढ़ानेका अधिकार नहीं दिया गया है, परन्तु पार्लमेंटकी दोनो सभाएं यदि प्रस्ताव पास करके गवर्नर द्वारा की गयी घोषणाकी अवधिको बढ़ाना चाहें, तो वे ऐसा कर सकती हैं। ऐसी अवस्थामें पार्लमेंटकी दोनो सभाएं जब-जब अवधि बढ़ानेके लिये प्रस्ताव पास करेंगी तब-तब बारह महीनेके लिये उस घोषणाकी अवधि बढ़ जायगी, परन्तु किसी हालतमें भी इस प्रकार गवर्नरकी घोषणा प्रथम बार जारी होनेके बादसे लेकर तीन वर्षसे ज्यादा दिनों तक यह अवधि नहीं बढ़ायी जा सकेगी। यदि पार्लमेंट बार-बार प्रस्ताव पास करके तीन वर्षतक प्रान्तीय शासनके सारे अधिकार गवर्नरके हाथोंमें रहने

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

दे, तो भी तीन वर्षके बाद फिर विधानके अनुसार कार्य होने लगेगा।

उपर्युक्त धारामें यह भी कहा गया है कि गवर्नरकी उपर्युक्त प्रथम घोषणाके दिनसे लेकर जबतक यह जारी रहे तबतककी अवधिके अन्दर अपने इस विशेष अधिकारके अनुसार गवर्नर जो कानून पास करेंगे वह, घोषणाकी अवधि समाप्त हो जाने और विधानके अनुसार फिर कार्य आरम्भ हो जानेके दो वर्ष बाद तक लागू रहेगा, परन्तु इस दो वर्षके अन्दर अगर प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद 'एक्ट' पास करके गवर्नर द्वारा जारी किये गये उस कानूनको रद्द करना चाहे तो वह ऐसा कर सकती है।

इस धाराके अनुसार गवर्नरको जो घोषणा जारी करनेका अधिकार दिया गया है उसके सम्बन्धमें यह एक स्मरण रखनेकी बात है, कि अधिकारको अपने हाथमें लेनेके लिये गवर्नर तभी घोषणा कर सकते हैं जब वे पहले इसके लिये गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे।

चीफ कमिश्नरोंके प्रान्त

चीफ कमिश्नरोंके प्रान्तका शासन गवर्नर-जनरलके हाथमें होगा और जिस हदतक वे ठीक समझेंगे, उस हदतक वे उन प्रान्तोंका शासन चीफ कमिश्नरके जरिये करेंगे, जिनको वे, अपनी विवेक-बुद्धिके अनुसार काम करनेके लिये नियुक्त करेंगे।

ब्रिटिश बलूचिस्तानके शासनके लिये खास कानून लागू होंगे। जिस प्रकार चीफ कमिश्नरके अधीनस्थ अन्य प्रान्तोंमें फेडरेशनका

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

अधिकार रहेगा, उसी प्रकार उसकी अधिकार-सीमा ब्रिटिश बलूचिस्तानतक भी रहेगी, परन्तु अन्तर यह होगा कि फेडरल व्यवस्थापिका परिषद् द्वारा पास किया हुआ कोई भी कानून वहां तबतक लागू नहीं होगा, जबतक गवर्नर-जनरल अपनी विवेक-बुद्धिके अनुसार ऐसी घोषणा नहीं करेंगे। गवर्नर-जनरल यदि फेडरल व्यवस्थापिका परिषद् द्वारा पास किये गये किसी कानूनके ब्रिटिश बलूचिस्तानमें लागू होनेकी घोषणा करेंगे, तो वे यदि चाहेंगे तो उसे अपने इच्छानुसार संशोधित रूपमें ही लागू होनेकी घोषणा कर सकते हैं। गवर्नर-जनरलको यह भी अधिकार दिया गया है कि ब्रिटिश बलूचिस्तानके सुशासनके लिये वे रेगुलेशन जारी कर सकते हैं और इस प्रकार गवर्नर-जनरल जो रेगुलेशन जारी करेंगे, उसके द्वारा वे, ब्रिटिश बलूचिस्तानमें लागू बनानेके लिये फेडरल व्यवस्थापिका परिषद् द्वारा पास किये गये कानूनमें संशोधन भी कर सकते हैं। वे जो रेगुलेशन जारी करेंगे, बलूचिस्तानमें उसका वैसा ही प्रभाव होगा जैसा फेडरल व्यवस्थापिका परिषद् द्वारा पास किये हुए कानूनका प्रभाव अन्य प्रान्तोंमें होगा।

अदनको भारतसे अलग कर दिया जायगा, इसकी चर्चा अन्यत्र की जा चुकी है, परन्तु यह कब भारतसे पृथक होगा, इसका निश्चय सम्राट आर्डर-इन-कौंसिल जारी करके करेंगे। अदनका शासन किस प्रकार होगा, इसका निर्णय सम्राट ही करेंगे और उसका शासन ब्रिटिश कलोनियल आफिसके नियन्त्रणमें होगा।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

मताधिकार

व्यवस्थापिका परिषद्के निर्वाचनके लिये सन् १९१५ और सन् १९१९ ई० के 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' के अनुसार जो नियम बनाये गये, उनसे ब्रिटिश भारतके केवल लगभग तीन प्रतिशत नागरिकोंको मताधिकार (वोट देनेका अधिकार) मिला था; इनमें भी महिलाओंके लिये यह अधिकार नाममात्रको ही रहा है, क्योंकि मताधिकार धन-सम्पत्तिके आधारपर अवलम्बित था, और ऐसी हिन्दू महिलाओंकी संख्या तो बहुत ही कम है, जो कानूनके अनुसार स्वयं धन-सम्पत्तिकी स्वामिनी हों। यही कारण है कि समस्त भारतमें जहां मताधिकार-प्राप्त स्त्री-पुरुषोंकी कुल संख्या ७३००००० थी, वहां उनमें महिलाओंकी संख्या ३१५००० से अधिक नहीं हो पायी थी।

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओंका यह मत रहा है कि देशभरके सभी बालिग स्त्री-पुरुषोंको मताधिकार रहना चाहिये, जिससे व्यवस्थापिका परिषदोंमें देशकी जनताके वास्तविक प्रतिनिधि पहुंच सकें। परन्तु इस प्रकारके प्रस्तावको कार्यान्वित करनेकी तो शायद इस विधानके निर्माताओंने कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी, निर्वाचकोंकी संख्या बढ़ानेकी जरूरत सभीको महसूस हुई और रायल कमीशनने सिफारिश की थी कि कमसे-कम दस प्रतिशत लोगोंको मताधिकार मिलना चाहिये। पहली राउण्डटेबल कानफ-

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

रेन्सके अवसरपर भारतीय प्रतिनिधियोंने इस बातपर जोर डाला था कि कमसे-कम पचीस प्रतिशत नागरिकोंको मताधिकार मिलना चाहिये। सन् १९३२ ई० में ब्रिटिश गवर्नमेंटने मताधिकारके प्रश्न-पर विचार करनेके लिये एक कमेटी नियुक्त की थी, उसने जो सिफारिश की थी उसे पार्लमेंटरी ज्वायण्ट कमेटीने वर्तमान "गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट" में उसी रूपमें तो नहीं स्थान दिया, फिर भी उसकी सिफारिशको बहुत अंशोंमें स्थान दिया गया है, जिससे इस 'एक्ट' के विधायकोंको यह आशा है कि सन् १९१९ ई० के 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट' के अनुसार जहां केवल तीन प्रतिशत नागरिकोंको मताधिकार मिला था, वहां इस विधानके अनुसार लगभग चौदह प्रतिशत नागरिक व्यवस्थापिका परिषदके निर्वाचनमें वोट देनेके अधिकारी होंगे। एक विशेष बात यह भी होगी कि पहले जहां समस्त देशकी केवल ३१५००० महिलाओंको वोट देनेका अधिकार प्राप्त था, वहां अब लगभग सात लाख महिलाएं मताधिकार प्राप्त करेंगी।

पहले महिलाओंके अधिकारको जिस प्रकार उपेक्षाकी दृष्टिसे, देखा गया था उसका ही यह परिणाम था कि मताधिकारप्राप्त पुरुष और स्त्रियोंके अनुपातमें इतना बड़ा अन्तर था। परन्तु रायल कमीशनको भी यह महसूस हुआ कि महिलाओंके प्रति ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। साथ ही, इधर भारतीय महिला-समाजमें जो अभूतपूर्व जागृति हुई है, रायल कमीशनके सदस्योंको अपने दौरेके सिलसिलेमें इसका भी काफी परिचय मिल गया था।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

इसलिये रायल कमीशनने अपनी रिपोर्टमें एक स्थानपर लिखा था कि "प्रगतिकी ताली तो भारतोय महिला आन्दोलनके ही हाथोंमें है और यह अवर्णनीय सफलता प्राप्त कर सकता है। यह कहनेमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी कि संसारमें भारत जो स्थान प्राप्त करना चाहता है, वह उसे तबतक प्राप्त नहीं कर सकता, जबतक भारतीय महिलाएं शिक्षित नागरिककी हैसियतसे अपने कर्त्तव्यका पालन न करें।" इसमें सन्देह नहीं कि भारतोय सार्वजनिक जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें महिलाओंका प्रभाव लोगोंको स्पष्ट मालूम हो रहा है और उन्हें भी पुरुषोंकी भांति नागरिक अधिकारोंका उपभोग करनेका पूरा मौका मिलना ही चाहिये। वर्तमान "गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट" में महिलाओंके मताधिकारके लिये जो योग्यता निश्चित की गयी है, उससे भी बहुत थोड़ी महिलाएं मताधिकार प्राप्त कर सकेंगी, फिर भी इससे पहले जितनी महिलाओंको यह अधिकार प्राप्त रहा है, अब उससे उनकी संख्या लगभग उन्नीस गुना बढ़ जायगी।

"नये गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट" में महिलाओंको मताधिकार देनेके लिये जो योग्यताएं निश्चित की गयी हैं, उनसे उन सभी महिलाओंको मताधिकार प्राप्त होगा—

(१) जो स्वयं धन-सम्पत्तिकी स्वामिनीकी हैसियतसे मताधिकार प्राप्त करनेकी योग्यता रखती हैं।

(२) जो ऐसे पुरुषकी स्त्री या विधवा पत्नी हैं, जो साम्पत्तिक योग्यताके कारण मताधिकार पानेके अधिकारी हैं या होते।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

(३) जो ऐसे व्यक्तिकी स्त्री हैं, जिन्हें मिलिटरी सर्विसके कारण वोट देनेका अधिकार है।

(४) जो ऐसे भारतीय अफसर, नौनकमीशण्ड अफसर (Non-Commissioned Officers) और सैनिक या रेगुलर फोर्सके मेम्बर अथवा इण्डियन पुलिस फोर्समें काम करनेवाले व्यक्तिकी पेन्शनयाफ्ता विधवा या माता हैं।

(५) जो महिला सम्बन्धी उपयुक्त योग्यता रखती हैं।

इस विधानके अन्दर महिलाओंके मताधिकारकी जहां व्यवस्था दी गयी है, वहां यह भी कहा गया है कि स्वयं साम्पत्तिक योग्यता रखनेके कारण जो महिलाएं मताधिकार पानेकी अधिकारिणी होंगी, उनको छोड़कर, साधारणतः अन्य सभीको निर्वाचकोंकी सूचीमें अपना नाम दर्ज करानेके लिये आवेदन-पत्र देना होगा। परन्तु बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और मध्यप्रान्त-बरारकी उन महिलाओंको निर्वाचकोंकी सूचीमें नाम दर्ज करानेके लिये 'आवेदनपत्र' नहीं भेजना पड़ेगा, जो अपने पतिकी साम्पत्तिक योग्यताके कारण 'वोटर' होनेकी अधिकारिणी हैं; साथ ही संयुक्त प्रान्तके नगरोंमें रहनेवाली ऐसी महिलाओंको भी 'आवेदन पत्र' देनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

मताधिकारके साधारण नियम

जिस समय वर्तमान "गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट' पास किया गया, उस समयतक फेडरल "कौंसिल आफ स्टेट" सम्बन्धी मताधिकारका विस्तृत विवरण तय नहीं हुआ था, बल्कि उस समय

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

इतना ही निश्चय हुआ था कि इस सम्बन्धमें सम्राट "आर्डर-इन-कौंसिल" जारी करेंगे। इस सम्बन्धमें सन् १६३५ ई० की १० जुलाईको भारतमन्त्री लार्ड जेटलैण्डने पार्लमेण्टमें इस आशयकी घोषणा की थी कि 'पुरानी कौंसिल आफ स्टेट' के सदस्योंके निर्वाचनके लिये जैसे निर्वाचन-क्षेत्र निश्चित थे, उसी प्रकारके निर्वाचन-क्षेत्र निश्चित करनेका विचार सरकार कर रही है। 'आपने यह भी कहा था कि फेडरल 'कौंसिल आफ स्टेट' के सदस्यके चुनावमें भाग लेनेवालोंके मताधिकारकी योग्यता उच्च साम्पत्तिक आधारपर निर्भर करेगी, किन्तु पुरानी 'कौंसिल आफ स्टेट' के निर्वाचन-क्षेत्रकी अपेक्षा फेडरल 'कौंसिल आफ स्टेट' का निर्वाचन-क्षेत्र चार-पांच गुना बड़ा होगा।

प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके निर्वाचकोंके मताधिकारकी साधारण योग्यताका आधार भी मुख्यतया सम्पत्तिको ही रखा गया है;यथा—जमीनका लगान, विभिन्न प्रकारका रैयतवारी अधिकार, इनकम-टैक्स और शहरोंमें मकान-भाड़ा। इनके अलावा, शिक्षा सम्बन्धी योग्यता भी रखी गयी है तथा महिलाओंके यथेष्ट प्रतिनिधित्व और दलित जातियोंके लगभग दस प्रतिशत लोगोंको मताधिकार देनेके लिये कुछ अन्य प्रकारकी योग्यता भी रखी गयी है। वर्तमान 'एक्ट' में रिटायर्ड, पेन्शनयाफ्ता और डिसचार्ज हुए:अफसरों, नानकमीशण्ड अफसरों और सम्राटकी रेगुलर सेनाके अफसर तथा सैनिकोंको भी मताधिकार देने तथा मजूर, जमींदार, वाणिज्य-व्यवसायके प्रतिनिधित्वके लिये सुरक्षित सीटोंके

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

निर्वाचनके हेतु कुछ खास निर्वाचक-मण्डल कायम करनेकी व्यवस्था की गयी है।

वर्तमान विधानके अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके हेतु विभिन्न सम्प्रदायके निर्वाचनके लिये साधारण नियम यह रहेगा कि प्रतिनिधियोंका चुनाव टेरिटोरियल निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा होगा, लेकिन कुछ खास समुदायके (Special interests) प्रतिनिधित्वके लिये निर्वाचनके हेतु विशेष निर्वाचन क्षेत्र होंगे—यथा जमींदार, वाणिज्य-व्यवसाय, मजूर आदि। इन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा होनेवाले निर्वाचनके सम्बन्धमें सविस्तर विवरण 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट' पास होते समयतक तय नहीं हो पाया था, परन्तु विधानमें ऐसी व्यवस्था है कि बादमें 'कौंसिलयुक्त सम्राट' इसके सम्बन्धमें विस्तृत नियम जारी करेंगे; कुछ विषयोंके सम्बन्धमें फेडरल तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदों और गवर्नर-जनरल तथा गवर्नरोंको भी नियम बनानेका अधिकार रहेगा।

प्रान्तीय असेम्बलीके निर्वाचनके लिये प्रत्येक प्रान्त टेरिटोरियल निर्वाचन क्षेत्रोंमें विभक्त कर दिया जायगा। इन निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा (१) जनरल सीट (२) जहां सिखोंका प्रतिनिधित्व होगा वहां सिख-सीट (३) मुसलिम सीट (४) जहां ऐंग्लो-इण्डियनोंका प्रतिनिधत्व होगा, वहां ऐंग्लो-इण्डियन सीट (५) जहां यूरोपियनोंका प्रतिनिधित्व होगा वहां यूरोपियन सीट तथा (६) बिहारको छोड़कर अन्य प्रान्तोंमें जहां भारतीय ईसाइयोंका प्रतिनिधित्व है, वहां भारतीय ईसाई सीटके लिये प्रतिनिधि निर्वाचित किये जायंगे।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

जिस श्रेणीके लिये जितनी सीटें रहेंगी, उनको उस श्रेणीके निर्वाचन-क्षेत्रोंमें बांट दिया जायगा और जिस निर्वाचन क्षेत्रको जितने प्रतिनिधि चुननेका अधिकार दिया जायगा वह उतने प्रतिनिधि चुनेगा।

जिन प्रान्तोंमें व्यवस्थापिका परिषदकी दो सभाएं होंगी, वहां लेजिस्लेटिव कौंसिलके प्रतिनिधियोंके लिये भी टेरिटोरियल निर्वाचन क्षेत्र निश्चित किये जायंगे। इन निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा कौंसिलकी—(१) जनरल सीट (२) मुसलिम सीट (३) यूरोपियन सीट (४) जहां भारतीय ईसाइयोंके लिये सीटें सुरक्षित होंगी, वहां भारतीय ईसाई सीटके लिये प्रतिनिधि निर्वाचित किये जायंगे। प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बलीकी भांति 'कौंसिल' के निर्वाचनके लिये भी प्रत्येक श्रेणीके प्रतिनिधियोंकी सीटें उस श्रेणीके निर्वाचन-क्षेत्रोंमें बांट दी जायंगी और जिस क्षेत्रको जितने सदस्य निर्वाचित करनेका अधिकार दिया जायगा, वहांसे उतने प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रके लिये निर्वाचकोंकी सूची तैयार की जायगी और इस सूचीमें जिन लोगोंके नाम दर्ज रहेंगे, वही निर्वाचनके समय उस निर्वाचन क्षेत्रमें वोट देनेके अधिकारी होंगे। जिसकी अवस्था २१ वर्षसे कम होगी, या जो ब्रिटिश प्रजा नहीं हैं; अथवा जो देशी नरेश या फेडरेशनके अन्तर्गत आये हुए देशी राज्यकी प्रजा नहीं हैं, उनके नाम निर्वाचकोंकी सूचीमें दर्ज नहीं किये जायंगे। सिख निर्वाचन क्षेत्रमें सिख ही वोटर हो सकते हैं, और इसी प्रकार मुसलिम निर्वाचन क्षेत्रमें मुसलमान, ऐंग्लो-इण्डियन्स

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

निर्वाचन क्षेत्रमें ऐंग्लो-इण्डियन, यूरोपियन निर्वाचन क्षेत्रमें यूरोपियन और भारतीय ईसाई निर्वाचन क्षेत्रमें भारतीय ईसाई ही वोटर हो सकते हैं। इनमेंसे किसी निर्वाचन-क्षेत्रमें जो आदमी वोटर होगा, वह फिर प्रान्तके जनरल निर्वाचन-क्षेत्रमें वोटर नहीं हो सकता है। साथ ही यह भी नियम रखा गया है कि किसी भी प्रान्तमें एकसे अधिक टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रमें जनरल निर्वाचनके समय कोई भी व्यक्ति वोट देनेका अधिकारी नहीं हो सकता हैं। परन्तु इस नियममें एक अपवाद यह रखा गया है कि किसी प्रान्तमें महिलाओंके निर्वाचनके लिये यदि खास तौरपर टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्र कायम किया जाय, तो जनरल निर्वाचनके समय एक ही व्यक्तिका इस प्रकार वने हुए निर्वाचन क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें नाम दर्ज कराना और साथ ही दूसरे टेरिटोरियल निर्वाचन क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें भी नाम दर्ज कराना, जो इस प्रकार खास तौरपर नहीं कायम किया गया है, नाजायज नहीं माना जायगा।

यह तो साधारण तौरपर निर्वाचकोंकी योग्यताकी बातें हुईं, परन्तु विभिन्न प्रान्तोंमें परिस्थितिकी भिन्नताके कारण मताधिकार की योग्यता अनेक अन्य बातोंपर भी निर्भर करती है; और इसीलिये विभिन्न प्रान्तोंमें मताधिकारकी योग्यतामें एक दूसरेसे कुछ अन्तर होना स्वाभाविक है। इसीलिये 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' के छठवें शिड्यूलमें विभिन्न प्रान्तोंके निर्वाचकोंकी योग्यताका विस्तृत वर्णन दिया गया है। यहां हम इसलिये खास तौरपर कुछ प्रान्तोंके मताधिकार और निर्वाचन-सम्बन्धी नियम विस्तार पूर्वक दे रहे हैं।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

बंगाल प्रान्त

निवास सम्बन्धी योग्यता—

बंगाल प्रान्तके लिये यह नियम रखा गया है कि किसी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूची (Electoral Roll) में ऐसे किसी व्यक्तिका नाम दर्ज नहीं हो सकता है जो उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्तर्गत नहीं रहता है।

कलकत्तेके निर्वाचन-क्षेत्रके लिये इस नियमके सम्बन्धमें कहा गया है कि कलकत्तेमें जिस व्यक्तिके रहनेका स्थान है और इस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्तर्गत कहीं उसका व्यापारिक स्थान है तो वह उस क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें नाम दर्ज करानेका अधिकारी हो सकता है। इसी प्रकार यूरोपियन निर्वाचन-क्षेत्रके सम्बन्धमें कहा गया है कि यदि कोई यूरोपियन बंगालके किसी स्थानमें नौकरी करता है परन्तु छुट्टी लेकर वाहर जानेके कारण उस समय बंगालमें नहीं है, तो ऐसी अवस्थामें भी वह व्यक्ति यहांके यूरोपियन निर्वाचन क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें अपना नाम दर्ज करानेका अधिकारी होगा।

टैक्स सम्बन्धी योग्यता—

कोई व्यक्ति यदि अन्य किसी नियमके अनुसार मतदाता बननेके लिये अयोग्य नहीं है तो वह इन अवस्थाओंमें किसी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें अपना नाम दर्ज करानेका अधिकारी हो सकता है :—

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

(क) यदि पूर्व वर्षके समाप्त होनेके पहले सन् १६३२ ई० के 'बंगाल मोटर वेहिकल्स एक्ट' के अनुसार वह उस वर्षका टैक्स दे चुका है;

(ख) यदि पिछले वर्ष उसपर इनकम-टैक्स लगाया गया था;

(ग) यदि पिछले वर्षके कलकत्ता कारपोरेशनके म्युनिसिपल असेसमेंट बुक अथवा लाइसेन्स रजिस्टर या अन्य किसी रजिस्टरमें यह दर्ज हो कि उसने उस सालके लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे कारपोरेशनको टैक्स या लाइसेन्स-फीस दी थी;

(घ) यदि वह पिछले वर्ष और उस वर्षके लिये कमसे कम आठ आने म्युनिसिपल या कैण्टोनमेंट-टैक्स या कमसे कम आठ आने रोड-सेस अथवा कमसे कम छः आने चौकीदारी टैक्स या यूनियन टैक्स दे चुका है।

सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता—

कोई व्यक्ति यदि अन्य किसी नियमके अनुसार मतदाता बननेके लिये अयोग्य नहीं है और वह इस प्रान्तमें नौकरी करनेके कारण पिछले अंग्रेजी फिनेन्शियल वर्ष या बंगला वर्षसे किसी ऐसे मकानमें रहता आया है जिसका सालाना वैलुएशन (मकान-भाड़ा) बयालिस रुपयेसे कम नहीं है, तो वह किसी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें अपना नाम दर्ज करा सकता है।

शिक्षा सम्बन्धी योग्यता—

जो व्यक्ति अन्य किसी नियमके अनुसार मतदाता बननेके

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

लिये अयोग्य नहीं है वह यदि किसी विश्वविद्यालयकी मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा पास कर चुका है या ऐसी कोई परीक्षा पास कर चुका है जो इसके समान मानी गयी है, अथवा पूर्वनिश्चित कोई ऐसी परीक्षा पास कर चुका है जो फाइनल मिडिल स्कूल परीक्षासे नीचे दर्जेकी नहीं है, तो वह किसी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रमें मताधिकार पानेका हकदार हो सकता है।

सरकारी कर्मचारी—

सरकारी नौकरीसे रिटायर्ड, पेन्शनयाफ्ता या डिस्चार्ज अफसर, नान-कमीशण्ड अफसर या सैनिक भी किसी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रमें मतदाता हो सकते हैं।

महिलाओंको अतिरिक्त अधिकार—

सम्राटके सेना-विभागके किसी भूतपूर्व अफसर, नान-कमीशण्ड अफसर या सैनिककी पेन्शन पानेवाली विधवा अथवा माता तथा ऐसे अन्य व्यक्तिकी पत्नी भी मताधिकार पानेकी अधिकारिणी हो सकती हैं, जो नियमानुसार मतदाता बननेकी योग्यता रखता है। जो महिला आर्डर-इन-कौंसिल द्वारा निर्धारित शिक्षा सम्बन्धी योग्यता रखती हैं वह भी मताधिकार पानेकी अधिकारिणी होंगी। परन्तु यह विधान कार्यान्वित होते समय पहलेपहल बननेवाले निर्वाचकोंकी सूचीमें तथा इससे तीन सालके अन्दर बननेवाली अन्य किसी सूचीमें शिक्षा सम्बन्धी योग्यतावाली बात लागू नहीं होगी।

जो व्यक्ति पिछले वर्ष म्युनिसिपल असेसमेंट बुकमें कलकत्तेमें किसी ऐसी जमीन या मकानके मालिक दिखाये गये हैं, जिसका

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

वैलुएशन असेसमेंटके लिये कमसे कम डेढ़ सौ रुपये सालाना ठहराया गया था, अथवा ऐसी जमीन या मकानके मालिक अथवा भाड़ेदार दर्ज हैं जिसका सालाना वैलुएशन कमसे कम तीन सौ रुपये है, और उन्होंने उस वर्ष उस जमीन या मकानके टैक्सका अपना हिस्सा चुका दिया है; जो व्यक्ति अपने नामपर सन् १९३३ ई० के कलकत्ता म्युनिसिपल एक्टके चैप्टर ११ या १२ के अनुसार उस वर्ष कमसे कम चौबीस रुपये टैक्स दे चुके हैं; जिस व्यक्तिके नामसे किसी जमीन या मकानके टैक्सकी वावत कमसे कम चौबीस रुपये अदायगी म्युनिसिपल असेसमेंट बुकमें दर्ज हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियोंकी पत्नी मताधिकार पानेकी अधिकारिणी होंगी।

कलकत्तेको छोड़कर बंगाल प्रान्तके किसी भी म्युनिसिपल एरियावाले निर्वाचन-क्षेत्रमें उस व्यक्तिकी स्त्री मतदाता हो सकती है, जो पिछले वर्ष कमसे कम डेढ़ रुपये म्युनिसिपल या कैण्टोनमेंट टैक्स दे चुका है। हवड़ा म्युनिसिपल एरियामें रहनेवाला जो नागरिक गत वर्ष कमसे कम तीन रुपये म्युनिसिपल टैक्स दे चुका है उसकी स्त्रीको भी मताधिकार प्राप्त होगा।

ग्रामीण निर्वाचन-क्षेत्रोंमें ऐसे लोगोंकी पत्नी निर्वाचक हो सकेंगी जो पिछले वर्षके लिये कमसे कम डेढ़ रुपये म्युनिसिपल-टैक्स या फीस अथवा कमसे कम एक रुपया रोड-सेस या कमसे कम दो रुपये चौकीदारी या यूनियन टैक्स दे चुके हैं।

किसी भी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रमें रिटायर्ड, पेन्शनयाफ्ता, डिस्चार्ज अफसर अथवा सम्राटकी रेगुलर-सेनाके नान-कमीशण्ड

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

अफसर या सैनिकके अलावा, ऐसे व्यक्तिकी स्त्री भी मताधिकार पानेकी अधिकारिणी होंगी, जिनपर पिछले साल इनकम टैक्स लगाया गया था या जो पिछले सालके समाप्त होनेके पहले तक "बंगाल मोटर वेहिकल्स एक्ट" के अनुसार कोई रकम उस सालके लिये टैक्सके रूपमें दे चुके हैं।

बिहार प्रान्त

बिहार प्रान्तमें मतदाता होनेके लिये जो अनेक प्रकारकी योग्यताएं निर्धारित की गयी हैं, वे इस प्रकार हैं :—

निवास सम्बन्धी योग्यता—

बिहार प्रान्तके टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रके मतदाताओंकी सूचीमें (Electoral Roll) वही आदमी अपना नाम दर्ज करानेका अधिकारी हो सकता है जो उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्तर्गत निवास करता है। निवाससे अभिप्राय यह है कि उस व्यक्तिका वहां घर हो और वह साधारणतः वहां रहता हो अथवा वहां उसका ऐसा घर हो जहां आकर वह किसी समय भी रह सकता है।

टैक्स सम्बन्धी योग्यता—

अन्य किसी नियमके अनुसार जो व्यक्ति मतदाता बननेके लिये अयोग्य नहीं है उसे यदि पिछले वर्ष इनकम टैक्स देना पड़ा था या कमसे कम डेढ़ रुपये म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ा था अथवा वर्तमान वर्षके लिये कमसे कम नौ आने चौकीदारी टैक्स लगाया गया हो तो वह टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रके (सन्ताल परगनाको छोड़कर) निर्वाचकोंकी सूचीमें अपना नाम दर्ज करा सकता है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

परन्तु पहले तीन वर्ष तकके लिये चौकीदारी टैक्स सम्बन्धी योग्यता नौ आनेके बदले बारह आने रहेगी।

सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता—

जमशेदपुरके नोटीफाइड एरियाके अन्दर जिस आदमीके कब्जेमें ऐसी जमीन या मकान है, जिसके लिये उसको कमसे कम चौबीस रुपये सालाना भाड़ा देना पड़ सकता है, वह वहांके टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें अपना नाम दर्ज करानेका अधिकारी होगा। जमशेदपुरके नोटीफाइड एरिया तथा ऐसे एरियाको छोड़कर जहां म्युनिसिपल टैक्स अथवा चौकीदारी टैक्स लगता है, प्रान्तके अन्य स्थानोंमें रहनेवाले वे लोग भी मताधिकार पानेके हकदार होंगे जिन्हें कमसे कम छः रुपये सालाना भाड़ा या कमसे कम तीन आने लोकल 'सेस' देना पढ़ता है। परन्तु सन्ताल परगनेमें पहले तीन सालतक छः रुपयेके बदले पांच रुपये सालाना भाड़ा देनेवाले भी मताधिकार प्राप्त कर सकेंगे और प्रथम तीन वर्षके बाद तो इस पांच रुपयेके स्थानपर साढ़े तीन रुपये देनेवाले भी मताधिकार प्राप्त कर सकेंगे।

शिक्षा सम्बन्धी योग्यता—

जो प्राप्तवयस्क व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटीकी मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास कर चुका है, अथवा आर्डर-इन-कौंसिलके अनुसार निश्चित होनेपर, कमसे कम मिडिल परीक्षा पास कर चुका है, तो ऐसा व्यक्ति भी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रके मतदाताओंकी सूचीमें अपना नाम दर्ज करा सकता है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सरकारी सर्विस—

जो व्यक्ति अन्य किसी नियमके अनुसार मताधिकार पानेके लिये अयोग्य नहीं है वह यदि रिटायर्ड, पेन्शनयाफ्ता या डिसचार्ज अफसर अथवा सम्राटकी रेगुलर सेनाका नान-कमीशण्ड अफसर अथवा सैनिक है, तो वह किसी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रके मतदाताओंकी सूचीमें अपना नाम दर्ज करानेका अधिकारी होगा।

स्त्रियोंके लिये अतिरिक्त योग्यता—

उपर्युक्त नियमोंके अलावा ऐसे व्यक्तियोंकी स्त्री भी किसी भी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रमें मताधिकार पानेकी अधिकारिणी होंगी, जो किसी अफसर या सम्राटकी रेगुलर-सेनाके नान-कमीशण्ड अफसर अथवा सिपाहीकी पेन्शन पानेवाली विधवा या माता हैं, अथवा जो स्त्री पूर्व निश्चयानुसार साक्षर है। परन्तु पहली वार इस विधानके अनुसार निर्वाचकोंकी सूची तैयार होते समय और उसके बाद भी तीन वर्ष तक, इस पैराग्राफमें वर्णित साक्षरतावाली शर्त लागू नहीं होगी।

ऐसे लोगोंकी स्त्री भी मताधिकार पानेकी अधिकारिणी होंगी—(१) जिनको पिछले वर्ष इनकमटैक्स लगा था (२) या जो रिटायर्ड, पेन्शनयाफ्ता, डिस्चार्ज अफसर या सम्राटकी रेगुलर-सेनाके नान-कमीशण्ड अफसर अथवा सिपाही हैं (३) या जिनको पिछले वर्ष प्रान्तमें कमसे कम कुल तीन रुपये म्युनिसिपल टैक्स लगाया गया था; (४) अथवा सन्ताल परगनाको छोड़कर प्रान्तमें और कहीं जिन्हें कमसे कम ढाई रुपये सालाना चौकीदारी टैक्स

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

देना पड़ता है; (५) या जिन व्यक्तिके कब्जेमें जमशेदपुरके नोटीफाइड एरियामें ऐसी जमीन या मकान है जिसके लिये उन्हें कमसे कम १४४) रुपये सालाना भाड़ा लगता है।

मुसलिम महिलाओंके प्रतिनिधिके निर्वाचनके लिये जो खास निर्वाचन-क्षेत्र कायम होगा उसमें कोई पुरुष वोट नहीं दे सकेगा।

संयुक्त प्रान्त

संयुक्त प्रान्तमें मताधिकार प्राप्त करनेके लिये जो साधारण योग्यता निर्धारित की गयी है वह इस प्रकार है :—

निवास सम्बन्धी योग्यता—

कोई ऐसा व्यक्ति किसी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें अपना नाम दर्ज करानेका अधिकारी नहीं समझा जायगा, जो उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्दर नहीं रहता है। निर्वाचन-क्षेत्रमें रहनेका अभिप्राय यह है कि वह उस एलाकेमें साधारणतः रहता हो अथवा वहां उसका ऐसा रहनेका मकान हो जिसमें आकर वह कभी-कभी रहता हो।

टैक्स सम्बन्धी योग्यता—

अन्य किसी नियमके अनुसार जो प्राप्तवयस्क व्यक्ति मताधिकार पानेके लिये अयोग्य नहीं है उसको यदि पिछले साल इनकम टैक्स लगाया गया था, अथवा यदि वह ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रके अन्दर रहनेवाला है जहां म्युनिसिपल टैक्स लगता है वहां यदि पिछले वर्ष उसपर कमसे कम डेढ़ सौ रुपये सालाना आमदनीपर म्युनिसिपल टैक्स बांधा गया था तो वह उस निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें नाम दर्ज करानेका अधिकारी होगा।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सम्पत्ति-सम्बन्धी योग्यता---

ऐसे व्यक्ति भी किसी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें नाम दर्ज करानेके अधिकारी होंगे, जो उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्दर ऐसे मकानके मालिक अथवा किरायेदार हैं, जिसका सालाना किराया कमसे कम चौबीस रुपये हो सकता है।

इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति भी किसी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें नाम दर्ज करानेके अधिकारी होंगे—

(क) जो उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्दर ऐसी जमीनके मालिक हैं, जिसके लिये कमसे कम पांच रुपये सालाना लगान देना पड़ता है; या

(ख) जो उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्दर ऐसी लाखिराज जमीनके मालिक हैं जिसका नाममात्रका लगान मान लेनेपर भी वह रकम अकेले अथवा उस व्यक्तिकी अन्य किसी जमीनके लगानकी रकमके साथ मिलकर कमसे कम पांच रुपये हो सकती है; या

(ग) जो व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्दर ऐसी जमीनका जोतने वाला असामी है जिसके लिये कमसे कम दस रुपये सालाना मालगुजारी देनी पड़ती है; या

(घ) जो व्यक्ति अवधमें ऐसी जमीनका अण्डर-प्रोप्राइटर है, जिसके लिये कमसे कम पांच रुपये सालाना मालगुजारी देनी पड़ती है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता—

ऐसा व्यक्ति भी किसी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें नाम दर्ज करानेका अधिकारी होगा, जो अपर-प्राइमरी परीक्षा या अपर-प्राइमरी परीक्षाके समकक्ष कोई परीक्षा पास कर चुका है।

सरकारी नौकरी—

ऐसे व्यक्ति भी किसी टेरिटोरियल निर्वाचन क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें अपना नाम दर्ज करानेके अधिकारी होंगे जो रिटायर्ड, पेन्शन-याफ्ता या डिसचार्ज अफसर अथवा सम्राटकी रेगुलर सेनाके नौनकमीशण्ड अफसर या सैनिक हैं।

शिल्पकार मतदाता—

कुमायूंकी हिलपट्टीके किसी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रमें किसी गांवका शिल्पकार भी मतदाता हो सकता है अगर उस गांवके शिल्पकार परिवार उसे अपना प्रतिनिधि चुनें।

स्त्रियोंके लिये अतिरिक्त योग्यता—

किसी टेरिटोरियल निर्वाचन क्षेत्रमें ऐसी स्त्री भी मतदाताओंको सूचीमें नाम दर्ज करानेकी अधिकारिणी होंगी, जो सम्राटकी रेगुलेर सेनाके अफसर, नौनकमीशण्ड अफसर या सैनिककी पेन्शनयाफ्ता विधवा या माता हैं, अथवा जो साक्षरताकी योग्यता रखती हैं, या जो ऐसे व्यक्तिकी पत्नी हैं, जिनको इस नियमके लिये योग्य माना गया है।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

उपर्युक्त नियमके अनुसार ऐसे लोगोंकी पत्नी मताधिकार प्राप्त कर सकेंगी—(१) जो उस निर्वाचन क्षेत्रके अन्दर ऐसे मकानका मालिक या भाड़ेदार हैं, जिसका सालाना भाड़ा कमसे कम छत्तीस रुपये हो सकता है ; (२) या जहां मकानका टैक्स नहीं लगता, ऐसे स्थानमें जिस व्यक्तिको पिछले वर्ष कमसे कम दोसौ रुपये सालाना आमदनीपर म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ा था ; (३) जो व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्रमें ऐसी जमीनका मालिक है. जिसके लिये कमसे कम पचीस रुपये सालाना लगान देना पड़ता है ; (४) जो व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्दर ऐसी लाखिराज जमीनका मालिक है जिसका नाममात्रका लगान मान लेनेपर भी वह रकम, अकेले या उस व्यक्तिकी अन्य किसी जमीनके लगानकी रकमके साथ मिलकर कमसे कम पचीस रुपये सालाना हो; (५) जो व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्दर जमीनका परमानेंट टेन्योर-होल्डर अथवा "आगरा टिनेन्सी एक्ट १९२६" के अनुसार निश्चित मालगुजारी देनेवाला आसामी है या "१८८६ के अवध रेंट एक्ट" के मुताबिक अण्डर-प्रोप्राइटर या दखील काश्तकार है और कमसे कम पचीस रुपये सालाना मालगुजारी देता है ; (६) जो व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्रके आसामीकी हैसियतसे इतनी जमीनका जोतनेवाला है जिसके लिये नकद या नाजके रूपमें कमसे कम पचास रुपये सालाना मालगुजारी देनी पड़ती है ; (७) जिस व्यक्तिको पिछले वर्ष इनकम-टैक्स लगाया गया था ; (८) जो व्यक्ति रिटायर्ड पेन्शनयाफ्ता या डिसचार्ज अफसर, नौनकमीशण्ड अफसर या सैनिक है ।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

वोटरके लिये आवेदनपत्र—

शिक्षा-सम्बन्धी योग्यताके अनुसार मतदाताओंकी सूचीमें तभी किसी व्यक्तिका नाम दर्ज किया जायगा जब वह इसके लिये स्वयं दरखास्त देगा या कोई दूसरा आदमी दरखास्त दे कि उसका नाम दर्ज किया जाना चाहिये। इस प्रकार साक्षरताकी योग्यता रखनेवाली या किसी मिलीटरी अफसर, नौनकमीशण्ड अफसर अथवा सैनिककी पेन्शन पानेवाली माता या पत्नी होनेके कारण या किसी रिटायर्ड, पेन्शनयाफ्ता या डिसचार्ज अफसर, नौनकमीशण्ड अफसर या सैनिककी पत्नी होनेके कारण मताधिकार पानेवाली स्त्रीका नाम भी किसी निर्वाचन क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें तभी दर्ज किया जायगा जब वह स्वयं इसके लिये आवेदन करेंगी या उनकी ओरसे कोई दूसरा व्यक्ति आवेदन करेगा कि उनका नाम दर्ज किया जाय। इस विधानके अनुसार कार्य आरम्भ होनेपर सर्वप्रथम बननेवाली निर्वाचकोंकी सूची या इसके तीन वर्षके अन्दर फिर बननेवाली दूसरी सूचीमें, अपने पतिकी योग्यताके कारण मताधिकार पानेकी अधिकारिणी किसी महिलाका नाम तभी दर्ज किया जायगा जब वह इसके लिये आवेदन-पत्र भेजेंगी।

मध्यप्रान्त-बरार

मध्यप्रान्तमें मतदाताओंके लिये निम्न लिखित साधारण योग्यताएं निर्धारित की गयी हैं और जिन लोगोंमें यह योग्यता होगी वही मतदाता हो सकेंगे।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

निवास सम्बन्धी योग्यता—

ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रसे वही व्यक्ति मतदाता हो सकेगा जिसका उस निर्वाचन क्षेत्रके अन्तर्गत निवास है। शहरवाले निर्वाचन क्षेत्र-से वही व्यक्ति मतदाता बननेका अधिकारी होगा जो उस निर्वाचन क्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत अथवा बससे दो मीलके अन्तर्गत किसी स्थानमें रहता है। निवाससे अभिप्राय यह है कि उस निर्वाचन क्षेत्रके अन्तर्गत पिछले वर्ष वह किसी मकानमें कमसे कम १८० दिन तक रह चुका हो अथवा उस निर्वाचन क्षेत्रके अन्तर्गत कमसे कम १८० दिन तक अपने रहनेके लिये उसने मकान ले रखा हो और उसे अपने आश्रितों अथवा नौकरोंके चार्जमें छोड़ गया हो और कभी-कभी उस वर्ष आकर उस मकानमें रह चुका हो।

टैक्स सम्बन्धी योग्यता—

अन्य किसी नियमके अनुसार यदि कोई प्राप्तवयस्क नागरिक वोटर बननेके लिये अयोग्य नहीं है तो उसको अगर पिछले वर्ष इन-कम टैक्स लगाया गया था अथवा वह ऐसी म्युनिसिपलिटीके अन्दर रहता था जहां हैसियत पर टैक्स लगता है और उसे कमसे कम पचीस रुपयेकी हैसियतपर म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ा था, तो ऐसा व्यक्ति टेरिटोरियल निर्वाचन क्षेत्रके वोटरोंमें अपना नाम दर्ज करानेका अधिकारी हो सकता है।

सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता—

अन्य किसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति मताधिकार पानेके लिये अयोग्य नहीं है तो वह निम्न लिखित अवस्थाओंमें किसी टेरिटोरियल

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें अपना नाम दर्ज करानेका अधिकारी हो सकता है :—

(क) अगर वह मध्यप्रान्तमें किसी ऐसे स्टेट या महालका मालिक अथवा ठेकेदार है, जिसका लगान अथवा कामिल-जमा दो रुपयेसे कम नहीं है; या

(ख) अगर मध्यप्रान्तमें ऐसी सिर जमीन या खुदकाश्तका मालिक या ठेकेदार अथवा मालिक-मकबुजा या रैयतकी हैसियतसे खुदकाश्त या सिर जमीन जोतता है जिसका लगान या जिसकी मालगुजारी कमसे कम दो रुपये है या हो सकती है; या

(ग) अगर बरारमें रैयतकी हैसियतसे ऐसी जमीन जोतता है, जिसका लगान दो रुपयेसे कम नहीं है; या

(घ) अगर मध्यप्रान्तके किसी शहर या कस्वेमें ऐसे मकान-का मालिक अथवा भाड़ेदार है, जिसका सालाना भाड़ा कमसे कम छः रुपयेसे कम नहीं हो; या

(ङ) अगर वतनदार पटेल या वतनदार पटवारीके ओहदेपर काम करता है या रजिस्टर्ड देशमुख, देश पंडिया अथवा लम्बरदार है।

शिक्षा सम्बन्धी योग्यता—

जो व्यक्ति और किसी प्रकार वोटर बननेके लिये अयोग्य नहीं है और ऐसी परीक्षा पास कर चुका है जिससे वह नागपुर यूनि-वर्सिटीकी उपाधि परीक्षाके लिये पढ़नेका अधिकारी है, अथवा ऐसी कोई परीक्षा पास कर चुका है जो इसके समकक्ष है, अथवा यदि आर्डर-इन-कौंसिल द्वारा निश्चय किया जाय तो कमसे कम फाइनल मिडल स्कूल परीक्षा पास किये हुए व्यक्तिको भी किसी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें नाम दर्ज करानेका अधिकार होगा।

इसके अलावा, बरारके निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंको सूचीमें नाम दर्ज करानेका अधिकार ऐसे व्यक्तिको भी होगा, जो हैदराबाद रियासतमें कोई ऐसी परीक्षा पास कर चुका है, जो उपर्युक्त शिक्षा-सम्बन्धी योग्यताके बराबर है।

सरकारी और निजाम सरकारकी नौकरी—

जो व्यक्ति और किसी प्रकार वोटर होनेके लिये अयोग्य नह है वह अगर सम्राटकी सेनाका रिटायर्ड, पेन्शनयाफ्ता या डिस-चार्ज किया हुआ अफसर या नौनकमीशण्ड अफसर अथवा सैनिक है तो किसी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें नाम दर्ज करानेका अधिकारी हो सकता है। इसी प्रकार निजाम हैदराबादकी रेगुलर सेनाके रिटायर्ड, पेन्शनयाफ्ता या डिसचार्ज किये हुए अफसर, नौनकमीशण्ड अफसर और सैनिक तथा हैद-राबाद रियासतके पुलिस विभागके रिटायर्ड, पेन्शनयाफ्ता, डिस-चार्ज किये हुए अफसर और सिपाही भी वोटर हो सकते हैं।

स्त्रियोंके लिये अतिरिक्त योग्यता—

अन्य किसी प्रकार अगर मताधिकार पानेके लिये अयोग्य न हों तो ऐसी स्त्रियां भी निर्वाचकोंमें अपना नाम दर्ज करानेकी अधि-कारिणी होंगी—

(क) जो स्त्री सम्राटकी रेगुलर सेनाके अफसर, नौनकमीशण्ड अफसर या सैनिककी पेन्शन पानेवाली विधवा पत्नी या पेन्शन पानेवाली विधवा माता हैं;

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

(ख) जो स्त्री साक्षर हैं या प्राइमरी स्कूल सार्टीफिकेट प्राप्त कर चुकी हैं ;

(ग) या ज़िस स्त्रोके पति ऐसी योग्यता रखते हैं कि नियमानुसार उनकी स्त्री मताधिकार पानेकी अधिकारिणी हो सकती हैं।

इसी प्रकार बरारके टेरिटोरियल निर्वाचन क्षेत्रमें ऐसी स्त्रियां भी मताधिकार प्राप्त कर सकती हैं जो निज़ाम हैदराबादकी रेगुलर सेनाके अफसर, नौनकमीशण्ड अफसर अथवा सैनिककी पेन्शन पानेवाली विधवा पत्नी अथवा पेन्शन पानेवाली विधवा माता या हैदरावाद रियासतकी पुलिसके अफसर या सिपाहीकी पेन्शन पानेवाली विधवा स्त्री या पेन्शन पानेवाली विधवा माता हैं।

दलित जातिका ऐसा व्यक्ति भी, जो अन्य किसी प्रकार मताधिकार पानेके लिये अयोग्य नहीं है, टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रमें वोटर हो सकता है, अगर वह कोतवार, जगलिया या गांवके महारके पदपर काम करता है।

शिक्षा-सम्बन्धी योग्यताके कारण जो लोग वोटर हो सकते हैं, अथवा अपने पतिकी योग्यताके कारण या सरकारी फौजके रिटायर्ड, पेन्शनयाफ्ता, डिसचार्ज किये हुए अफसर या नौनकमीशण्ड अफसर अथवा सैनिककी पेन्शन पानेवाली विधवा स्त्री या विधवा माता होनेके कारण जो स्त्रियां वोटर हो सकती हैं उनके सम्बन्धमें कहा गया है कि उनके नाम तभी किसी निर्वाचन-क्षेत्रके वोटरोंकी सूचीमें दर्ज किये जायंगे जब वे इसके लिये आवेदनपत्र भेजेंगी अथवा उनकी ओरसे दूसरा कोई दरखास्त देगा कि अमुक ऐसे व्यक्तिका नाम वोटरोंकी सूचीमें दर्ज किया जाय।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

न्याय विभाग

फेडरल कोर्ट

वर्तमान 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' के अनुसार फेडरल व्यवस्थापिका परिषद आदिकी अधिकार-सीमा यद्यपि निर्धारित कर दी गयो है परन्तु उनके किसी कार्यके सम्बन्धमें यदि यह सन्देह हो कि उन्होंने अपने अधिकारकी सीमाका अतिक्रम किया है, तो इसका निर्णय करनेके लिये—गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्टकी ठीक-ठीक व्याख्या करनेके लिये—ऐसी एक सर्वोच्च फेडरल अदालत कायम होनेकी जरूरत होगी ही। सच पूछा जाय तो जिन देशोंमें फेडरल ढंगकी शासन प्रणाली प्रचलित है, उन सभी देशोंमें फेडरल कोर्टको ऐसे विधानका एक अत्यावश्यक अंग माना गया है। यही बात वर्तमान फेडरल भारतीय शासन विधानके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। पार्लमेंटरी ज्वायंट कमेटीने भी नयी शासन-विधान-योजनापर विचार करते समय फेडरल अदालत कायम करनेकी जरूरत महसूस की और अपनी रिपोर्टमें लिखा कि "फेडरल अदालत तो फेडरल शासन विधानका एक अत्यावश्यक अंग है; एक ओर तो यह विधानकी व्याख्या करनेवाली और इसकी गार्जियन है, और साथ ही दूसरी ओर यह फेडरेशनके अन्तर्गत विभिन्न प्रान्त और देशी राज्योंके बीच खड़ा होनेवाले मामलेका फैसला करनेवाली अदालत भी है।" इसीलिये पार्लमेंटने जो "गवर्नमेंट आफ इण्डिया

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

एक्ट" पास किया है उसमें फेडरल अदालत कायम करनेकी भी व्यवस्था दी है और इसकी विभिन्न धाराओं द्वारा फेडरल अदालतके संघटन, इसके अधिकार तथा न्यायाधीशोंकी योग्यता और उनके कार्य-काल आदि भी निश्चित कर दिये हैं।

'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट'की धारा २०० में फेडरल अदालतके संघटनके सम्बन्धमें व्यवस्था देते हुए कहा गया है कि "फेडरल अदालतमें एक चीफ जस्टिस तथा उतने अन्य न्यायाधीश (जज) रहेंगे, जितनेको नियुक्त करना सम्राट आवश्यक समझेंगे, परन्तु जबतक फेडरल व्यवस्थापिका परिषद फेडरल कोर्टके न्यायाधीशोंकी संख्या बढ़ानेके हेतु सम्राटसे अनुरोध करनेके लिये गवर्नर-जनरलके पास सिफारिश नहीं करेगी तबतक न्यायाधीशोंकी संख्या छः से अधिक न होगी।

फेडरल अदालतके प्रत्येक जजको सम्राट ही नियुक्त करेंगे और वे पैंसठ वर्षकी अवस्था तक इस पदपर रह सकते हैं। परन्तु यदि कोई जज इससे पहले ही अपने पदसे इस्तीफा देकर अलग होना चाहेंगे, तो वे ऐसा कर सकेंगे। इसके अलावा, दुराचरण अथवा दिमाग खराब हो जानेके कारण, यदि प्रिवी कौंसिल सिफारिश करे तो, सम्राट ऐसे जजको न्यायाधीशके पदसे अलग कर सकते हैं।

फेडरल अदालतके न्यायाधीशकी योग्यताके सम्बन्धमें कहा गया है कि वही व्यक्ति फेडरल अदालतके न्यायाधीश नियुक्त किये जायंगे (क) जो पांच वर्षतक ब्रिटिश भारत अथवा फेडरेशनमें सम्मिलित देशी रियासतकी किसी अदालतमें जजका काम कर चुके हैं;

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

(ख) जो इङ्गलैण्ड या उत्तरी आयरलैंण्डके बैरिस्टर अथवा स्कौटलैण्डके एडवोकेटकी हैसियतसे कमसे कम दस वर्षतक प्रैक्टिस कर चुके हैं ;
(ग) जो ब्रिटिश भारत अथवा फेडरेशनमें सम्मिलित देशी राज्यकी किसी हाईकोर्ट या दो या उससे अधिक ऐसी अदालतमें मिलाकर कमसे कम दस वर्षतक वकालत कर चुके हैं। परन्तु चीफ जस्टिसकी नियुक्तिके सम्बन्धमें कहा गया है कि वही व्यक्ति इस पदपर नियुक्त किये जा सकते हैं जो बैरिस्टर, स्काटलैण्डके एडवोकेट अथवा हिन्दुस्तानी हाईकोर्टके वकील रहे हैं या जुडिशल विभागमें जज नियुक्त होनेके पूर्व बैरिस्टर, एडवोकेट अथवा ऐसे वकील थे और कमसे कम पन्द्रह वर्षतक प्रैक्टिस कर चुके हैं, अथवा इतने समयतक जुडिशल पदपर रह चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि आई० सी० एस० जज फेडरल अदालतके चीफ जस्टिसके पदपर नियुक्त नहीं किये जा सकते, यदि वे आई० सी० एस० होनेके साथ ही बैरिस्टर या एडवोकेट नहीं हैं।

फेडरल अदालत दिल्लीमें बैठेगी परन्तु गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति लेकर चीफ जस्टिस इसकी बैठक अन्य किसी स्थानमें भी कर सकेंगे। फेडरल अदालतको तीन प्रकारके मामलोंपर विचार करनेका अधिकार रहेगा :—(१) ऐसे मामले, जो वहीं पहले पहल दायर होंगे (२) ब्रिटिश भारतकी हाईकोर्टोंके फैसलेके विरुद्ध अपील और (३) फेडरेशनमें सम्मिलित देशी राज्यकी हाईकोर्टों के फैसलेके विरुद्ध होनेवाली अपील।

पहले पहल फेडरल अदालतमें ही कौनसे मामले दायर हो सकते हैं और इस प्रकारके मामलेपर विचार करनेका फेडरल अदालतको

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

कहांतक अधिकार (Original Jurisdiction) रहेगा, इसकी व्याख्या करते हुए "गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट" की धारा २०४ में कहा गया है कि फेडरेशन, ब्रिटिश भारतके किसी प्रान्त अथवा फेडरेशनमें सम्मिलित देशी राज्यके बीच उठनेवाले ऐसे मामलेपर फेडरल अदालतमें ही विचार हो सकता है जिसका सम्बन्ध ऐसे प्रश्नसे है, जिसपर कानूनी अधिकारका अस्तित्व निर्भर करता है; परन्तु किसी देशी राज्यसे सम्बन्ध रखनेवाले सिर्फ ऐसे ही मामलेपर विचार करनेका इसे अधिकार होगा, जिसका सम्बन्ध इस एक्ट अथवा "आर्डर-इन-कौंसिल" की व्याख्या या ऐसे शासन विषयक या कानून बनाने-सम्बन्धी अधिकारसे है, जो उस राज्य द्वारा, फेडरेशनमें सम्मिलित होनेके समय फेडरेशनको दिये जा चुके हैं, अथवा फेडरेशन कायम हो जानेके पश्चात् एग्रीमेंटके जरिये, सम्राटके प्रतिनिधिकी स्वीकृतिसे जो अधिकार किसी देशी राज्यने फेडरेशनको दे रखे हैं उनके सम्बन्धमें खड़ा होनेवाले किसी मामलेपर विचार करनेका भी—फेडरल कोर्टको अधिकार होगा।

विधानकी २०५ वीं धारामें फेडरल अदालतमें, हाईकोर्टके फैसलेके विरुद्ध दायर होनेवाली अपीलपर विचार करनेके अधिकारके सम्बन्धमें व्यवस्था दी गयी है। विधानकी इस धारामें कहा गया है कि—(१) ब्रिटिश भारतकी किसी हाईकोर्टके फैसला, डिग्री या फाइनल आर्डरके खिलाफ फेडरल कोर्टमें अपील दायर हो सकती है, यदि हाईकोर्ट यह सर्टीफाई करे कि इस मामलेका सम्बन्ध 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट' या इसके अनुसार जारी किये गये किसी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

'आर्डर-इन-कौंसिल' के मतलबकी व्याख्यासे है। इसके साथ ही हाईकोर्टका यह भी कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक मामलेमें इस बातपर विचार करे कि सचमुच इसमें 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट' या 'आर्डर-इन-कौंसिल'की व्याख्याका प्रश्न उठता है या नहीं। किसी मामलेमें फेडरल अदालतमें अपील करनेके लिये सर्टीफाई करने या न करनेका निर्णय इसी आधारपर किया जाना चाहिये। (२) जिस मामलेमें हाईकोर्ट इस प्रकारका सार्टीफिकेट दे दे, उसमें इस आधार-पर मामलेके दोनों फरीकमेंसे कोई फरीक भी फेडरल अदालतमें अपील दायर कर सकता है कि 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट' या 'आर्डर-इन-कौंसिल' को मद्देनजर रखते हुए गलत फैसला दिया गया है........।

इस विधानकी २०६ धारामें कहा गया है कि फेडरल व्यवस्था-पिका परिषद् कानून पास करके यह व्यवस्था जारी कर सकती है कि खास-खास ढङ्गके दीवानी मामलेके सम्बन्धमें बिना उपर्युक्त प्रकारके सार्टीफिकेटके भी हाईकोर्टके फैसलेके खिलाफ फेडरल कोर्ट-में अपील हो सकती है। परन्तु ऐसे 'एक्ट' के अनुसार किसी ऐसे मामलेके फैसलेके खिलाफ फेडरल अदालतमें अपील दायर नहीं हो सकेगी, जिसमें पहले-पहल मामला दायर होते समय नीचेकी अदा-लतमें पचास हजारसे कमका दावा किया गया था, या जिस मामलेमें अपीलके समयतक पन्द्रह हजारसे कमका दावा रह गया है। ऐसे मामलेमें अपील दायर करनेके लिये फेडरल कोर्टसे विशेष अनुमति लेनी होगी।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

इसी प्रकार फेडरेशनमें सम्मिलित देशी राज्यकी हाईकोर्टके फैसलेके विरुद्ध भी इस आधारपर फेडरल कोर्टमें अपील हो सकती है कि कानून सम्बन्धी प्रश्नका गलत फैसला दिया गया है, या वह मामला ऐसा हो, जिसका सम्बन्ध "गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट" अथवा 'आर्डर-इन-कौंसिल' की व्याख्यासे है, अथवा मामलेका सम्वन्ध ऐसे कानून या शासन सम्बन्धी प्रश्नसे है, जिसके विषयमें देशी रियासतने 'इन्सट्रूमेण्ट आफ एक्सेशन' के मुताविक फेडरेशन-को अधिकार दे रखा है।

फेडरल कोर्टके फैसलेके विरुद्ध प्रिवी कौंसिलमें अपील करनेका अधिकार 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट' की धारा २०८ में दिया गया है। इस धारामें कहा गया है कि फेडरल कोर्टके उन फैसलोंके विरुद्ध प्रिवी कौंसिलमें अपील हो सकती है, जिनका सम्बन्ध 'एक्ट' की अथवा 'आर्डर-इन-कौंसिल' की व्याख्यासे है, या जो फैसला फेडरेशनको देशी राज्यसे 'इन्सट्रूमेण्ट आफ एक्सेशन' द्वारा मिले हुए कानूनी या शासन विषयक अधिकारसे सम्वन्ध रखनेवाले मामलेमें दिया गया है। इनके अलावा, अन्य प्रकारके मामलोंके फैसलेके खिलाफ प्रिवी कौंसिलमें अपील करनेके लिये पहले फेडरल कोर्ट या कौंसिलयुक्त सम्राटसे अनुमति ले लेनी जरूरी होगी।

विधानकी २१० वीं धारामें कहा गया है कि सारे फेडरेशनके सभी सिविल और जुडिशल विभागके अधिकारियोंके लिये इस प्रकार कार्य करना लाजिमी होगा, जिससे फेडरल कोर्टको कार्य-संचालनमें सहायता मिले। ब्रिटिश भारत तथा फेडरेशनमें सम्मिलित देशी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

राज्योंके किसी भी आदमीके हाजिर करने या किसी कागजातको खोज निकालने और कोर्टमें दाखिल करनेके लिये हुक्म जारी करनेका फेडरल कोर्टको अधिकार होगा; साथ ही अदालतके अपमान सम्बन्धी मामलेकी जांच करने और ऐसे मामलेमें सजा देनेका भी उसे उसी प्रकार अधिकार होगा, जिस प्रकार किसी हाईकोर्टको अपने इलाकेके अन्दर है। फेडरल कोर्टके ऐसे फैसलेको ब्रिटिश भारतके सभी स्थानोंकी अदालतों तथा अधिकारियोंको उसी प्रकार कार्यान्वित करना होगा, जिस प्रकार दीवानी और फौजदारी मामलोंमें सबसे ऊंची अदालतके फैसलेको कार्यान्वित करनेके लिये वे वाध्य हैं।

फेडरल कोर्टकी घोषणा और प्रिवी कौंसिलका फैसला माननेके लिये समस्त ब्रिटिश भारतकी अदालतें तो वाध्य होंगी ही, परन्तु जिन विषयोंके सम्बन्धमें फेडरेशनमें सम्मिलित होनेवाले देशी राज्यने फेडरेशनको अधिकार दे रखा है, उनके सम्बन्धमें दिये गये फैसलेको माननेके लिये उन देशी राज्यकी सभी अदालतें भी वाध्य होंगी। यह बात 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की धारा २१२ में स्पष्ट कर दी गयी है।

दफा २१३ के अनुसार गवर्नर-जनरलको यह अधिकार दिया गया है कि किसी समय उनको यदि यह मालूम हो कि कोई ऐसा कानूनी प्रश्न उपस्थित हो गया है या उपस्थित होनेवाला है, जो ऐसे सार्वजनिक महत्वका प्रश्न है कि इसपर अदालतकी राय ले लेनी चाहिये, तो वे फेडरल कोर्टसे इस सम्बन्धमें उसकी राय मांग सकते

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

हैं। ऐसी अवस्थामें फेडरल कोर्ट ऐसे प्रश्नपर विचार करके गवर्नर-जनरलको अपनी राय सूचित करेगी। परन्तु खुली अदालतमें इस प्रश्नपर वह जब विचार करेगी और उसके बाद बहुमतसे जो फैसला करेगी, उसके अनुसार ही वह गवर्नर-जनरलके पास अपनी राय लिख भेजेगी।

विधानकी दफा २१४ के अनुसार फेडरल कोर्टको अधिकार दिया गया है कि वह समय-समयपर गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति लेकर अदालतकी कार्यवाही तथा अदालतमें वकालत करनेवाले लोगोंकी कार्यवाही, अदालतमें अपील दायर करनेकी अवधि तथा अपीलकी सुनवाईके लिये बेंच कायम करने और अनेक ऐसे ही अन्य प्रश्नोंके सम्बन्धमें नियम बनाया करेगी।

इसी धारामें यह भी कहा गया है कि फेडरल कोर्ट, खुली कोर्टमें ही कोई फैसला सुना सकती है और हरेक फैसला उस मामलेपर विचार करनेवाले न्यायाधीशोंके बहुमतसे ही सुनाया जायगा, परन्तु जो न्यायाधीश बहुमत फैसलेसे सहमत न होंगे, उनको भी अलग फैसला लिखकर अपना मत प्रकट करनेका अधिकार होगा। इसी धारामें यह भी कह दिया गया है कि फेडरल कोर्टकी सारी काररवाई अंग्रेजी भाषामें होगी।

फेडरल अदालतके सारे खर्च—जिनमें अफसरोंके वेतन, एलाउएन्स और पेन्शन आदि भी सम्मिलित हैं—फेडरेशनके रेवन्यूसे दिया जाया करेगा तथा फेडरल अदालतमें जो फीस या अन्य प्रकारसे आमदनी होगी उसको फेडरेशनके रेवन्यूका ही अंश समझा जायगा।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

ब्रिटिश भारतकी हाईकोर्ट

समस्त ब्रिटिश भारत और फेडरेशनमें सम्मिलित देशी राज्योंके लिये हिन्दुस्तानमें सबसे बड़ी अदालत 'फेडरल कोर्ट' ही होगी, यह तो ऊपरके वर्णनसे स्पष्ट हो चुका है, परन्तु प्रान्तीय अदालतोंमें सबसे ऊंचा स्थान, इस 'एक्ट' के कार्यान्वित होनेके पहलेकी भांति हाईकोर्ट का ही रहेगा। ब्रिटिश भारतकी कौन-कौनसी अदालतें इस 'एक्ट' के अनुसार हाईकोर्ट समझी जायंगी, इसका वर्णन 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की २१९ वीं धारामें किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद, लाहोर और पटनाकी हाईकोर्टों तथा अवधकी चीफ कोर्ट और मध्यप्रान्त-बरार, सिन्ध और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके जुडिशल कमिश्नरकी अदालतें इस 'एक्ट'की दृष्टिमें हाईकोर्ट समझी जायंगी। इसके साथ ही ब्रिटिश भारतकी अन्य कोई अदालत यदि हाईकोर्ट के रूपमें संगठित या पुनर्संगठित हों, तो वे भी इस विधानकी दृष्टिमें हाईकोर्ट मानी जायंगी। इसी प्रकारकी अन्य किसी अदालतको भी कौंसिलयुक्त सम्राट हाईकोर्ट घोषित कर सकते हैं। यहां यह उल्लेख करना अप्रासङ्गिक न होगा कि इस 'एक्ट' के पास होनेके बाद मध्यप्रान्तके लिये नागपुरमें हाईकोर्ट कायम हो चुकी है।

वर्तमान "गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट" पास होनेके पहले तक कलकत्ता हाईकोर्ट मुख्यतः भारत सरकारके निरीक्षणमें थी और अन्य हाईकोर्ट प्रान्तीय सरकारोंकी देखरेखमें; परन्तु पार्लमेंटरी ज्वायण्ट कमेटीने, नया विधान पास होनेके पहले इस बातकी सिफारिश की थी कि अन्य प्रान्तकी हाईकोर्टोंका उन प्रान्तोंकी

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सरकारके साथ जो सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध कलकत्ता हाईकोर्ट और बंगाल सरकारके बीच रहना चाहिये। इस सिफारिशको स्वीकार करके नये 'एक्ट' के विधायकोंने इसके अनुकूल इसमें व्यवस्था रखी है।

'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' में कहा गया है कि प्रत्येक हाईकोर्टमें एक चीफ जस्टिस और अन्य कई जज रहेंगे, जिनकी नियुक्ति आवश्यकतानुसार समय-समयपर सम्राट किया करेंगे। इसके दो परिणाम होंगे—एक तो यह है कि नये विधानके कार्यान्वित होनेके पहले तक जो यह नियम रहा है कि हाईकोर्टके जजोंकी संख्यामेंसे एक-तिहाई तो इङ्गलैण्डके बैरिस्टर या स्काटलैण्डके एडवोकेट होंगे और एक-तिहाई संख्या सिवीलियन (आई० सी० एस०) जजोंकी होगी, नये विधानके अनुसार कार्यारम्भ होनेपर यह नियम लागू नहीं होगा। दूसरा परिणाम यह होगा कि इस विधानके कार्यान्वित होनेके पहले तक जहां यह नियम था कि कोई सिवीलियन (आई० सी० एस०) चीफ जस्टिसके पदपर स्थायी रूपसे नहीं नियुक्त हो सकता है, अब वह बन्धन नहीं रह जायगा।

हाईकोर्टके प्रत्येक स्थायी जजकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जायगी और वे साठ वर्षकी अवस्था तक इस पदपर रह सकते हैं। इसके पहले भी वे स्वेच्छासे इस पदसे इस्तीफा देकर अलग हो सकते हैं अथवा दुराचरण या शारीरिक अथवा मानसिक कमज़ोरी के कारण यदि प्रिवी-कौंसिलके परामर्शसे सम्राट किसी जजको इस पदसे हटाना चाहेंगे तो वे उन्हें हटा सकेंगे।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

हाईकोर्टके जजोंकी योग्यताके सम्बन्धमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा आदमी हाईकोर्टका जज नियुक्त नहीं किया जा सकता है (१) जो इङ्गलैण्ड या उत्तरी आयरलैण्डके बैरिस्टर अथवा स्काटलैण्डके एडवोकेटकी हैसियतसे कमसे कम दस वर्ष तक प्रैक्टिस न कर चुका हो; (२) या जो दस वर्षतक काम किया हुआ इण्डियन सिविल सर्विसका आदमी कमसे कम तीन वर्ष तक जिला-जज न रह चुका हो या जिला-जजके अधिकारोंका उपयोग न कर चुका हो; अथवा (३) जो व्यक्ति कमसे कम पांच वर्षतक ब्रिटिश भारतमें कमसे कम सबोर्डिनेट जज या स्मौल-कौज कोर्टके जजकी हैसियतसे काम न कर चुका हो; अथवा (४) जो व्यक्ति किसी एक या दो अथवा इससे अधिक हाईकोर्टोंमें कमसे कम दस वर्ष तक वकालत न कर चुका हो।

बैरिस्टर, स्काटलैण्डके एडवोकेट और हाईकोर्टके वकीलको छोड़कर अन्य किसी जुडिशल अफसरको तबतक किसी हाईकोर्टके चीफ जस्टिसके पदपर नियुक्त नहीं किया जा सकता जबतक वे कमसे कम तीन वर्षतक हाईकोर्टके जजके पदपर काम न कर चुके हों।

नये विधानके अनुसार भी हाईकोर्टोंके वर्तमान अधिकार-क्षेत्र (Jurisdiction) को कायम रखा गया है। प्रत्येक हाईकोर्टको ब्रिटिश भारतकी अदालतोंके निरीक्षणका अधिकार रहेगा और वे मातहत अदालतोंसे (१) कार्यकी रिपोर्ट तलब कर सकती हैं; (२) इन अदालतोंकी काररवाईको रेगुलेट करनेके लिये साधारण

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

नियम जारी कर सकती हैं; (३) इन अदालतोंके अफसरोंको, इनके हिसाब-किताबको कैसे रखना चाहिये, इसका फार्म निश्चित कर दे सकती हैं; और (४) शेरीफ, अटर्नी, क्लर्क और कोर्टके अफसरोंकी फीस निर्धारित कर सकती हैं।

विधानकी २२५ वीं धाराके अनुसार हाईकोर्टको यह अधिकार दिया गया है कि, मातहत अदालतमें विचाराधीन किसी मामलेमें यदि किसी फेडरल या प्रान्तीय कानूनके जायज या नाजायज होनेका प्रश्न उपस्थित हो तो हाईकोर्ट इस मामलेपर स्वयं विचार करनेके लिये उस मामलेको मातहत अदालतसे अपने यहां मंगवा ले सकती है। ऐसे मामलेका सम्बन्ध यदि 'फेडरल एक्ट' से हो तो फेडरेशनके एडवोकेट-जनरल अथवा यदि इसका सम्बन्ध प्रान्तीय कानूनसे हो तो फेडरेशन या प्रान्तके एडवोकेट-जनरलमेंसे कोई भी मामलेके ट्रान्सफरके लिये हाईकोर्टमें दरखास्त दे सकते हैं।

छोटी अदालतें

मातहत अदालतोंके सम्बन्धमें नये विधानमें यह व्यवस्था की गयी है कि किसी प्रान्तके जिला-जजकी नियुक्ति, पोस्टिंग और तरक्की आदिका अधिकार प्रान्तीय गवर्नरको होगा। इस अधिकारका उपयोग वे अपनी विवेक-बुद्धिसे ही करेंगे। परन्तु गवर्नरके पास किसी व्यक्तिकी नियुक्तिकी सिफारिश किये जानेके पहले हाईकोर्टका परामर्श ले लिया जायगा। जो व्यक्ति पहलेसे सम्राटकी सर्विसमें नहीं हैं तो वे उसी अवस्थामें जिला-जजके पदपर नियुक्त किये जा सकेंगे, यदि वे कमसे कम पांच वर्षतक बैरिस्टर या स्काटलैण्डके

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

एडवोकेट या हाईकोर्टके वकीलकी हैसियतसे वकालत कर चुके हों और हाईकोर्टने उनकी नियुक्तिके लिये सिफारिश की हो। जिला-जजकी परिभाषाके अन्तर्गत ही स्मौल-कौज कोर्टके चीफ जज और चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त और संयुक्त जिला-जज तथा अतिरिक्त और एसिस्टेण्ट दौरा-जजको भी माना गया है।

परन्तु जिला-जजसे नीचे ओहदेवाले न्यायाधीशके सम्बन्धमें नये विधानकी २५५ और २५६ वीं धारामें यह व्यवस्था दी गयी है कि गवर्नर, हाईकोर्ट तथा प्रान्तीय पब्लिक सर्विस कमीशनका परामर्श लेकर इस सर्विसके उम्मेदवारकी योग्यताके स्टैण्डर्डके सम्बन्धमें नियम बनायंगे। गवर्नर यदि आवश्यक समझेंगे तो, प्रान्तीय पब्लिक सर्विस कमीशन उम्मेदवारोंकी परीक्षा लेकर जिन लोगोंको वह सबोर्डिनेट जुडिशल सर्विसके लिये योग्य समझेगा उनकी एक सूची तैयार करेगा। इस सूचीमें जिन लोगोंके नाम होंगे, गवर्नर उन्हींमें से इस सर्विसके लिये नियुक्त करेंगे। गवर्नर इस सम्बन्धमें भी नियम बनायंगें कि प्रान्तीय सबोर्डिनेट सर्विस तथा जुडिशल सर्विसमें किस जाति या सम्प्रदायके कितने आदमी लिये जायंगे और उपर्युक्त नियुक्तिके समय इस नियमको ध्यानमें रखेंगे। इस प्रकार नये विधानके अनुसार प्रान्तीय जुडिशल सर्विसमें भी साम्प्रदायिक आधारपर नौकरीके बंटवारेके सिद्धान्तको स्थान दिया गया है।

जिला-जजसे नीचेके ओहदेवाले जुडिशल सर्विसके हाकिमोंकी तरक्की, तबादला और छुट्टी मंजूर करनेका अधिकार हाईकोर्टको रहेगा।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

भारतमंत्री और इण्डिया कौंसिल

सिविल सर्विस—डिफेन्स

ब्रिटिश शासन-विधानका यह एक सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि "राजा कोई गलती नहीं कर सकते।" इसका कारण यह है कि राज-शासनके सम्बन्धमें सम्राटका जो भी कार्य होता है, उसके लिये कोई-न-कोई मिनिस्टर जिम्मेवार रहता है। मिनिस्टरकी सलाहसे और उन्हींके द्वारा सम्राट अपने अधिकारोंका उपयोग करते हैं।

भारतके सम्बन्धमें भी सम्राटके जो अधिकार हैं, उनका उपयोग करनेके लिये भारतमन्त्री ही उनके जिम्मेवार एजेण्ट हैं। इसलिये नये विधानके अनुसार गवर्नर-जनरल तथा प्रान्तीय गवर्नरोंको जो अपने विशेष उत्तरदायित्वके पालनके लिये अपने विवेकसे काम लेनेका विशेषाधिकार दिया गया है, इसके अनुसार वे जो भी कार्य करेंगे, उसके लिये वे भारतमन्त्रीके ही सामने उत्तरदायी होंगे। भारतमन्त्रीका पद ब्रिटिश मंत्रियोंमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है और भारतमंत्री हमेशा ब्रिटिश मंत्रिमण्डलकी अन्तरंग सभाके (British Cabinet) सदस्य होते हैं तथा अपने कार्योंके लिये वे ब्रिटिश पार्लमेंटके सामने उत्तरदायी रहते हैं।

इण्डिया कौंसिल

सम्राटके एजेंटकी हैसियतसे भारतमंत्रीको जो अधिकार मिला हुआ है उसके अतिरिक्त उन्हें और भी कुछ ऐसे अधिकार मिले हुए

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

हैं जो ईस्ट इण्डिया कम्पनीके शासन-कालमें ईस्ट इण्डिया कम्पनीके डाइरेक्टरों तथा 'कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्स' को प्राप्त थे। इनमेंसे कुछ अधिकारोंका उपयोग करनेके लिये उन्हें 'इण्डिया कौंसिल' की सलाह लेनी पड़ती थी। भारतमंत्रीको सलाह देनेके लिये पार्लमेंटके स्टैट्यूट द्वारा 'इण्डिया कौंसिल' कायम की गयी थी। इसके संघटनके सम्बन्धमें यह व्यवस्था थी कि 'इण्डिया कौंसिल' के सदस्योंमें भारत-मंत्रीके अलावा कमसे कम आठ और ज्यादासे ज्यादा बारह सदस्य रहेंगे, जिनमेंसे कमसे कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिये जो दस वर्ष अथवा इससे भी ज्यादा समयतक भारतमें सरकारी नौकरी कर चुके हों, अथवा इतने समयतक यहां रह चुके हों। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारतमंत्रीके कुछ अधिकार तो ऐसे थे, जिनका उपयोग वे 'इण्डिया कौंसिल'का परामर्श लिये बिना भी कर सकते थे, परन्तु अनेक अधिकार ऐसे थे जिनका उपयोग वे 'इण्डिया कौंसिल'का परामर्श लेकर ही कर सकते थे और जिन अधिकारोंका उपयोग करनेके लिये 'इण्डिया कौंसिलका' निर्णय माननेके लिये भारतमंत्री वाध्य थे उन प्रश्नोंका निर्णय कौंसिलके उपस्थित सदस्योंके बहुमत द्वारा होता था। यह अधिकार विशेषतः फिनैन्स-सम्बन्धी था। परन्तु नये भारतीय शासन-सुधार द्वारा फिनैन्स विभाग भी आंशिक रूपमें फेडरल मिनिस्टरके हाथोंमें रहेगा; इसलिये नये विधान द्वारा 'इण्डिया कौंसिल' को उठा देनेका निश्चय किया गया है। परन्तु एक ओर जहां इस प्रकारका निर्णय किया गया है वहां दूसरी ओर इसमें यह भी व्यवस्था की गयी है कि

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

भारतीय शासन-सम्बन्धी प्रश्नोंपर सलाह लेनेके लिये भारतमंत्री कमसे कम तीन और अधिकसे अधिक छः सदस्योंको अपना परामर्शदाता नियुक्त करेंगे। इन परामर्शदाताओंसे वे किसी प्रश्नपर सामूहिक रूपमें सलाह लेंगे या अलग-अलग, अथवा किसी प्रश्नपर उनसे सलाह लेंगे ही नहीं, यह भारतमंत्रीकी इच्छापर ही निर्भर रहेगा। भारतमंत्रीके परामर्शदाता पांच वर्षके लिये नियुक्त किये जायंगे। एक बार पांच वर्षतक भारतमंत्रीके परामर्शदाताके पदपर काम कर चुकनेके बाद फिर वही व्यक्ति दुबारा इस पदपर नियुक्त नहीं किये जा सकते।

सिविल सर्विस

भारतीय शासन-सुधारकी जब कभी चर्चा आरम्भ होती है तो सिविलसर्विसवालोंको खास तौरपर चिन्ता होने लगती है, और भारतीयोंका तो यह विश्वास है कि इसमें इनकी ओरसे बाधा उपस्थित की जाती है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। वे जानते हैं कि भारतवासियोंके हाथमें शासनाधिकार आ जानेपर उनकी सर्विसपर यद्यपि कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, परन्तु उनका वैसा प्रभाव नहीं रह जायगा जैसा 'नौकरशाही' शासनके समयमें रहा है। इसलिये नये शासन-सुधारपर विचार होते समय सिविल सर्विस-वालोंने जो चिन्ता प्रकट की थी, इसपर किसीको आश्चर्य नहीं हुआ। परन्तु नये विधान द्वारा ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जिससे सिविल सर्विसवालोंको सर्विसपर कोई प्रभाव पड़ता हो।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

सन् १९३५ ई०का "गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट" पास होनेके पहले इण्डियन सिविल सर्विस, इण्डियन मेडिकल सर्विस और इण्डियन पुलिस सर्विसवालोंकी नियुक्ति कौंसिलयुक्त भारतमंत्रीके हाथोंमें थी और अब भी यह भारतमंत्रीके हाथोंमें ही रहेगी। गवर्नर-जनरलको इस नये विधान द्वारा जिन उत्तरदायित्वके सम्बन्धमें अपने विवेकसे काम लेनेका अधिकार दिया गया है उन कार्योंको पूरा करनेमें उन्हें यदि कुछ अफसरोंके सहयोगको आवश्यकता होगी, तो ऐसे सिविल अफसरोंको नियुक्त करनेका अधिकार भी भारतमंत्रीको ही रहेगा। 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट' की धारा २४७ के अनुसार उन अफसरोंकी सर्विसकी शर्तोंको ठीक करनेका अधिकार भी भारतमंत्रीको ही दिया गया है, जिनको वे नियुक्त करेंगे। इसी धारामें यह भी कहा गया है कि भारतमंत्री द्वारा नियुक्त किये गये सिविल सर्विसवालोंकी पेन्शन भारतीय फेडरेशनके रेवेन्यूसे दी जायगी। इससे यह प्रकट है कि इण्डियन सिविल सर्विसवालोंकी पेन्शनकी रकमकी जो मांग बजटमें रखी जायगी उसपर व्यवस्थापिका परिषद्के सदस्योंको वोट देनेका अधिकार नहीं रहेगा।

इसके अलावा, गवर्नर-जनरलको भी इस बातके लिये विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि पब्लिक सर्विसमें जो लोग अभीतक हैं या पहले रहे हैं, उनके आश्रितोंको यदि इस 'एक्ट' द्वारा कोई अधिकार दिये गये हैं या उनके लिये अधिकार सुरक्षित रखे गये हैं, तो गवर्नर-जनरल उनको यह अधिकार दिलायेंगे

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

और उनके न्यायोचित स्वार्थोंकी रक्षा करेंगे। अपने इस उत्तरदायित्वके पालनमें गवनर-जनरलको अपने विवेकसे काम लेनेका अधिकार दिया गया है। इस अधिकारका उपयोग करते समय उन्हें भारतमंत्रीके आदेशका पालन करना होगा। नये शासन-विधानमें साफ शब्दोंमें यह भी कहा गया है कि इण्डियन सिविल सर्विसवालोंकी पेन्शनकी रकमके लिये अगर बजटमें रुपये न मिलें तो भारतमंत्रीको यह अधिकार रहेगा कि वे यदि आवश्यक समझेंगे तो गवर्नर-जनरलको इस कामके लिये रुपये देनेके हेतु भारतके रेवन्यूकी सिक्योरिटीपर लन्दनमें कर्ज ले सकते हैं।

डिफेन्स सर्विस

नये "गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट" में भारत-रक्षा या 'डिफेन्स सर्विस' के सम्बन्धमें कहा गया है कि पहलेकी भांति अब भी कमाण्डर-इन-चीफ (जंगी लाट) को सम्राट नियुक्त करेंगे और भारतीय सेनाके अफसरोंको सम्राट ही अथवा उनकी ओरसे अधिकारप्राप्त अधिकारी उनके नामपर कमीशन ग्रैंट करेंगे। कमीशन उसी व्यक्तिको ग्रैंट किया जायगा जो बाकायदा भारतीय सेनामें भर्ती हो चुका है।

सेना-विभागके सम्बन्धमें भारतीय राजनीतिज्ञोंमें इस बातपर तो कुछ मतभेद रहा है कि इस विभागको पूर्ण रूपसे भारतीय मिनिस्टरोंके हाथमें दे दिया जाय, परन्तु सेना-विभागके खर्चको काफी घटाने और सेनाके भारतीयकरणके सम्बन्धमें तो प्रायः सभी विचारवाले भारतीय राजनीतिज्ञोंका एक ही मत रहा है। फिर भी वर्तमान 'एक्ट' में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे यह आशा की जा सके कि सेना-विभागका शीघ्र भारतीयकरण हो सकेगा

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

और इस विभागके खर्चमें काफी कमी की जा सकेगी। इस 'एक्ट' में कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि किसी निश्चित अवधिके अन्दर सेना-विभागका पूर्णरूपसे भारतीयकरण हो जायगा। पार्लमेंटरी ज्वायण्ट सेलेक्ट कमेटीके सामने कहा गया था कि गवर्नर-जनरलको सम्राटकी ओरसे जो आदेश (Instrument of Instructions) दिया जायगा उसमें यह बात स्पष्ट कर दी जायगी कि, जहांतक सम्भव हो, भारत-रक्षाका भार भारतवासियोंपर रहना चाहिये, न कि ब्रिटेनपर। सेनाके भारतीयकरणके सिद्धान्तको यद्यपि स्वीकार कर लिया गया है, किन्तु इस सिद्धान्तको कार्यान्वित करनेके लिये सन् १९३१ ई० में जो योजना तैयार की गयी और जिसके अनुसार काम शुरू हुआ उससे भारतवासियोंको भारी असन्तोष ही रहा। इस योजनाके अनुसार एक कैवेलरी (अश्वारोही) ब्रिगेड तथा एक इनफैण्टरी (पैदल सैन्य) डिवीजनका भारतीयकरण होना निश्चित हुआ। परन्तु भारतीयकरणकी प्रगति ऐसी धीमी है कि इससे पूर्णरूपसे सेनाके भारतीयकरणकी कल्पना करना भी कठिन है।

मिलिटरी सर्विसकी शर्तें आदि स्थिर करना अब भी भारत-मंत्रीके ही अधिकारमें रहेगा और वे अपने परामर्शदाताओंकी सलाहसे इन शर्तोंको स्थिर किया करेंगे। वर्तमान 'एक्ट' में मिलिटरी सर्विसके सम्बन्धमें खास तौरपर यह बात कह दी गयी है कि इस 'एक्ट' के पास होनेके पहले मिलिटरी सर्विसवालोंको जो अपील करनेका अधिकार था वह अब भी रहेगा और मिलिटरी सर्विसवाले किसी निर्णयके विरुद्ध भारतमंत्रीके पास मेमोरियल भेजकर अपील कर सकेंगे।

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY
Jangamawadi Math, Varanasi
Acc. No. ......2768......
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बलीका संगठन

विभिन्न प्रान्तोंकी असेमलीकी सीटोंका ब्योरा

१ प्रान्त	२ कुल सीट	३ जनरल सीटें — कुल जनरल सीट	४ जनरल सीटें — दलित जातियोंके लिये छुरक्षित जनरल सीट	५ पिछड़े हुए जिले और जातियोंके प्रतिनिधियोंके लिये सीट	६ सिख	७ मुसलमान	८ एंग्लो-इण्डियन	९ यूरोपियन	१० भारतीय ईसाई	११ वाणिज्य-व्यवसाय माइनिंग और प्लैंटर	१२ जमींदार	१३ यूनिवर्सिटी	१४ मजूर	१५ महिलाओंकी सीटें — जनरल	१६ महिलाओंकी सीटें — सिख	१७ महिलाओंकी सीटें — मुसलमान	१८ महिलाओंकी सीटें — एंग्लो-इण्डियन	१९ महिलाओंकी सीटें — भारतीय ईसाई
मद्रास ...	२१५	१४६	३०	१	०	२८	२	३	८	६	६	१	६	६	०	१	०	१
बम्बई ...	१७५	११४	१५	१	०	२९	२	३	३	७	२	१	७	५	०	१	०	०
बंगाल ...	२५०	७८	३०	०	०	११७	३	११	२	१९	५	२	८	२	०	२	१	०
संयुक्तप्रान्त ...	२२८	१४०	२०	०	०	६४	१	२	२	३	६	१	३	४	०	२	०	०
पंजाब ...	१७५	४२	८	०	३१	८४	१	१	२	१	५	१	३	१	१	२	०	०
बिहार ...	१५२	८६	१५	७	०	३९	१	२	१	४	४	१	३	३	०	१	०	०
मध्यप्रान्त-बरार ...	११२	८४	२०	१	०	१४	१	१	०	२	३	१	२	३	०	०	०	०
आसाम ...	१०८	४७	७	९	०	३४	०	१	१	११	०	०	४	१	०	०	०	०
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त	५०	९	०	०	३	३६	०	०	०	०	२	०	०	०	०	०	०	०
उड़ीसा ...	६०	४४	६	५	०	४	०	०	१	१	२	०	१	२	०	०	०	०
सिन्ध ...	६०	१८	०	०	०	३३	०	२	०	२	२	०	१	१	०	१	०	०

बम्बईमें जनरल सीटोंमेंसे ७ सीटें मराठोंके लिये छुरक्षित रहेंगी।

पंजाबके जमीन्दारोंकी सीटोंमेंसे एक सीट तुमन्दारोंके प्रतिनिधिके लिये छुरक्षित रहेगी।

आसाम और उड़ीसामें जो महिलाओंको सीटें मिलेंगी वे किसी खास जातिकी महिलाके लिये नहीं छुरक्षित रहेंगी।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिलोंके संगठन और सीटोंका ब्योरा

१ प्रान्त	२ कुल सीटें	३ जनरल सीटें	४ मुसलिम सीटें	५ यूरोपियन सीटें	६ भारतीय ईसाई सीटें	७ लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा निर्वाचित होने-वाली सीटें	८ गवर्नर द्वारा मनोनीत
मद्रास …	कमसे कम … ५४ अधिकसे अधिक … ५६	३५	७	१	३	०	कमसे कम … ८ अधिक से अधिक … १०
बम्बई …	कमसे कम … २९ अधिकसे अधिक … ३०	२०	५	१	०	०	कमसे कम … ३ अधिकसे अधिक … ४
बंगाल …	कमसे कम … ६३ अधिकसे अधिक … ६५	१०	१७	३	०	२७	कमसे कम … ६ अधिकसे अधिक … ८
संयुक्त प्रान्त …	कमसे कम … ५८ अधिकसे अधिक … ६०	३४	१७	१	०	०	कमसे कम … ६ अधिकसे अधिक … ८
बिहार	कमसे कम … २९ अधिकसे अधिक … ३०	९	४	१	०	१२	कमसे कम … ३ अधिकसे अधिक … ४
आसाम …	कमसे कम … २१ अधिकसे अधिक … २२	१०	६	२	०	०	कमसे कम … ३ अधिकसे अधिक … ४

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY,
Jangamwadi Math, VARANASI,
Acc. No. ....

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

"कौंसिल आफ स्टेट" के त्रैवार्षिक निर्वाचनके लिये सीटोंका ब्योरा।*

१ प्रान्त	प्रथम तीन वर्षके लिये चुने जानेवाले सदस्योंकी संख्याका विवरण					प्रथम छ सालके लिये चुने जानेवाले सदस्योंको संख्याका विवरण					नौ वर्षके लिये चुने जानेवाले सदस्यों-की संख्याका विवरण				
	२ जनरल सीट	३ दलित जातियोंके लिये सीट	४ सिख	५ मुसल-मान	६ महिला	७ जनरल सीट	८ दलित जातियों की सीट	९ सिख	१० मुसल-मान	११ महिला	१२ जनरल सीट	१३ दलित जातियों-की सीट	१४ सिख	१५ मुसल-मान	१६ महिला
मद्रास …	०	०	०	०	०	७	०	०	२	१	७	१	०	२	०
बम्बई …	५	०	०	२	१	०	०	०	०	०	५	१	०	२	०
बंगाल …	४	१	०	५	०	०	०	०	०	०	४	०	०	५	१
संयुक्त प्रान्त …	५	१	०	३	१	६	०	०	४	०	०	०	०	०	०
पंजाब …	२	०	२	४	०	१	०	२	४	१	०	०	०	०	०
बिहार …	०	०	०	०	०	५	१	०	२	०	५	०	०	२	१
मध्यप्रान्त-बरार	०	०	०	०	०	६	१	०	१	०	०	०	०	०	०
आसाम …	०	०	०	०	०	३	०	०	२	०	०	०	०	०	०
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त …	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	४	०
उड़ीसा …	४	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
सिन्ध …	२	०	०	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
ब्रि० बलूचिस्तान	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०
दिल्ली …	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	०
अजमेर-मरवाड़	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	०
कूर्ग …	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	०
कुल जोड़ …	२२	२	२	१८	२	२८	२	२	१५	२	२५	२	०	१६	२

* इनके अलावा ७ सीटें यूरोपियनोंके लिये, २ सीटें भारतीय ईसाइयोंके लिये और एक सीट ऐंग्लो-इण्डियनोंके प्रतिनिधिके लिये हैं। इनके अतिरिक्त ६ सीटोंके लिये गवर्नर जनरल द्वारा सदस्य मनोनीत होंगे।

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

...” के त्रैवार्षिक निर्वाचनके लिये ...

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative

THE VISHWAMITRA PRESS CALCUTTA

CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative